



एडिटोरियल

(संग्रह)

जुलाई, 2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम	5
➤ पुलिस सुधार और न्यायिक समर्थन की आवश्यकता	5
➤ आभाषी न्यायालय: आवश्यकता और महत्त्व	8
➤ राजनीति का अपराधीकरण: समस्या व समाधान	10
➤ आयुर्वेद का पुनर्जागरण	13
➤ वित्तीय कार्रवाई कार्य दल: आतंकी वित्तपोषण पर लगाम	16
➤ चीन-ईरान रणनीतिक साझेदारी: भारत की चिंताएँ	18
➤ भारत-ब्रिटेन: गतिशील संबंधों का दौर	21
➤ संसदीय बनाम अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली	23
➤ न्यायिक अवमानना: एक जटिल मुद्दा	26
➤ राष्ट्रीय शिक्षा नीति: महत्त्व व चुनौतियाँ	29
आर्थिक घटनाक्रम	33
➤ भारतीय रेलवे का निजीकरण: आवश्यकता व चुनौतियाँ	33
➤ बेंच बैंक की अवधारणा: महत्त्व व चुनौतियाँ	35
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम	38
➤ अमेरिका-ईरान तनाव के नए आयाम	38
➤ नि-वैश्वीकरण व आत्मनिर्भर भारत अभियान	41
➤ भारत-भूटान और चीन त्रिकोण: अवसर व चुनौतियाँ	44
➤ भारत-दक्षिण कोरिया: गहराते संबंध	47
➤ परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति	50
➤ दक्षिण एशियाई-खाड़ी प्रवासी संकट	53
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	56
➤ डिजिटल सेवाओं में सुधार का समय	56
➤ इंटरनेट तटस्थता बनाम हेट स्पीच	59
➤ वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया व चरण	61
➤ डिजिटल विश्व के निर्माण का अवसर	63

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	67
➤ बाढ़ नियंत्रण: कारण और निवारण	67
भूगोल एवं आपदा प्रबंधन	70
➤ भारत की सौर ऊर्जा रणनीति	70
सामाजिक न्याय	73
➤ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व असंगठित क्षेत्र	73
आंतरिक सुरक्षा	76
➤ समुद्री सुरक्षा: आवश्यकता व महत्त्व	76
➤ नगा समस्या: कारण और निवारण	78



दृष्टि
The Vision

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

पुलिस सुधार और न्यायिक समर्थन की आवश्यकता

संदर्भ

हाल ही में तमिलनाडु पुलिस द्वारा हिरासत में लिये गए दो व्यापारियों की मृत्यु (Custodial Death) और यातना की घटना ने भारत की विघटित होती आपराधिक न्यायिक प्रणाली की ओर इशारा करते हुए देश में पुलिस सुधार की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। पुलिस व्यवस्था में सुधार के साथ ही न्यायिक प्रक्रियाओं के उचित उपयोग का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि रिमांड के संदर्भ में याचिका स्वीकार करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी (Judicial Magistrate) उसकी प्रासंगिकता पर विचार नहीं करते हैं और वे पुलिस के पक्ष पर अति-विश्वास से प्रभावित होते हैं।

इस आलेख में पुलिस व्यवस्था, बदलाव की आवश्यकता, विभिन्न आयोग व समितियों की सिफारिशें, पुलिस सुधार में न्यायालयों की भूमिका और नागरिकों को प्राप्त अधिकारों पर चर्चा की जाएगी।

राज्य सूची का विषय

- संविधान के अंतर्गत, पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिये भारत के प्रत्येक राज्य के पास अपना एक पुलिस बल है। राज्यों की सहायता के लिये केंद्र को भी पुलिस बलों के रखरखाव की अनुमति दी गई है ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित की जा सके।
- दरअसल, पुलिस बल राज्य द्वारा अधिकार प्रदत्त व्यक्तियों का एक निकाय है, जो राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने, संपत्ति की रक्षा और नागरिक अव्यवस्था को सीमित रखने का कार्य करता है। पुलिस को प्रदान की गई शक्तियों में बल का वैध उपयोग करना भी शामिल है।

पुलिस सुधार की आवश्यकता क्यों ?

- देश में अधिकांशतः राज्यों में पुलिस की छवि तानाशाहीपूर्ण, जनता के साथ मित्रवत न होना और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने की रही है।
- राज् ऐसे अनेक किस्से सुनने-पढ़ने और देखने को मिलते हैं, जिनमें पुलिस द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। पुलिस का नाम लेते ही प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, रौब, उगाही, रिश्वत आदि जैसे शब्द दिमाग में कौंध जाते हैं।
- भारत के अधिकांश राज्यों ने अपने पुलिस संबंधी कानून ब्रिटिश काल के पुलिस अधिनियम, 1861 के आधार पर बनाए हैं, जिसके कारण ये सभी कानून भारत की मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं।
- विदित है कि मौजूदा दौर में गुणवत्तापूर्ण जाँच के लिये नवीन तकनीकी क्षमताओं की आवश्यकता होती है, किंतु भारतीय पुलिस व्यवस्था में आवश्यक तकनीक के अभाव में सही ढंग से जाँच संभव नहीं हो पाती है और कभी-कभी इसका असर उचित न्याय मिलने की प्रक्रिया पर भी पड़ता है।
- भारत में पुलिस-जनसंख्या अनुपात काफी कम है, जिसके कारण लोग असुरक्षित महसूस करते हैं और पुलिस को मानव संसाधन की कमी से जूझना पड़ता है।

पुलिस सुधारों के लिये विभिन्न आयोग व समितियाँ

धर्मवीर आयोग (राष्ट्रीय पुलिस आयोग)

- वर्ष 1977 में पुलिस सुधारों को केंद्र में रखकर जनता पार्टी की सरकार द्वारा श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में गठित इस आयोग को राष्ट्रीय पुलिस आयोग (National Police Commission) कहा जाता है। चार वर्षों में इस आयोग ने केंद्र सरकार को आठ रिपोर्टें सौंपी थीं, लेकिन इसकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया।

- धर्मवीर आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं-
 - ◆ प्रत्येक राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए।
 - ◆ जाँच कार्यों को शांति व्यवस्था संबंधी कामकाज से अलग किया जाए।
 - ◆ पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिये एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए।
 - ◆ पुलिस प्रमुख का कार्यकाल तय किया जाए।
 - ◆ एक नया पुलिस अधिनियम बनाया जाए।

पद्मनाभैया समिति

- वर्ष 2000 में पुलिस सुधारों पर पद्मनाभैया समिति का गठन किया गया था।
- इस समिति का मुख्य कार्य पुलिस बल की भर्ती प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, पुलिस अधिकारियों के व्यवहार और पुलिस जाँच आदि विषयों का अध्ययन करना था।

अन्य समितियाँ

- वर्ष 1997 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त ने देश के सभी राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को एक पत्र लिखकर पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिये कुछ सिफारिशें भेजी थीं।
- देश में आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जाँच के लिये गठित शाह आयोग ने भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिये पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने की बात कही थी।
- इसके अलावा राज्य स्तर पर गठित कई पुलिस आयोगों ने भी पुलिस को बाहरी दबावों से बचाने की सिफारिशें की थीं।
- इन समितियों ने राज्यों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और महिला कांस्टेबलों की भर्ती करने की भी सिफारिश की थी।

मॉडल पुलिस एक्ट, 2006

- वर्ष 2006 में सोली सोराबजी समिति ने मॉडल पुलिस अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था, लेकिन केंद्र या राज्य सरकारों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
- विदित है कि गृह मंत्रालय ने 20 सितंबर, 2005 को विधि विशेषज्ञ सोली सोराबजी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने 30 अक्टूबर 2006 को मॉडल पुलिस एक्ट, 2006 का प्रारूप केंद्र सरकार को सौंपा।

सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

- जब किसी भी आयोग और समिति की रिपोर्ट पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश व असम में पुलिस प्रमुख और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रहे प्रकाश सिंह ने वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर अपील की कि सभी राज्यों को राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के निर्देश दिये जाए।
- इस याचिका पर एक दशक तक चली सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कई आयोगों की सिफारिशों का अध्ययन कर आखिर में 22 सितंबर, 2006 को पुलिस सुधारों पर निर्णय देते हुए राज्यों और केंद्र के लिये कुछ दिशा-निर्देश जारी किये।
 - ◆ राज्यों को निर्देश: इनमें पुलिस पर राज्य सरकार का प्रभाव कम करने के लिये राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करने, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल दो साल तय करने, जाँच और कानून व्यवस्था की बहाली का ज़िम्मा अलग-अलग पुलिस इकाइयों को सौंपने, सेवा संबंधी तमाम मामलों पर फैसले के लिये एक पुलिस इस्टैब्लिशमेंट बोर्ड (Police Establishment Board) का गठन करने और पुलिस अफसरों के खिलाफ शिकायतों की जाँच के लिये पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करने जैसे दिशा-निर्देश शामिल थे।
 - ◆ केंद्र को निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को केंद्रीय पुलिस बलों में नियुक्तियों और कर्मचारियों के लिये बनने वाली कल्याण योजनाओं की निगरानी के लिये एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था, लेकिन अब तक इसका गठन नहीं हो सका है।

पुलिस सुधारों के प्रति राज्यों में गंभीरता का अभाव

- विदित है कि राज्य सरकारें कई बार पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग भी करती हैं। कभी अपने राजनीतिक विरोधियों से निपटने के लिये तो कभी अपनी किसी नाकामी को छिपाने के लिये संभवतः यही मुख्य कारण है कि राज्य सरकारें पुलिस सुधार के लिये तैयार नहीं हैं।
- राज्य सरकारें पुलिस सुधार के लिये कितनी संजीदा हैं, यह इस बात से समझा जा सकता है कि वर्ष 2017 में जब गृह मंत्रालय ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 153 अति महत्वपूर्ण सिफारिशों पर विचार करने के लिये मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जिनमें पुलिस सुधार पर चिंतन-मनन होना था, तो इस सम्मेलन में अधिकतर मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे।
- पुलिस सुधार के एजेंडे में जाँच व पूछताछ के तौर-तरीके, जाँच विभाग को विधि-व्यवस्था विभाग से अलग करने, महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी के अलावा पुलिस की निरंकुशता की जाँच के लिये विभाग बनाने पर भी चर्चा की जानी थी।
- आज भी ज़्यादातर राज्य सरकारें पुलिस सुधार के मसले पर अपना रुख स्पष्ट करने को तैयार नहीं हैं। यह आनाकानी पुलिस सुधार को लेकर उनकी बेरुखी को ही दर्शाती है।

आवश्यक है न्यायालय का सहयोग

- तमिलनाडु में व्यापारियों की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु से यह स्पष्ट है कि न्यायिक दंडाधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनुभाई रतिलाल पटेल बनाम गुजरात सरकार मामले में दी गई व्यवस्था के उलट काम किया है।
 - ◆ जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि रिमांड या उसकी समयावधि तय करते समय दंडाधिकारी न्यायिक कार्य का निर्वहन करता है। एक अभियुक्त की रिमांड पर निर्देश देना मौलिक रूप से एक न्यायिक कार्य है।
 - ◆ दंडाधिकारी एक अभियुक्त को हिरासत में रखने का आदेश देते समय कार्यकारी क्षमता में कार्य नहीं करता है, इस न्यायिक कार्य के दौरान दंडाधिकारी का स्वयं इस पर संतुष्ट होना अनिवार्य है कि क्या उसके समक्ष रखे गए तथ्य इस तरह की रिमांड के लिये आवश्यक है या इसे अलग तरीके से देखा जाना चाहिये, भले ही अभियुक्त को हिरासत में रखने और उसकी रिमांड बढ़ाने के लिये पर्याप्त आधार मौजूद हों।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 167 के अनुसार, अपेक्षित रिमांड का उद्देश्य यह है कि जाँच 24 घंटे की निर्धारित समयावधि में पूरी नहीं की जा सकती। यह दंडाधिकारी को इस तथ्य का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है कि क्या रिमांड वास्तव में आवश्यक है? दंडाधिकारी के लिये यह अनिवार्य है कि रिमांड देते समय वह अपने विवेक का इस्तेमाल करे न कि सिर्फ यांत्रिक रूप से रिमांड के आदेश को पारित कर दे।
- सर्वोच्च न्यायालय के लिये यह आवश्यक है कि वह अधीनस्थ न्यायालयों में होने वाली इस तरह की खामियों के मुद्दे को सुलझाए और उनकी जवाबदेही तय करे।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को यह निर्देश जारी किया जाना चाहिये कि हिरासत में किसी अभियुक्त को चोट लगने या उसकी मृत्यु का उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी पर डालने संबंधी 10वें विधि आयोग की सिफारिश के अनुरूप भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन जैसे उपयुक्त कदम उठाए जाए।
- चूँकि पुलिस हिरासत में यातना के शिकार बनने वाले लोगों में अधिकांश समाज के आर्थिक या सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों से संबंधित होते हैं, इसलिये अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार संसद से अत्याचार निवारण विधेयक (The Prevention of Torture bill) को पारित कराने की दिशा में कदम उठाए।

पुलिस को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने की ज़रूरत

- पुलिस व्यवस्था को आज नई दिशा, नई सोच और नए आयाम की आवश्यकता है। समय की मांग है कि पुलिस नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक हो और समाज के सताए हुए तथा वंचित वर्ग के लोगों के प्रति संवेदनशील बने। देखने में यह आता है कि पुलिस प्रभावशाली व पैसे वाले लोगों के प्रति नरम तथा आम जनता के प्रति सख्त रवैया अपनाती है, जिससे जनता का सहयोग प्राप्त करना उसके लिये मुश्किल हो जाता है।
- आज देश का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल चुका है। हमें यह समझना होगा कि पुलिस सामाजिक रूप से नागरिकों की मित्र है और बिना उनके सहयोग से कानून व्यवस्था का पालन नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या समाज की भूमिका केवल मूक दर्शक बने रहकर प्रशासन पर टीका टिपण्णी करने या कैडल लाइट मार्च निकालकर या सोशल साइट्स पर अपना विचार व्यक्त करने तक ही सीमित है?

- प्रत्येक समाज को नीति-नियंताओं पर इस बात के लिये दबाव डालना चाहिये कि उनके राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्रों में पुलिस सुधार को एक अनिवार्य मुद्दे के रूप में शामिल करें।

निष्कर्ष

हमारे सामने प्रायः पुलिस की नकारात्मक छवि ही आती है, जिससे उसके प्रति आमजन का अविश्वास और बढ़ जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में पुलिस बल की शक्ति का आधार जनता का उसमें विश्वास है और यदि यह नहीं है तो समाज के लिये घातक है। पुलिस में संस्थागत सुधार ही वह कुंजी है, जिससे कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। सभी तरह के गैर-कानूनी कार्यों पर नकेल कसी जा सकती है।

आभाषी न्यायालय: आवश्यकता और महत्त्व

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 ने जहाँ एक ओर न्यायालयों के द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों के समक्ष चुनौती उत्पन्न की है तो वहीं दूसरी ओर आवश्यक न्यायिक सुधारों का अवसर भी प्रदान किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था को इस प्रकार के संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक सदी पूर्व स्पैनिश फ्लू (Spanish Flu) महामारी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालयों के पास ऐसे हालात में न्यायिक कार्य करने का पर्याप्त अनुभव रहा है।

इस विपदा के कारण लागू किये गए लॉकडाउन के बाद न्यायालयों ने न्यायिक कार्यों को पुनः प्रारंभ करने के लिये आभाषी न्यायालय (Virtual COURT) और ई-सुनवाई (E-hearings) जैसे तकनीकी दक्ष प्रोटोकॉल अपनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया है। हालाँकि वर्ष 2017 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ने यह घोषणा की थी कि अब सर्वोच्च न्यायालय व्यावहारिक रूप से कागज़ का प्रयोग किये बिना न्यायिक कार्य प्रारंभ करेगा, परंतु साइबर तकनीक को अपनाने के मामले में आकांक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं हुई।

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने लोक जनहित याचिका (Public Interest litigation-PIL) दाखिल कर यह अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय महत्त्व और संवैधानिक महत्त्व के मामलों की पहचान कर उन मामलों की रिकॉर्डिंग की जानी चाहिये और उनका सीधा प्रसारण भी किया जाना चाहिये।
- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये संवैधानिक महत्त्व वाले मामलों में की जाने वाली न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को अनुमति दे दी है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश
- आभाषी न्यायालय की अवधारणा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 'व्यापक और समग्र दिशानिर्देश' तैयार करने का निर्देश देने के साथ ही न्यायालयों में इस प्रक्रिया को पायलट परियोजना के आधार पर शुरू करने का आह्वान भी किया है।
- यह परियोजना कई चरणों लागू की जाएगी।
- चूँकि 'न्यायालय की खुली सुनवाई' के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, ऐसे में दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC), 1973 की धारा 327 और सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure- CPC), 1908 की धारा 153 (ख) के प्रावधानों का अनुसरण किया जा सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 327

- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 327 के अनुसार वह स्थान जहाँ कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जाँच या विचारण के प्रयोजन से बैठता है उसे खुला न्यायालय समझा जाएगा जिसमें जनता साधारणतः वहाँ तक प्रवेश कर सकेगी जहाँ तक कि वह सुविधापूर्वक उसमें एकत्र हो सके।
- लेकिन, यदि पीठासीन न्यायाधीश ठीक समझे तो वह किसी विशिष्ट मामले की जाँच या विचारण के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकता है कि न्यायालय द्वारा उक्त प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किये गए कमरे या भवन तक जनता अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति को न पहुँचने दिया जाए।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 153 (ख)

- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 153ख के अनुसार, वह स्थान जहाँ किसी वाद के विचरण के प्रयोजन के लिये कोई सिविल न्यायालय लगता है तो उसे खुला न्यायालय समझा जाएगा और उसमें जनता की साधारणतः वहाँ तक पहुँच होगी जहाँ तक वह इसमें सुविधापूर्वक एकत्र हो सके।
- लेकिन, यदि पीठासीन न्यायाधीश ठीक समझे तो वह किसी विशिष्ट मामले की जाँच या विचरण के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकता है कि न्यायालय द्वारा प्रयुक्त कमरे या भवन तक जनता या किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहुँच नहीं होगी या वह उसमें नहीं आएगा या वह वहाँ नहीं रहेगा।

सरकार का पक्ष

- राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों में न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गाइडलाइन्स तैयार कर न्यायालय में दाखिल करने के निर्देश जारी किये थे। अटॉर्नी जनरल द्वारा विस्तृत गाइडलाइन्स दाखिल करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- अटॉर्नी जनरल द्वारा दाखिल गाइडलाइन्स के अनुसार, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय से शुरू होनी चाहिये और सफल होने पर इसे दूसरे न्यायालयों में लागू किया जा सकता है।
- इसमें संवैधानिक मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिये। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि वैवाहिक विवाद, नाबालिगों से जुड़े मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग न हो।
- अटॉर्नी जनरल ने यह सुझाव भी दिया कि न्यायालय की भीड़-भाड़ को कम करने के लिये वदियों, पत्रकार, इंटरन और वकीलों के लिये एक डिजिटल मीडिया रूम बनाया जा सकता है।
- अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने यह सिफारिश भी की थी कि यदि सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो सरकार, लोकसभा या राज्यसभा की तरह ही सर्वोच्च न्यायालय एक अलग चैनल की व्यवस्था कर सकती है।

आभाषी न्यायालय के मार्ग में चुनौतियाँ

- न्यायालयों के पास सामान्य बुनियादी ढाँचे (भवन, विद्युत, फर्नीचर) का अभाव है। ऐसे में आभाषी न्यायालय स्थापित करना दूर की कौड़ी सिद्ध होता दिख रहा है।
- भारत में इंटरनेट की गति बहुत कम है जिससे न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करना एक दुष्कर कार्य है।
- लाइव स्ट्रीमिंग के संदर्भ में वादी-प्रतिवादी तथा न्यायिक कर्मचारियों व अधिकारियों में तकनीकी जागरूकता का अभाव है।
- भारत में विभिन्न आयु समूहों के बीच संसाधनों की उपलब्धता के बीच अंतर को उजागर करते हुए, भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है जिसमें उनसे लॉकडाउन के बाद ई-फाइलिंग और ई-सुनवाई की प्रणाली को जारी न रखने का आग्रह किया गया है।
- ◆ परिषद ने बताया कि अधिकांश अधिवक्ता कमजोर पृष्ठभूमि से हैं, जिनके पास न तो संसाधन हैं और न ही ऐसी उन्नत तकनीक के अनुकूल शिक्षा है। इस प्रकार, न्यायालय के कार्य का डिजिटलाइजेशन ऐसे लोगों को उनकी आजीविका से वंचित कर देगा।
- ◆ परिषद के अनुसार, न्याय वितरण प्रणाली में जब तकनीक की जरूरत होती है, तब वह सहायता कर सकती है, लेकिन तीनों संबंधित (न्यायाधीश और वादी-प्रतिवादी) पक्षों के साथ तीन अलग-अलग स्थानों पर बैठकर न्यायिक कार्यवाही को सुनने और निर्णय करने का प्रस्ताव समाज के आदर्श और व्यवहार से परे होगा।
- ◆ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना कठिन कार्य है, जबकि न्यायालय की खुली सुनवाई में न्याय को खुले न्यायालय में वितरित किया जाता है, न केवल संबंधित पक्षों और उनके वकीलों की उपस्थिति में चर्चा/तर्क दिये जाते हैं, बल्कि अन्य अधिवक्ताओं, मीडिया, और विधिक पक्षकारों की मौजूदगी में यह कार्य संपन्न होता है। न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिये, बल्कि न्याय होता हुआ भी दिखाई देना चाहिये।
- ऐसा भी देखने को मिला है कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होने वाली सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं द्वारा तय मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा है।

महत्त्व

- सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया है कि खुले न्यायालय की अवधारणा ऐसे समय में विकसित हुई थी जब तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी। हालाँकि वर्तमान में तकनीक ने हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित किया है, वैश्विक महामारी के बाद उपजी परिस्थितियों में आभाषी न्यायालय की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है।
- वैश्विक महामारी के बाद खुले न्यायालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना दुष्कर है, ऐसे में आभाषी न्यायालय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बेहतर क्रियान्वयन कर सकते हैं।
- आभाषी न्यायालय की अवधारणा में प्रत्येक सुनवाई का समय निर्धारित किया जा सकता है, जिससे पक्षकारों और अधिवक्ताओं का अनावश्यक समय बर्बाद नहीं होगा, और न्यायिक मामलों में अनावश्यक विलंब भी नहीं होगा।
- आभाषी न्यायालय की अवधारणा से अधिवक्ताओं द्वारा की जाने वाली अनावश्यक हड़तालों से मुक्ति मिलेगी।
- आभाषी न्यायालय व ई-सुनवाई से मामलों को तेजी से निपटाया जा सकता है, जिससे भारतीय न्यायिक व्यवस्था मुकदमों के बोझ से मुक्त होगी।

राजनीति का अपराधीकरण: समस्या व समाधान

संदर्भ

राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के संदर्भ में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि उम्मीदवारों के संपूर्ण अपराधिक इतिहास की जानकारी स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्र के साथ-साथ पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडल में प्रकाशित होनी चाहिये। यदि कोई राजनैतिक दल इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो यह इस कृत्य को न्यायालय के आदेशों/निर्देशों की अवमानना माना जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अक्टूबर, 2020 में बिहार विधान सभा चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय का व्यावहारिक क्रियान्वयन देखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कदम राजनीति में अपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण, चुनावी पारदर्शिता और जनता के प्रति राजनीतिक दलों के उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करने के लिये उठाया है।

राजनीति का अपराधीकरण और भारत

- राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ राजनीति में अपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों और अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है। सामान्य अर्थों में यह शब्द अपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनेता और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का घोटक है।
- वर्ष 1993 में वोहरा समिति की रिपोर्ट और वर्ष 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि भारतीय राजनीति में गंभीर अपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है।
- वर्तमान में ऐसी स्थिति बन गई है कि राजनीतिक दलों के मध्य इस बात की प्रतिस्पन्द है कि किस दल में कितने उम्मीदवार अपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, क्योंकि इससे उनके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है।
- पिछले लोकसभा चुनावों के आँकड़ों पर गौर किया जाए तो स्थिति यह है कि अपराधिक प्रवृत्ति वाले संसद सदस्यों की संख्या में वृद्धि ही हुई है। वर्ष 2004 में संसद के 24 प्रतिशत सदस्यों के खिलाफ अपराधिक मामले लंबित थे जो कि वर्ष 2009 में बढ़कर 30 प्रतिशत, वर्ष 2014 में 34 प्रतिशत और वर्ष 2019 में 43 प्रतिशत हो गए।
- ◆ नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ एक ओर वर्ष 2009 में गंभीर अपराधिक मामलों वाले संसद सदस्यों की संख्या 76 थी, वहीं 2019 में यह बढ़कर 159 हो गई। इस प्रकार 2009-19 के बीच गंभीर अपराधिक पृष्ठभूमि वाले संसद सदस्यों की संख्या में कुल 109 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली।
- ◆ गंभीर अपराधिक मामलों में बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि को शामिल किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए आदेश के प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, राजनीतिक दलों (केंद्र व राज्य स्तर पर) को अपने चयनित उम्मीदवारों पर चल रहे आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी अपने वेबसाइट पर साझा करनी होगी।
- ◆ इसमें अपराध की प्रकृति, चार्टशीट, संबंधित न्यायालय का नाम और केस नंबर आदि जानकारियाँ शामिल हैं।
- ◆ आदेश के अनुसार, प्रत्याशी पर दर्ज मामलों की विस्तृत जानकारी को एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय भाषा के अखबार में प्रकाशित करने के साथ दल के आधिकारिक सोशल मीडिया खातों जैसे-फेसबुक, ट्विटर आदि पर भी साझा करना होगा।
- यह अनिवार्य रूप से उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख के दो सप्ताह से कम समय में (जो भी पहले हो) प्रकाशित किया जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को आदेश दिया कि वे भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के सामने 72 घंटे के भीतर अदालती कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें अन्यथा उन दलों पर न्यायालय की अवमानना से संबंधित कार्रवाई की जाएगी।
- इसके साथ ही राजनीतिक दलों को संबंधित प्रत्याशी के चयन का कारण बताना होगा और यह भी बताना होगा कि संबंधित प्रत्याशी के स्थान पर बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी अन्य व्यक्ति का चयन क्यों नहीं किया जा सका।
- न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्याशी के रूप में चयन का कारण व्यक्ति की योग्यता, उपलब्धियों आदि के संदर्भ में होना चाहिये न कि उसकी चुनाव जीतने की क्षमता (Winnability) के संदर्भ में।

राजनीति के अपराधीकरण के कारण

- अपराधियों का पैसा और बाहुबल राजनीतिक दलों को वोट हासिल करने में मदद करता है। चूँकि भारत की चुनावी राजनीति अधिकांशतः जाति और धर्म जैसे कारकों पर निर्भर करती है, इसलिये उम्मीदवार आपराधिक आरोपों की स्थिति में भी चुनाव जीत जाते हैं।
- चुनावी राजनीति कमोबेश राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली फंडिंग पर निर्भर करती है और चूँकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होता है, इसलिये वे दल के चुनावी अभियान में अधिक-से-अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनके राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बढ़ जाती है।
- भारत के राजनीतिक दलों में काफी हद तक अंतर-दलीय लोकतंत्र का अभाव देखा जाता है और उम्मीदवारी पर निर्णय मुख्यतः दल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाता है, जिसके कारण आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता अक्सर दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं और संगठन द्वारा जाँच से बच जाते हैं।
- भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित देरी ने राजनीति के अपराधीकरण को प्रोत्साहित किया है। अदालतों द्वारा आपराधिक मामले को निपटाने में औसतन 15 वर्ष लगते हैं।
- 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' (First Past The Post-FPTP) निर्वाचन प्रणाली में सभी उम्मीदवारों में से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है, चाहे विजयी उम्मीदवार को कितना भी (कम या अधिक) मत क्यों न प्राप्त हुआ हो। इस प्रकार की प्रणाली में अपराधियों के लिये अपने धन और बाहुबल का प्रयोग कर अधिक-से-अधिक मत हासिल करना काफी आसान होता है।
- निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में मौजूद खामियाँ भी राजनीति के अपराधीकरण का प्रमुख कारण हैं। चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों की संपत्ति का विवरण, अदालतों में लंबित मामलों, सजा आदि का खुलासा करने का प्रावधान किया है। किंतु ये कदम अपराध और राजनीति के मध्य साँटगाँठ को तोड़ने की दिशा में अब तक सफल नहीं हो पाए हैं।
- भारत की राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देने में नागरिक समाज का भी बराबर का योगदान रहा है। अक्सर आम आदमी अपराधियों के धन और बाहुबल से प्रभावित होकर बिना जाँच किये ही उन्हें वोट दे देता है।
- इसके अलावा भारतीय राजनीति में नैतिकता और मूल्यों के अभाव ने अपराधीकरण की समस्या को और गंभीर बना दिया है। अक्सर राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों के लिये अपराधीकरण की जाँच करने से कतराती हैं।

राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव

- देश की राजनीति और कानून निर्माण प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की उपस्थिति का लोकतंत्र की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- राजनीति के अपराधीकरण के कारण चुनावी प्रक्रिया में काले धन का प्रयोग काफी अधिक बढ़ जाता है।
- राजनीति के अपराधीकरण का देश की न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रभाव देखने को मिलता है और अपराधियों के विरुद्ध जाँच प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
- राजनीति में प्रवेश करने वाले अपराधी सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और नौकरशाही, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका सहित अन्य संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- राजनीति का अपराधीकरण समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और भावी जनप्रतिनिधियों के लिये एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

भारतीय चुनावी तंत्र में सुधार के पूर्व प्रयास

- दिनेश गोस्वामी समिति (1990): समिति ने अपनी रिपोर्ट में चुनावी खर्च पर नियंत्रण, कंपनियों द्वारा दिये गए चंदे पर रोक, चुनावों में राज्य की भूमिका और इसके साथ ही चुनावों के अन्य पहलुओं जैसे- प्रचार का समय, आयु सीमा, चुनाव आयोग के अधिकार आदि के संबंध में निगरानी और प्रावधानों की सिफारिश की।
- वोहरा समिति (1993): वोहरा समिति ने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण और उनके राजनीतिक संरक्षण पर चिंता व्यक्त करते हुए इस समस्या के समाधान के लिये विभिन्न अपराध नियंत्रण संस्थाओं (सीबीआई, इनकम टैक्स, नारकोटिक्स आदि) की सहायता लेने की सलाह दी।
- इन्द्रजीत गुप्ता समिति (1998): गुप्ता समिति ने अपनी रिपोर्ट में राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराध को कम करने के लिये राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन किये जाने की सिफारिश की।
- विधि आयोग रिपोर्ट (1999): वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का समर्थन किया था।
- एमएन वेंकट चलैया समिति (2000-02)- विधि आयोग, चुनाव आयोग, संविधान की समीक्षा के लिये राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट।
- वांचू समिति (प्रत्यक्ष कर जाँच समिति)- वांचू समिति ने राजनीतिक चंदे के विनियमन के साथ राजनीतिक दलों की अन्य आर्थिक गतिविधियों पर अपनी रिपोर्ट जारी की।

चुनाव सुधार पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

- अक्टूबर 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने कैवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला व अन्य मामले में प्रत्याशी के प्रचार पर होने वाले किसी भी प्रकार के खर्च (पार्टी प्रायोजक या किसी समर्थक द्वारा) को प्रत्याशी के लिये निर्धारित सीमा में जोड़ने का निर्देश दिया।
- वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि संसद, राज्य विधानसभाओं या नगर निगम के लिये चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी।
- वर्ष 2005 में रमेश दलाल बनाम भारत सरकार वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक संसद सदस्य (सांसद) या राज्य विधानमंडल के सदस्य (विधायक) को दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाएगा और उसे अदालत द्वारा 2 वर्ष से कम कारावास की सजा नहीं दी जाएगी।
- वर्ष 2017 के एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्याशियों के लिये अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की अनिवार्यता को दोहराते हुए, राजनीतिज्ञों पर चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का आदेश दिया।

क्या कहता है जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम ?

- जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है। लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है, वे चुनाव लड़ने के लिये स्वतंत्र हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है।
- इस अधिनियम की धारा 8(1) और 8(2) के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका सदस्य (सांसद अथवा विधायक) हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन; धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा एवं 6 वर्ष की अवधि के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

- वहीं, इस अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि उपर्युक्त अपराधों के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिये दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी विधायिका सदस्य को यदि दो वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से आयोग्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सजा पूरी किये जाने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य माना जाएगा।

चुनौतियाँ

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राजनीति में शामिल आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों पर प्रत्यक्ष कार्रवाई के बजाय यह निर्णय राजनीतिक दलों और जनता के विवेक पर छोड़ दिया है। ऐसे में न्यायालय के आदेश से राजनीति में जल्दी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती।
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में चुनाव आयोग को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई के स्थान पर उनकी निगरानी करने और इस संबंध में नियमानुसार न्यायालय को सूचित करने के निर्देश दिये गए हैं। यह व्यवस्था राजनीतिक अपराधियों को लेकर पहले से ही लंबी न्यायिक प्रक्रिया पर समाधान प्रदान करने की बजाय उसे और अधिक जटिल बनाती है।
- राजनैतिक पारदर्शिता के संदर्भ में न्यायालय का यह आदेश तभी प्रभावी हो सकता है जब राजनैतिक दल इस संदर्भ में नियमों का सही पालन करें और जनहित का ध्यान रखते हुए सही जानकारी दें। परंतु गलत/झूठे समाचारों (Fake News) के इस दौर में जनता तक सही जानकारी को पहुँचाना बहुत ही कठिन है, अतः न्यायालय के आदेश से राजनीति में बड़े सुधारों की उम्मीद नहीं की जा सकती।

निष्कर्ष

देश की राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि संसद ऐसा कानून लाए ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहें। जन प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले लोग अपराध की राजनीति से ऊपर हों। राष्ट्र को संसद द्वारा कानून बनाए जाने का इंतजार है। भारत की दूषित हो चुकी राजनीति को साफ करने के लिये बड़ा प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

आयुर्वेद का पुनर्जागरण

संदर्भ

प्राचीन चिकित्सा प्रणाली में बीमारियों के इलाज और एक स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व करने के सर्वोत्तम तरीकों में आयुर्वेद को उच्च स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में आयुर्वेद ने अपनी ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि भारत सरकार ने वैश्विक महामारी COVID-19 से लड़ने के प्रयासों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिये आयुर्वेदिक संघटकों के उपयोग का आह्वान किया है। सरकार ने COVID-19 के रोकथाम हेतु प्रतिरोधी तथा उपचार में चयनित और मानकीकृत आयुर्वेदिक दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग का मूल्यांकन करने के लिये अभिनव नैदानिक दवा परीक्षणों की घोषणा की है।

आधुनिक बीमारियों के इलाज में आयुर्वेद के बढ़ते महत्त्व को देखते हुए अब यह अधिक सक्रिय रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल प्रणाली में प्रतिभाग करने के लिये तत्पर है। इस प्रकार, एक आधुनिक जीवंत स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली में इसकी प्रगति और परिवर्तन की निगरानी करने की आवश्यकता है।

आयुर्वेद से तात्पर्य

- आयुर्वेद प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैद्य-शास्त्र चिकित्सा पद्धति है। संस्कृत भाषा में आयुर्वेद का अर्थ है 'जीवन का विज्ञान' (संस्कृत में मूल शब्द आयु का अर्थ होता है 'दीर्घ आयु' या आयु और वेद का अर्थ है 'विज्ञान'।
- एलोपैथी औषधि (विषम चिकित्सा) रोग के प्रबंधन पर केंद्रित होती है, जबकि आयुर्वेद रोग की रोकथाम और रोग को उत्पन्न करने वाले मूल कारण को निष्काषित करने पर केंद्रित होता है।
- आयुर्वेद के अनुसार जीवन के उद्देश्यों यथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिये स्वास्थ्य पूर्वपेक्षित है। यह मानव के सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पहलुओं का समाकलन करता है, क्योंकि ये सभी एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।
- आयुर्वेद तन, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार करता है। आयुर्वेद में न केवल उपचार होता है बल्कि यह जीवन जीने का ऐसा तरीका सिखाता है, जिससे जीवन लंबा और खुशहाल हो जाता है।
- आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ जैसे तीनों मूल तत्वों के संतुलन से कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, परन्तु यदि इनका संतुलन बिगड़ता है, तो बीमारी शरीर पर हावी होने लगती है।

- अतः आयुर्वेद में इन्हीं तीनों तत्त्वों के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने पर भी बल दिया जाता है, ताकि व्यक्ति सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो।

आयुर्वेद की विकास यात्रा

- स्वतंत्रता से पूर्व:
 - ◆ ब्रिटिश राज ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अवैज्ञानिक, रहस्यमयी और केवल एक धार्मिक विश्वास माना। परिणामस्वरूप इस चिकित्सा पद्धति को नष्ट करने का प्रयास भी किया गया।
 - ◆ वर्ष 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेद के शिक्षण कार्य को निलंबित कर दिया गया था।
 - ◆ हालाँकि औपनिवेशिक शासन के दौरान कई प्राच्यविदों ने वैदिक ग्रंथों को पुनर्प्राप्त करके आयुर्वेद को अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित भी किया। प्राच्यविदों ने आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने में बड़ा योगदान दिया था।
 - ◆ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद हुए राष्ट्रीय विद्रोह और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में नई ऊर्जा का संचार किया।
 - ◆ इस दौरान कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने स्वयं को एक पेशेवर चिकित्सा संगठन में संगठित किया और चिकित्सीय पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया था।
- स्वतंत्रता के बाद:
 - ◆ आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। इसके पीछे यह तर्क दिया गया था कि एक संयुक्त चिकित्सा प्रणाली व्यक्तिगत विज्ञान के रूप में आयुर्वेद से अधिक प्रभावकारी होगी।
 - ◆ स्वतंत्रता के बाद कोलकाता, बनारस, हरिद्वार, इंदौर, पूना और बंबई आयुर्वेद के प्राचीन उत्कृष्ट संस्थान के रूप में स्थित थे।
 - ◆ 1960 के दशक में विशेष रूप से गुजरात और केरल में अच्छी तरह से नियोजित मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विकास में तेजी आई, परंतु आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नेपथ्य में ही रही।
 - ◆ हालाँकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) की स्थापना से प्रोत्साहन मिला।
 - ◆ आयुष मंत्रालय ने सभी हितधारकों के साथ संचार का एक कुशल नेटवर्क स्थापित किया है तथा शिक्षा, अनुसंधान और संरक्षण के माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को संरक्षित किया है।

आयुर्वेद से संबंधित चुनौतियाँ

- विषम परिस्थितियों में अप्रभावी उपचार: गंभीर संक्रमण और शल्य चिकित्सा सहित अन्य आपात स्थितियों में आयुर्वेद की न्यून प्रभावकारिता और सार्थक चिकित्सीय अनुसंधान की कमी आयुर्वेद की सार्वभौमिक स्वीकृति को सीमित कर देती है।
 - ◆ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अत्यधिक जटिल व निषेधात्मक है।
 - ◆ आयुर्वेदिक दवाओं की कार्यप्रणाली काफी धीमी है। आयुर्वेदिक दवाओं की प्रभावकारिता का पूर्वानुमान करना कठिन कार्य है।
- एकरूपता का अभाव: आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धतियाँ एक समान नहीं हैं। ऐसा इसलिये है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले औषधीय पौधे भौगोलिक जलवायु और स्थानीय कृषि प्रथाओं के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं।
 - ◆ आयुर्वेद के विपरीत आधुनिक चिकित्सा पद्धति में, रोगों को वर्गीकृत किया जाता है और पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार इलाज किया जाता है।
- आयुर्वेदिक फर्मों द्वारा भ्रामक प्रचार: आयुर्वेदिक फार्मा उद्योग ने दावा किया कि इसकी निर्माण पद्धतियाँ शास्त्रीय आयुर्वेद ग्रंथों के अनुरूप थी।
 - ◆ आयुर्वेदिक दवाओं की बेहतर बाजार हिस्सेदारी के लिये, दवा कंपनियों ने पर्याप्त वैज्ञानिक आधार के बिना अपने आयुर्वेदिक उत्पादों के बारे में कई औषधीय दावों को प्रचारित किया।
- मान्यता का अभाव: विभिन्न देशों में आयुर्वेद को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त हो पाई है, हालाँकि पिछले कुछ वर्षों से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में रूचि लेने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।

- ◆ अधिकांश देशों ने आयुर्वेद को चिकित्सा के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है और उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग पर कई प्रतिबंध भी लगा रखे हैं।
- गहन अध्ययन की कमी: वर्ष 2004 में एक प्रमुख अमेरिकी जर्नल ने अमेरिका में बेची जाने वाली कुछ आयुर्वेदिक दवाओं में भारी धातुओं (आर्सेनिक, मरकरी, लेड) के अतिशय प्रयोग पर चिंता व्यक्त की। भारी धातुओं का अतिशय प्रयोग स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
- ◆ इस जर्नल के प्रकाशित होने के बाद दुनिया भर में आयुर्वेदिक दवाओं की निंदा हुई और सरकार ने आयुर्वेदिक दवाओं में भारी धातुओं का परीक्षण अनिवार्य कर दिया और आयुर्वेद दवा कंपनियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों का पालन करने के लिये कहा गया।
- आयुर्वेद में उप-मानक अनुसंधान: पिछले पाँच दशकों में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान मुख्य रूप से अन्य चिकित्सा प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसरण तक ही सीमित था।
- ◆ प्रायः यह पाया गया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में अध्ययन के तरीके और डेटा के निर्माण व गुणवत्ता का मानकीकरण निम्न स्तर का था।

आयुर्वेद का महत्त्व

- आयुर्वेद में 'स्वस्थ्य' व्यक्तियों को भी विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इस दृष्टिकोण से आयुर्वेद के अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य को सात श्रेणियों अथवा 'प्रकृति' में वर्गीकृत किया गया है। दरअसल, मनुष्य की प्रकृति का निर्धारण जन्म के समय ही कर लिया जाता है और यह जीवन भर इसी प्रकार बनी रहती है।
- 'वात'(Vata-V), 'पित्त'(Pitta-P) और 'कफ'(Kapha-K) इसकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं, जिनका निर्धारण व्यक्ति के अनेक लक्षणों जैसे- शारीरिक रचना, भूख, त्वचा के प्रकार, एलर्जी, संवेदनशीलता आदि से किया जाता है। अन्य चार श्रेणियाँ इनके विपरीत हैं।
- अतः वे दवाइयाँ जो 'वात' के लिये कार्य करती हैं, वे 'कफ' के लिये कार्य नहीं करती। वस्तुतः शोधकर्ता यह पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि आयुर्वेद की सभी श्रेणियों के आणविक स्तरों के मध्य अंतर विद्यमान है। यदि यह कहा जाए कि वॉरफेरिन (warfarin) जैसी दवा का उपयोग 'ब्लड थिनर' (blood thinner) के रूप में किस प्रकार जाए, तो निष्कर्ष निकलता है कि भिन्न-भिन्न प्रकृति के रोगियों के लिये दवा की अलग-अलग खुराक की आवश्यकता होती है।
- ◆ विदित हो कि ब्लड थिनर हार्ट अटैक के जोखिम को कम करने में सहायता करते हैं तथा रक्त का थक्का नहीं बनने देते।
- किसी रोगी की प्रकृति का निर्धारण करने के लिये एक आयुर्वेद चिकित्सक द्वारा रोगी का एक घंटे तक साक्षात्कार लेना आवश्यक होता है। परन्तु अब वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकृति के व्यक्तियों की पहचान करने के लिये एक सॉफ्टवेयर को विकसित किया जा चुका है।

आगे की राह

- रिवर्स औषधविज्ञान अनुसंधान: आयुर्वेद में एक बहुत ही रोचक शोध विकास रिवर्स औषधविज्ञान अनुसंधान (Reverse Pharmacology) की वैचारिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिसे मुंबई के एक आयुर्वेद शोधकर्ता ने तैयार किया था।
- ◆ इसके द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों को बीमारियों की बदलती प्रकृति के अनुसार विकसित करने के लिये प्रलेखित नैदानिक अनुभवों और अनुभवात्मक टिप्पणियों को समेकित कर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अंग के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव: भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership- PPP) मोड (Mode) में एक दूरदर्शी अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के रूप में इसे शुरू किया गया।
- ◆ भारत सरकार की ओर से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा इस कार्यक्रम का प्रबंधन किया जाता है।
- ◆ इसका उद्देश्य पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की सहायता से सभी प्रमुख क्षेत्रों में तकनीकी विकास के माध्यम से भारत को एक नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान करना है।
- ◆ वैश्विक स्तर पर भारत के लिये आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली सक्षम औद्योगिक क्षमता वाला एक क्षेत्र है।
- केरल मॉडल का अनुसरण: केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ आयुर्वेद स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान रखता है।

- ◆ केरल सरकार राज्य की आम जनता के प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के उपाय के रूप में आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहा है। यह आयुर्वेदिक संघटकों को प्रोत्साहन देता है और अपनी आबादी के सभी आयु वर्ग की जनसांख्यिकी के लिये आयुर्वेद प्रथाओं की सिफारिश करता है।
- ◆ केरल मॉडल को COVID-19 महामारी का मुकाबला करने में अपनी प्रभावशीलता के लिये दुनिया भर में सराहना मिली है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य दल: आतंकी वित्तपोषण पर लगाम

संदर्भ

जून 2020 में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF) की पूर्ण बैठक चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में पाकिस्तान को दुनिया से अलग-थलग करने और आतंकवाद को मिल रहे पाकिस्तानी संरक्षण को साबित करने में भारतीय कूटनीतिक प्रयास को एक और सफलता प्राप्त हुई है। वैश्विक स्तर पर आतंकी संगठनों पर नज़र रखने वाली संस्था FATF की बैठक में निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तान अभी 'ग्रे लिस्ट' में ही बरकरार रहेगा।

लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के वित्त के स्रोत को बंद करने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान पूर्व की भांति FATF की 'ग्रे लिस्ट' में बना हुआ है। पाकिस्तान को पहले आतंकी फंडिंग नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट्स के खिलाफ 27-पॉइंट एक्शन प्लान का अनुपालन सुनिश्चित करने या "ब्लैक लिस्टिंग" का सामना करने के लिये जून 2020 तक की समय सीमा दी गई थी। हालाँकि वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण यह समयसीमा बढ़ाकर अक्टूबर, 2020 कर दी गई है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल

- FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादियों को वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को बचाए रखने से जुड़े खतरों से निपटना है।
- इन खतरों से निपटने के लिये यह मंच नीतियाँ बनाता है साथ ही यह संस्था इन खतरों से निपटने के लिये कानूनी विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देती है।
- FATF एक नीति निर्माण निकाय है जो मनी लांड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है।
- यह टास्क फोर्स धनशोधन और टेरर फंडिंग का सामना करने के लिये मानक निर्धारित करती है, नीतियाँ बनाती है और उन नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है।

FATF का गठन

- बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय संस्थानों के सामने मौजूदा खतरों को देखते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया गया था।
- FATF का गठन वर्ष 1989 में जी-7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था।
- शुरुआत में FATF का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। वर्ष 2001 में इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया।
- इसके कार्यक्षेत्र में आतंकी फंडिंग को रोकना भी शामिल हो गया। इसके बाद से FATF आतंकी फंडिंग पर रोक के लिये नीतियाँ बनाती है और उनके प्रभावी अमल पर भी नज़र रखती है।

सदस्य देश

- प्रारंभ में FATF में 16 सदस्य देश शामिल थे। वर्ष 1991 और वर्ष 1992 में इसका दायरा बढ़ा और सदस्यता 28 तक पहुँच गई।
- वर्ष 2000 तक इसकी सदस्यता 31 तक पहुँच गई। फिलहाल FATF में कुल 37 सदस्य देश हैं। इनमें 37 सदस्य देशों के साथ 2 क्षेत्रीय संस्थाएँ यूरोपियन कमीशन (European Commission) और गल्फ ऑफ को-ऑपरेशन कौंसिल (Gulf Co-operation Council) भी शामिल हैं।
- यह कार्य दल दुनिया के सबसे प्रमुख वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करती है।

- भारत वर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया और सऊदी अरब इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हैं।
- FATF का अध्यक्ष सदस्य देशों में से ही एक वर्ष के कार्यकाल के लिये चुना जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले वर्ष 30 जून को समाप्त होता है।
- अध्यक्ष ही FATF प्लैनरी की बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है। FATF की निर्णय निर्माण संस्था FATF प्लैनरी है जिसकी हर साल तीन बार बैठक होती है।
- इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन के मुख्यालय में स्थित है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

- मनी लॉर्डिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने के लिये FATF ने सिफारिशों का एक सेट तैयार किया है जिसे इन चुनौतियों से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानक के तौर पर पहचान मिली है।
- पहली बार FATF ने 1990 में सिफारिशें जारी कीं जिसमें वर्ष 1996, 2001, 2003 और 2012 में संशोधन किया गया जिससे कि बदलते हालात में इन नीतियों की प्रासंगिकता बनी रहे।
- FATF, नीतियों के अमल की निगरानी करती है। इसका कार्य यह देखना है कि दुनिया के तमाम देश उन उपायों को अपना रहे हैं या नहीं जिससे मनी लॉर्डिंग और आतंकी फंडिंग पर रोक लग सके।
- FATF ने मनी लॉर्डिंग और आतंकी फंडिंग के खतरे से निपटने के लिये 40 सुझावों के साथ ही 9 विशेष सुझाव दिये हैं। दुनिया के तमाम देशों ने इन सुझावों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तौर पर स्वीकार किया है। इन चुनौतियों से निपटने में ये सुझाव काफी कारगर साबित हुए हैं।

FATF द्वारा जारी सूचियाँ

- FATF द्वारा 2 प्रकार की सूचियाँ जारी की जाती हैं-
 - ◆ ग्रे लिस्ट: 'ग्रे लिस्ट'का मतलब यह है कि जिस देश पर संदेह होता है कि वह ऐसी कार्यवाही नहीं कर रहा है जिससे कि आतंकवादी संगठन को फंडिंग न हो तो उसे 'ग्रे लिस्ट' में रखा जाता है।
 - ◆ ब्लैक लिस्ट: यदि यह साबित हो जाए कि किसी देश से आतंकी संगठन को फंडिंग हो रही है और जो कार्यवाही उसे करनी चाहिये वह नहीं कर रहा है तो उसका नाम 'ब्लैक लिस्ट' में डाल दिया जाता है।

ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के मायने

- यदि किसी देश को काली सूची में डाल दिया जाता है तो उस देश को आर्थिक मोर्चे पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अन्य देश निवेश करना बंद कर देंगे। उस देश को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मिलना बंद हो जाएगा।
- विदेशी कारोबारियों और बैंकों का उस देश में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ काली सूची में शामिल देश से अपना कारोबार समेट सकती हैं।
- काली सूची में शामिल देश को विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) और यूरोपियन यूनियन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋज मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा मूडीज़, स्टैंडर्ड एंड पूअर और फिंट जैसी कंपनियाँ उसकी रेटिंग भी घटा सकती हैं।

FATF की चेतावनी

- जून में आयोजित वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की पूर्ण बैठक में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के अधिकारियों ने आतंकी वित्त-पोषण के रोकथाम हेतु एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।
- FATF ने COVID-19 से संबंधित अपराधों में वृद्धि देखी, जिनमें धोखाधड़ी, साइबर-अपराध, सरकारी धन या अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता का दुरुपयोग आदि शामिल है।

- पाकिस्तान उन आतंकी संगठनों को जो कि खासकर सिर्फ भारत में आतंक फैलाते हैं और मासूम लोगों की हत्या करते हैं, उन्हें आतंकी संगठन मानने से इनकार करता रहा है। इनमें जमात-उल-दावा और उसका प्रमुख हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद और उसका प्रमुख मसूद अजहर समेत तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के कई बड़े आतंकी शामिल हैं।
- ये आतंकी संगठन खुलेआम लोगों से फिरौती वसूलते हैं, इनकी खुलेआम रैलियाँ होती हैं और इन रैलियों में ऐसी बातें की जाती हैं जो लोगों को चरमपंथ की तरफ धकेलती हैं।
- आतंकी फंडिंग पर पाकिस्तान के दावे और हकीकत में अंतर साफ देखा जा सकता है। समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान कुछ कदम उठाता रहा है। इन संगठनों के नेता नजरबंद होते हैं, दफ्तर बंद हो जाते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद वही चेहरे फिर नजर आने लगते हैं, गतिविधियाँ भी वहीं होती हैं, बस संगठन का नाम बदल जाता है।
- इस बार की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि हमेशा पाकिस्तान को कार्रवाई से बचाने वाले चीन और सऊदी अरब ने भी 'ग्रे लिस्ट' से बाहर आने की उसकी मांग का समर्थन नहीं किया।
- फिलहाल उत्तर कोरिया और ईरान को इस संस्था ने ब्लैक लिस्ट में डाला है।

निष्कर्ष

पाकिस्तान को पहले आतंकी फंडिंग नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट्स के खिलाफ 27-पॉइंट एक्शन प्लान का अनुपालन सुनिश्चित करने या "ब्लैक लिस्टिंग" का सामना करने के लिये जून 2020 तक की समय सीमा दी गई थी। हालाँकि वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण यह समयसीमा बढ़ाकर अक्टूबर, 2020 कर दी है। सर्वविदित है कि आतंकवाद वैश्विक आपदा है और इसका सामना भी वैश्विक एकजुटता के बिना नहीं किया जा सकता। FATF के प्रयास सराहनीय हैं किंतु सराहनीय परिणाम प्राप्त करना अभी बाकी है, यह तब तक नहीं हासिल हो सकता जब तक आतंकवाद की जड़ पर सतत वार नहीं किया जाता।

चीन-ईरान रणनीतिक साझेदारी: भारत की चिंताएँ

संदर्भ

लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीति को लेकर कई देशों की आलोचना झेल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अलग-थलग पड़ रहे चीन ने अब मध्य-पूर्व में ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया है। चीन का यह मानना है कि दोनों देशों के बीच काफी समानताएँ हैं और उनके हित भी एक-दूसरे के पूरक हैं।

विदित है कि चीन और ईरान दोनों का संयुक्त राज्य अमेरिका से टकराव चल रहा है। जहाँ चीन ऊर्जा का बड़ा बाजार है और आर्थिक रूप से अत्यधिक संपन्न है तो वहीं दूसरी ओर ईरान आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ऊर्जा का बड़ा निर्यातक भी है। चीन और ईरान दोनों ही अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहे हैं, ऐसे में दोनों देश संभावित 400 अरब डॉलर की रणनीतिक-आर्थिक साझेदारी के जरिये अपने संबंधों को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं।

इस आलेख में ईरान-चीन संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ईरान-चीन के मध्य आधुनिक कूटनीति, ईरान के प्रति अमेरिका का नकारात्मक व्यवहार, भारत के लिये ईरान का महत्त्व तथा भारत के हितों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- ईरान और चीन के मध्य संबंध लगभग 200 ईसा पूर्व के आस-पास विकसित हुए, जब पार्थियन (Parthian) और ससानिद (Sassanid) साम्राज्य (वर्तमान ईरान और मध्य एशिया) तथा चीन के हान, तांग, सांग, युआन और मिंग राजवंशों के बीच नागरिक संपर्क स्थापित हुआ था।
- प्रथम शताब्दी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क का शासनकाल चीन व भारत के मध्य बौद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के आदान-प्रदान का केंद्र बना। इस दौरान कई ईरानी अनुवादक संस्कृत सूत्रों का चीनी भाषा में अनुवाद कर रहे थे।
- 14वीं सदी के चीनी अन्वेषक झेंग हे (Zheng He) जो मिंग राजवंशीय नौसेना के जनरल थे, और एक मुस्लिम परिवार से संबंधित थे, उनके बारे में यह किंवदंती है कि वह फारसी वंश से संबंधित थे। उन्होंने अपनी सामुद्रिक यात्रा अभियानों में भारत और फारस की भी यात्राएँ की। उनके यात्रा अवशेषों में चीनी-तमिल-फारसी शिलालेख भी पाए गए थे।

- वर्ष 1289 में मंगोल सम्राट कुबलाई खान (Kublai Khan) ने बीजिंग में एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहाँ फारसी कार्यों का चीनी भाषा में अनुवाद किया जाता था।

आधुनिक कूटनीतिक संबंध

- ईरान और चीन के बीच आधुनिक राजनयिक संबंध लगभग 50 वर्ष पुराने हैं। अक्टूबर 1971 में फारसी साम्राज्य के 2500 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में चीन को भी आमंत्रित किया गया था।
- वर्ष 1979 में हुई ईरान की इस्लामिक क्रांति से पूर्व चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता हुआ गुओफेंग (Hua Guofeng) ने वर्ष 1978 में शाह रजा पहलवी के शासनकाल के दौरान ईरान का दौरा किया। इसके बाद ईरान व चीन के संबंधों में एक-दूसरे के प्रति कटुता की भावना में कमी आई।
- ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद स्थापित नई सरकार को चीन ने शीघ्र ही मान्यता प्रदान कर दी, जिससे दोनों देशों के मध्य आपसी संबंधों में विश्वास का संचार हुआ और निकटता भी स्थापित हुई।

रणनीतिक साझेदारी के संभावित प्रावधान

- समझौते के अनुसार चीन, ईरान के तेल और गैस उद्योग में लगभग 280 अरब डॉलर का निवेश करेगा।
- चीन सरकार ईरान में उत्पादन और परिवहन के आधारभूत ढाँचे के विकास के लिये भी लगभग 120 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी।
- चीन हाईस्पीड इंटरनेट की 5G तकनीक के लिये अवसंरचना विकसित करने में ईरान की सहायता करेगा।
- ईरान, चीन को अगले 25 वर्षों तक नियमित रूप से बेहद सस्ती दरों पर कच्चा तेल और गैस मुहैया कराएगा।
- बैंकिंग, दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे और कई अन्य ईरानी परियोजनाओं में चीन बड़े पैमाने पर अपनी भागीदारी बढ़ाएगा।
- ईरान में चीन द्वारा विकसित की जाने वाली परियोजनाओं की सुरक्षा हेतु चीनी सेना के 5000 सैनिकों की तैनाती का भी प्रस्ताव है।
- दोनों देश आपसी सहयोग से साझा सैन्य अभ्यास और शोध व अनुसंधान का कार्य करेंगे।
- चीन और ईरान मिलकर हथियारों का निर्माण करेंगे और एक-दूसरे से गोपनीय जानकारी भी साझा करेंगे।

दोनों देशों के लिये है लाभदायक

- चीन उस ईरान का सहयोगी बन रहा है जिसकी खिलाफत संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे शक्ति संपन्न देश कर रहे हैं। वैदेशिक मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उस पर जिस तरह से 'अधिकतम दबाव' बनाया था वो इस समझौते के कारण काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगा।
- आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान में विदेशी निवेश लगभग ठप पड़ा है। ऐसे में इस आर्थिक-रणनीतिक साझेदारी के कारण ईरान में विदेशी निवेश, तकनीक और विकास को गति मिलेगी।
- इसके अलावा रक्षा मामलों में चीन की स्थिति काफी मजबूत है, इसलिये चाहे रक्षा उत्पादों के माध्यम से हो या सामरिक क्षमता के, चीन दोनों तरह से ईरान की सहायता कर सकता है।
- वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक देश चीन को ईरान से बेहद सस्ती दरों पर तेल और गैस प्राप्त होगा।
- चीन के लिये ईरान इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसकी वन बेल्ट वन रोड परियोजना को सफल बनाने में सहायक साबित हो सकता है।

ईरान के प्रति अमेरिका की नकारात्मक रणनीति

- दोनों देशों के बीच तनाव में वृद्धि सा समय हुई जब अमेरिका ने ईरान के साथ किये परमाणु समझौते (संयुक्त कार्रवाई व्यापक योजना-Joint Comprehensive Plan Of Action-JCPOA) से अपने को अलग कर लिया था।
- इस समझौते में अमेरिका के सहयोगी देशों ने शुरू में तो इसे राष्ट्रपति ट्रंप की हठधर्मिता बताते हुए अलग हटने से इनकार किया था, लेकिन बाद में विभिन्न प्रतिबंधों के मद्देनज़र अमेरिकी नीति का अनुसरण करने में ही अपनी भलाई समझी।

- ईरान यह मानता है कि अमेरिका लंबे समय से उसे परमाणु हथियार बनाने की आड़ में विवाद में फँसाकर उस पर हमला करने की तैयारी में है। ठीक ऐसा ही उसने इराक के साथ किया था, जब इराक पर जैविक हथियार बनाने का आरोप लगाकर उस पर हमला किया गया, लेकिन बाद में इराक के पास जैविक हथियार जैसा कुछ नहीं मिला।
- एक अनुमान यह भी जताया जा रहा है कि इराक की तरह ही ईरान के तेल पर भी अमेरिका कब्जा करना चाहता है, लेकिन यह इसलिये संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि ईरान के साथ रूस खड़ा है और चीन भी अमेरिका के खिलाफ है। ऐसे में ईरान पर सैन्य आक्रमण करना आसान नहीं है।
- वर्ष 2020 के प्रारंभ में अमेरिका ने ईरान की कुर्द फोर्स के प्रमुख और इरानी सेना के शीर्ष अधिकारी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी सहित सेना के कई अन्य अधिकारियों को बगदाद हवाई अड्डे के बाहर हवाई हमले में मार गिराया था। इस घटना के बाद से ईरान व अमेरिका के मध्य तनाव अपने चरम पर दिखाई दे रहा है।
- ऐसी स्थिति में ईरान को अमेरिका के विरुद्ध एक शक्तिशाली साझेदारी की आवश्यकता थी।

भारत के लिये ईरान का महत्त्व

- भारत और ईरान के बीच सामाजिक, आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग का इतिहास काफी पुराना है।
- दोनों देशों का सालाना द्विपक्षीय व्यापार करीब 2 हजार करोड़ डॉलर है। ईरान जहाँ भारत की ऊर्जा जरूरतों के बड़े हिस्से को पूरा करता है, वहीं भारत द्वारा ईरान को दवा, भारी मशीनरी, कल-पुर्जे और अनाज का निर्यात किया जाता है।
- सामरिक तौर पर दोनों देश एक-दूसरे के पुराने सहयोगी हैं। अफगानिस्तान, मध्य एशिया और मध्य-पूर्व में दोनों देशों के साझा सामरिक हित भी हैं।
- ईरान की राजधानी तेहरान में दूतावास के अलावा जाहिदाद और बंदरअब्बास शहर में भारत के वाणिज्य मिशन हैं।
- भारतीय कंपनियाँ ईरान में कारोबार की बड़ी संभावनाएँ देखती हैं। ईरान के तेल रिफाइनरी, दवा फर्टिलाइजर और निर्माण क्षेत्र में भारतीय कंपनियाँ पैसा लगा रही हैं।
- ईरान के रास्ते भारत मध्य एशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और अफगानिस्तान में आसानी से दाखिल हो सकेगा।
- भारत के सहयोग से चाबहार बंदरगाह का भी विकास किया गया है। भारत के लिये चाबहार बंदरगाह का आर्थिक महत्त्व है जिसके द्वारा वह ग्वादर में होने वाली घटनाओं पर नज़र रख सकता है।

भारत पर पड़ने वाले प्रभाव

- विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और ईरान के बीच यह समझौता भारत के लिये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।
- भारत, ईरान में चाबहार बंदरगाह को विकसित करना चाहता है और इस बंदरगाह को पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर बंदरगाह का प्रति उत्तर माना जा रहा था।
- चाबहार बंदरगाह भारत के लिये व्यापारिक और रणनीतिक रूप से (भारत के लिये मध्य एशिया का द्वार) भी महत्त्वपूर्ण है। ऐसे में यहाँ पर चीन की उपस्थिति भारतीय निवेश व सुरक्षा के लिये मुश्किलें पैदा कर सकती हैं।
- इस साझेदारी की वजह से भारत के लिये स्थिति अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब बनाम ईरान, चीन जैसी हो सकती है। ऐसे में भारत के लिये दोनों गुटों के मध्य संतुलन स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।
- ईरान में चीन का निवेश बढ़ने से भारतीय कामगारों का हित नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत को प्राप्त होने वाले रেমिटेंस पर पड़ेगा।
- चीन की ईरान में उपस्थिति भारत की मध्य एशिया तक होने वाली पहुँच को बाधित कर सकती है।
- भविष्य में यदि भारत व चीन के मध्य युद्ध के हालात उत्पन्न होते हैं तो चीन, फारस की खाड़ी व होर्मुज की खाड़ी से भारत को होने वाली कच्चे तेल की आपूर्ति को भी प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह

- सर्वप्रथम भारत को ईरान में चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य करना होगा, जिससे ईरान समेत सभी खाड़ी देशों को यह संदेह जाएगा कि भारत अपनी परियोजनाओं के प्रति गंभीर एवं पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।
- अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिये होने वाले निर्वाचन के उपरांत भारत को ईरान से कच्चे तेल के आयात को पुनः प्रारंभ करना चाहिये ताकि दोनों देशों के मध्य एक-दूसरे के प्रति विश्वास की कमी दूर हो सके।
- भारत को चीन के साथ अपने विवादों के समाधान के लिये शांतिपूर्ण सहस्तिव्व की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिये।

भारत-ब्रिटेन: गतिशील संबंधों का दौर

संदर्भ

जनवरी 2020 में ब्रिटिश संसद और यूरोपीय यूनियन की संसद ने ब्रेक्जिट (Brexit) समझौते पर अपनी अनुमति दी थी। ब्रेक्जिट समझौते के बाद भारत-ब्रिटेन संबंधों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ना तय है। भारत, ब्रिटेन का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भी है। वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान दोनों देशों के मध्य स्वास्थ्य को लेकर अभूतपूर्व सहयोग देखा जा रहा है। पूरे विश्व में COVID-19 की विभीषिका के बीच इसकी वैक्सीन को लेकर परीक्षण तेज हो गए हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी व सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा सम्मिलित रूप से COVID-19 की वैक्सीन से संबंधित सबसे बड़ा ट्रायल प्रारंभ हो चुका है।

उल्लेखनीय है कि ब्रेक्जिट के बाद भारत के साथ नई आर्थिक साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन सरकार द्वारा पुख्ता नींव रखने के साथ ही भारत के साथ उसके संबंध वर्ष 2017 में तब और मजबूत हुए, जब इसे ब्रिटेन-भारत सांस्कृतिक वर्ष के रूप में मनाया गया।

पृष्ठभूमि

- स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता और गैर-उपनिवेशवादी अवधारणा की वकालत की, जबकि ब्रिटेन ने शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका के साथ गठबंधन किया। इस प्रकार प्रारंभ में भारत और ब्रिटेन राजनीतिक और वैचारिक रूप से एक-दूसरे के विपरीत सिरे पर थे।
- वस्तुतः द्विपक्षीय रूप से भारत-ब्रिटेन संबंध वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध तक अच्छे रहे परंतु युद्ध के बाद, पाकिस्तान के प्रति ब्रिटेन के सहानुभूति भरे रुख के कारण दोनों देशों के संबंधों में गिरावट आई। शीतयुद्ध की समाप्ति तक संबंधों में यह गिरावट जारी रही।
- शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों देशों के संबंधों में सकारात्मक बदलाव आए और तब से द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर वृद्धि देखी गई है।
- वर्ष 2004 में दोनों देशों ने सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। वस्तुतः वर्ष 1995 के बाद से ही दोनों देशों के बीच रक्षा सलाहकार समूह का गठन किया जा चुका था।
- नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने तीन दिवसीय ब्रिटेन का दौरा किया। इस दौरान सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिये रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संधि पर सहमति व्यक्त की गई। ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग हेतु एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जो जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिये सहयोग सुनिश्चित करने पर केंद्रित था।
- नवंबर 2016 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे (Theresa May) ने भारत का दौरा किया था। उस समय यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिये प्रयासरत था, और उसे व्यक्तिगत तौर पर भारत से अपने संबंधों को पुनर्स्थापित करना था।

ब्रेक्जिट

- ब्रिटेन सबसे पहले वर्ष 1973 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी (European Economic Community-EEC) में शामिल हुआ था। उस दौर में यूरोपीय संघ को यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से जाना जाता था।
- EU में शामिल होने के कुछ ही वर्षों में ब्रिटेन के कुछ नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया और यह मांग की कि जनमत संग्रह (Referendum) के माध्यम से तय किया जाए कि ब्रिटेन EU में रहेगा या नहीं।
- अगले 30 वर्षों तक इस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ, परंतु वर्ष 2010 में घटनाक्रम में कुछ ऐसे बदलाव हुए कि जनमत संग्रह की मांग तेज होने लगी।

- ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि वर्ष 2010 से 2015 के बीच सत्ता में रही, ने एक चुनावी वादा किया कि यदि कंजर्वेटिव पार्टी पुनः सत्ता में आती है तो वह सर्वप्रथम जनमत संग्रह कराएगी कि ब्रिटेन को EU में रहना चाहिये या नहीं।
- चुनाव जीतने के बाद डेविड कैमरून पर वादा पूरा करने का दबाव पड़ने लगा और जून 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया जिसमें 52 प्रतिशत लोगों ने ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया, जबकि 48 प्रतिशत लोगों ने ब्रेक्जिट के विपक्ष में मतदान किया और कंजर्वेटिव पार्टी के लिये ब्रेक्जिट का रास्ता साफ हो गया।

भारत-ब्रिटेन के मध्य सहयोग के क्षेत्र

- संस्थागत संवाद तंत्र: भारत और ब्रिटेन के बीच कई द्विपक्षीय संवाद तंत्र मौजूद हैं, जिनमें राजनीतिक, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा रक्षा आदि क्षेत्रों की एक विस्तृत रूपरेखा शामिल है।
- व्यापार: ब्रिटेन, भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से है और वर्ष 2014-15 के दौरान ब्रिटेन भारत के शीर्ष 25 व्यापारिक भागीदारों की सूची में 18वें स्थान पर था। भारत, ब्रिटेन को वस्त्र, मशीनरी और उपकरण, पेट्रोलियम उत्पाद, और चमड़े जैसे उत्पादों का निर्यात करता है। पिछले तीन वर्षों (2015-2018) के दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच कुल व्यापार में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- निवेश: मॉरीशस व सिंगापुर के बाद ब्रिटेन, भारत में तीसरा सबसे बड़ा आवक निवेशक है।
- शिक्षा: शिक्षा भारत-ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले 10 वर्षों में भारत-यूके एजुकेशन फोरम (India-UK Education Forum), यूके-इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव (UK-India Education and Research Initiative) जैसे द्विपक्षीय तंत्र की सहायता से दोनों देशों के संबंध काफी प्रगाढ़ हो गए हैं।
- भारतीय छात्र: ब्रिटेन पारंपरिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिये एक पसंदीदा स्थान रहा है। वर्तमान में लगभग 20,000 भारतीय छात्र ब्रिटेन में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं।
- सांस्कृतिक संबंध: भारत और ब्रिटेन के बीच सांस्कृतिक संबंध गहरे और व्यापक हैं, जो दोनों देशों के बीच साझा सांस्कृतिक इतिहास से उत्पन्न हुए हैं। दोनों देशों की संस्कृति, व्यंजन, सिनेमा, भाषा, धर्म, दर्शन, प्रदर्शन कला आदि एक-दूसरे के पूरक बन गए हैं।
- इंडियन डायस्पोरा: ब्रिटेन में इंडियन डायस्पोरा देश के सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, ब्रिटेन में भारतीय मूल के लगभग 1.5 मिलियन लोगों की आबादी है जो ब्रिटेन की कुल आबादी की लगभग 1.8 प्रतिशत है। भारतीय डायस्पोरा ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत का योगदान करता है।
- भू-राजनीतिक महत्व: हिंद महासागर की पहचान दोनों देशों के बीच निकट रक्षा और सुरक्षा सहयोग के लिये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की पूर्ण सदस्यता के लिये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्रिटेन के समर्थन की आवश्यकता है।

क्यों जरूरी है ब्रिटेन के लिये भारत ?

- ब्रेक्जिट के निर्णय के बाद भारत-ब्रिटेन संबंधों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ना तय है। भारत ब्रिटेन का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है।
- ब्रिटेन की कुल जीडीपी में प्रवासी भारतीयों का लगभग 6% योगदान है। इन सबके बावजूद भारत-ब्रिटेन का व्यापार काफी कम है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
- ब्रिटेन कारों पर आयात कर कम करने के साथ ही वित्तीय सेवाओं और कानूनी फर्मों के भारत में प्रवेश की मांग करता रहा है, लेकिन भारत को अपने हितों पर भी ध्यान देना होगा।
- यूरोपीय संघ से बाहर होने के बाद ब्रिटेन का इससे व्यापार कम हो जाएगा और इसकी क्षतिपूर्ति हेतु ब्रिटेन भारत से व्यापार बढ़ाने को उत्सुक है।

द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाले मुद्दे

- प्रवासी भारतीयों पर प्रभाव: ब्रिटेन में बड़ी संख्या में भारतीय डायस्पोरा ने ब्रेक्जिट के खिलाफ मतदान किया था क्योंकि यह संभावना थी कि ब्रिटेन में भारतीय आईटी पेशेवरों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा जब ब्रिटेन अधिक संख्या में ब्रिटिश पेशेवरों की नियुक्ति करेगा।
- व्यापार पर प्रभाव: यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते का पालन करना ब्रिटेन के लिये प्राथमिकता नहीं होगी। ब्रिटेन प्रारंभ में व्यापार के लिये मौजूदा बाधाओं से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन भारत को ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन में व्यापार के अंतर को भरने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिये।

- भारत-यूरोपीय संघ संबंधों पर प्रभाव: भारत-यूरोपीय संघ के मध्य 72.5 बिलियन यूरो का व्यापार होता है, जिसमें 19.4 बिलियन यूरो का व्यापार अकेले ब्रिटेन के साथ होता था। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद व्यापार का एक बड़ा भाग प्रभावित हो जाएगा। ब्रेक्जिट भारत व यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी के लिये एक चुनौती है, लेकिन भारत को ब्रिटेन के बिना यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी।
- वीजा और आब्रजन: ब्रिटेन का मानना है कि यहाँ पर 1 लाख से अधिक अवैध भारतीय प्रवासी हैं। ब्रिटेन ने भारत सरकार पर यह सुनिश्चित करने के लिये दबाव डालना प्रारंभ कर दिया है कि जिन भारतीयों को ब्रिटेन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें भारत वापस भेजा जाए।
- पाकिस्तान के साथ ब्रिटेन के संबंध: पाकिस्तान के साथ ब्रिटेन के मौजूदा संबंध भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा संबंध बनाने की प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं। कुछ भारतीय रक्षा विशेषज्ञ ब्रिटेन को पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखने वाले देश के रूप में देखते हैं।
- चीन के साथ ब्रिटेन के घनिष्ठ संबंध: संसदीय जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत को चीन जैसे गैर-लोकतांत्रिक देश की तुलना में कठिन वीजा मानदंडों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटेन को यह सुनिश्चित करने के लिये ध्यान रखना चाहिये कि चीन के साथ मजबूत संबंध भारत के साथ गहरी साझेदारी को हानि पहुँचाने की कीमत पर नहीं होने चाहिये।

निष्कर्ष

दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में साझा मूल्यों, समान कानूनों और संस्थानों के आधार पर, अपनी रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की ब्रिटेन और भारत की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा है। दोनों देश वैश्विक दृष्टिकोण और एक नियम-आधारित ऐसी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के प्रति वचनबद्धता का हिस्सा हैं जो उन एक तरफा उठाए गए कदमों का जोरदार विरोध करती हैं जो बल के माध्यम से इस प्रणाली को कमजोर करना चाहते हैं। दोनों देश अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिये प्रतिबद्ध हैं, जिसका विस्तार समूचे विश्व में हो। दोनों देश अपने व्यावसायिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को उन अनेकानेक गतिविधियों का पूरा लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित करते हैं जो भारत और ब्रिटेन को पारिवारिक स्तर से लेकर वित्तीय व्यवस्था तथा व्यवसाय से लेकर बॉलीवुड तक और खेल से लेकर विज्ञान तक परस्पर जोड़ते हैं।

संसदीय बनाम अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली

संदर्भ

भारत का संविधान न तो ब्रिटेन की संसद से पारित हुआ और न ही यह किसी धर्म संहिता पर आधारित है। भारत के लोगों के संकल्प की प्रतिनिधि संस्था 'संप्रभु संविधान सभा' ने संविधान का निर्माण किया है, जिसकी प्रस्तावना ने हमारी आगे की दिशा तय की। संविधान सभा में काफी सोच-विचार और बहस-मुबाहिसे के बाद शासन की संसदीय व्यवस्था चुनी गई। केंद्र व राज्य दोनों ही स्तर पर शासन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत केंद्र में तथा अनुच्छेद 163 और 164 के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

भारत में शासन की संसदीय प्रणाली का चयन किया गया क्योंकि यह भारतीय संदर्भ में अधिक मुफीद और कारगर थी। इसका चयन करते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व की जगह जवाबदेही को महत्त्व दिया, परंतु वर्तमान में राजनीतिक दलों का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना रह गया है। विधायी सदनों का कामकाज काफी लंबे समय से घटा है। बहस की गुणवत्ता लगातार घटी है। राजस्थान विधानसभा इस तथ्य का ज्वलंत उदाहरण है। इन घटनाओं से कुछ विशेषज्ञों ने भारत में अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया है।

इस आलेख में संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा।

संसदीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य

- संसदीय प्रणाली (parliamentary system) लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
- इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक-दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया (राष्ट्रपति) तथा सरकार का मुखिया (प्रधानमंत्री) अलग-अलग व्यक्ति होते हैं।
- भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है।
- संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है, हालाँकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति होता है लेकिन देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है।

सरकार के गठन की प्रक्रिया

- भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 बेहद महत्वपूर्ण हैं।
- ◆ अनुच्छेद 74: अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं।
- ◆ अनुच्छेद 75: प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है; वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(i) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।

संसदीय प्रणाली की विशेषताएँ

- बहुमत प्राप्त दल का शासन: आम (लोकसभा) चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है। भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करते हैं। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और शेष मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं।
- लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व: मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसद का निम्न सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को बर्खास्त कर सकता है। जब तक सरकार को लोकसभा में बहुमत रहता है तभी तक सरकार को सदन में विश्वास प्राप्त रहता है।
- नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका: भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है।
- केंद्रीय नेतृत्व: संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं। वे मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं।
- दोहरी सदस्यता: मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका व कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं।
- द्विसदनीय विधायिका: संसदीय प्रणाली वाले देशों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था को अपनाया जाता है। भारत में भी लोकसभा (निम्न सदन) तथा राज्यसभा (उच्च सदन) की व्यवस्था की गई है।
- स्वतंत्र लोक सेवा: संसदीय प्रणाली में मेधा आधारित चयन प्रक्रिया के आधार पर लोक सेवकों की स्थायी नियुक्ति की जाती है।
- गोपनीयता: संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों को कार्यवाहियों, कार्यकारी बैठकों, नीति-निर्माण आदि मुद्दों पर गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है।

संसदीय शासन व्यवस्था के दोष

- अस्थायित्व: संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल तो 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु वह कार्य तभी तक कर सकती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, अर्थात् यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास खो देती है तो उसे सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है।
- नीतिगत निरंतरता का अभाव: संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की प्रकृति अस्थायी होती है, परिणामस्वरूप नीतियों में निरंतरता का अभाव रहता है।
- शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है।
- अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन: संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य लोकप्रियता के आधार पर चुने जाते हैं, उनके पास विशेष ज्ञान का अभाव होता है।
- गठबंधन की राजनीति: संसदीय शासन व्यवस्था ने अस्थिर गठबंधन सरकारों का भी निर्माण किया है। इसने सरकारों को सुशासन की व्यवस्था करने के बजाय सत्ता में बने रहने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिये बाधित किया है।
- राजनीति का अपराधीकरण: संसदीय शासन प्रणाली में अपराधी प्रवृत्ति के लोग धनबल व बाहुबल का प्रयोग कर कार्यपालिका का हिस्सा बन रहे हैं।

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से तात्पर्य

- लोकांत्रिक शासन व्यवस्था की अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में प्रायः राज्य का प्रमुख (राष्ट्राध्यक्ष) सरकार (कार्यपालिका) का भी अध्यक्ष होता है।

- अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिये विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है।
- अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक-दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होते हैं।

अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएँ

- स्थायित्व: अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, परिणामस्वरूप कार्यपालिका निर्धारित समय तक अपना कार्य करती है।
- नीतियों में निरंतरता: अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका निश्चित समय तक अपना कार्य करती है जिससे उसकी नीतियों में निरंतरता बनी रहती है।
- शक्तियों का स्पष्ट विभाजन: अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है परिणामस्वरूप लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में एक-दूसरे का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होता है।
- विशेषज्ञों द्वारा शासन: अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा अपनी कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करते समय उनकी विशेषज्ञता को अत्यधिक महत्त्व देता है।
- राजनीति का अपराधीकरण नहीं: अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव लोकप्रियता, धनबल व बाहुबल के आधार पर नहीं होता है बल्कि उनकी विशेषज्ञता के आधार पर होता है, जिससे राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं पहुँच पाते हैं।
- राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय निर्णयन: अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति व उसकी कार्यपालिका राजनीतिक दबाव और गठबंधन धर्म जैसी बाधाओं से मुक्त होती है। वह अपने निर्णय स्वयं करता है और उन्हें कार्यपालिका के माध्यम से कार्यान्वित करता है।

अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली के दोष

- उत्तरदायित्व का अभाव: अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, जिससे कार्यपालिका जन सरोकार को ध्यान न देकर व्यावसायिक हितों को महत्त्व दे सकती है।
- निरंकुशता की संभावना: अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करता है तथा कार्यपालिका किसी भी प्रकार से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है, जिससे राष्ट्रपति के निरंकुश होने की संभावना रहती है।
- शासन में व्यापकता का अभाव: अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, जिससे इस व्यवस्था में संपूर्ण देश के प्रतिनिधित्व का अभाव रहता है।
- विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव: चूँकि अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य का अभाव होता है इसलिये लोकतंत्र के इन दो स्तंभों में टकराव की संभावना बनी रहती है।

संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण

- व्यवस्था से निकटता: संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटिश काल के दौर से भारत में मौजूद थी। परिणामस्वरूप भारत संसदीय व्यवस्था से परिचित था। स्वतंत्रता के बाद यदि अन्य शासन व्यवस्था को अपनाते तो उस व्यवस्था को समझने में काफी समय लगता।
- उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था: प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ के.एम. मुंशी के अनुसार, भारत ने संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता के सिद्धांत का समावेश किया है, जिससे यह व्यवस्था भारतीय जन मानस के अनुकूल हो चुकी थी।
- विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य का प्रावधान: संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य का प्रावधान मौजूद था, जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल था क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी थी।
- भारतीय समाज की प्रकृति: भारत विश्व में सर्वाधिक विविधता वाला समाज था। इसलिये संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में प्रत्येक वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में विभेद

- भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। यद्यपि यह कभी भी ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की नकल नहीं रही। यह उससे निम्नलिखित मामलों में भिन्न थी-
- ◆ ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया गया अर्थात भारत में राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख (राजा या रानी) आनुवंशिक होते हैं।
- ◆ ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है क्योंकि यहाँ लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है।
- ◆ ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को निम्न सदन (हॉउस ऑफ कॉमन्स) का सदस्य होना अनिवार्य है जबकि भारत में प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है।
- ◆ सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किये जाते हैं, जबकि भारत में जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसे भी अधिकतम 6 माह तक मंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

न्यायिक अवमानना: एक जटिल मुद्दा

संदर्भ

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के विरुद्ध न्यायिक अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ कर रही है। पीठ में न्यायाधीश बी.आर.गवई तथा न्यायाधीश कृष्णा मुरारी भी शामिल हैं। इस घटना से पूर्व वर्ष 2009 में भी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की आपराधिक अवमानना का केस दर्ज हुआ था।

दरअसल यह मामला वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के द्वारा किये गए ट्वीट (tweet) से संबंधित है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स ट्विटर पर पोस्ट किये गये कथित अवमाननाकारक ट्वीट में सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की थी। प्रशांत भूषण लगातार न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। कुछ समय पूर्व उन्होंने वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान दूसरे राज्यों से पलायन कर रहे कामगारों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के रवैये की तीखी आलोचना की थी। प्रशांत भूषण ने भीमा-कोरेगाँव मामले में आरोपी बनाए गए वरवरा राव और सुधा भारद्वाज जैसे जेल में बंद नागरिक अधिकारों के लिये संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में भी बयान दिये थे।

इस आलेख में न्यायिक अवमानना, उसके प्रकार, न्यायालय की अवमानना के लिये दंड के प्रावधान, अवमानना अधिनियम की आवश्यकता तथा अवमानना अधिनियम में संशोधन संबंधी विधि आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी।

न्यायिक अवमानना से तात्पर्य:

- न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Court Act, 1971) के अनुसार, न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है।
- न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन न सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आता है।

न्यायिक अवमानना के प्रकार

- न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (A) के तहत अवमानना को 'सिविल' और 'आपराधिक' अवमानना में बाँटा गया है।
- ◆ सिविल अवमानना: न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (B) के अंतर्गत न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट, अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जान बूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन करना न्यायालय की सिविल अवमानना कहलाता है।
- ◆ आपराधिक अवमानना: न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (C) के अंतर्गत न्यायालय की आपराधिक अवमानना का अर्थ न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन से है, जो लिखित, मौखिक, चिह्नित, चित्रित या किसी अन्य तरीके से न्यायालय की अवमानना करती हो।

न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971

- यह अधिनियम न्यायालयों के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट आदि की अवहेलना करने पर दंड देने की शक्ति को परिभाषित करता है।
- यह अधिनियम न्यायालयों को किसी भी निर्णय, रिट, निर्देश या आदेश की अवमानना करने या जानबूझकर अवज्ञा करने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अधिनियम के तहत न्यायाधीशों पर भी न्यायिक अवमानना का केस दर्ज किया जा सकता है। उदाहरण के लिये सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पर न्यायाधीश सी.एस. कर्णन को छह माह कारावास का दंड मिला था।

न्यायिक अवमानना (संशोधन) अधिनियम, 2006

- न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 13 के तहत सत्य (Truth) और सुविश्वास (Good Faith) जैसे प्रावधानों को शामिल करने के लिये न्यायिक अवमानना (संशोधन) अधिनियम, 2006 को लाया गया था।
- न्यायिक अवमानना की कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सत्य व सुविश्वास के आधार पर व्यक्ति अपने बचाव के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर सकता है।

न्यायिक अवमानना अधिनियम का उद्देश्य

- न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 का उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और महत्त्व को बनाए रखना है।
- अवमानना से जुड़ी हुई शक्तियाँ न्यायाधीशों को भय, पक्षपात और की भावना के बिना कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करती हैं।
- न्यायिक अवमानना की यह शक्ति विधि के समक्ष समता को लागू करती है तथा न्यायालय के आदेशों का बलपूर्वक अनुपालन करवाने हेतु, समृद्ध और शक्तिशाली व्यक्तियों के विरुद्ध एक उपकरण के रूप में कार्य करती है।
- न्यायिक अवमानना की शक्ति न्यायपालिका की विश्वसनीयता और दक्षता को बनाए रखने में सहायक होती है।

न्यायिक अवमानना अधिनियम का संवैधानिक स्रोत

- सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक अवमानना की शक्तियाँ भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों, अर्थात् अनुच्छेद 129, 142 (2) और 215 से प्राप्त होती हैं।
- अनुच्छेद 129: उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अवमानना के लिये दंड देने की शक्ति होगी।
- अनुच्छेद 142 (2): यह अनुच्छेद अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जाँच तथा उसे दंडित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है।
- अनुच्छेद 215: प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है। उच्च न्यायालयों को स्वयं की अवमानना के लिये दंडित करने में सक्षम बनाता है।

न्यायिक अवमानना के लिये दंड का प्रावधान

- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिये दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। यह दंड छह महीने का साधारण कारावास या 2000 रूपए तक का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है।
- वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि उसके पास न केवल खुद की बल्कि पूरे देश में उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की अवमानना के मामले में भी दंडित करने की शक्ति है।
- उच्च न्यायालयों को न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 10 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिये दंडित करने का विशेष अधिकार प्रदान किया है।

न्यायिक अवमानना से संबंधित चिंताएँ

- संविधान का अनुच्छेद-19 भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है परंतु न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 द्वारा न्यायालय की कार्यप्रणाली के खिलाफ बात करने पर अंकुश लगा दिया है।
- कानून बहुत व्यक्तिपरक है, अतः अवमानना के दंड का उपयोग न्यायालय द्वारा अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति की आवाज को दबाने के लिये किया जा सकता है।

- अवमानना अधिनियम न्यायपालिका के लिये हितों के टकराव की स्थिति को उत्पन्न करता है क्योंकि न्यायाधीश स्वयं ही पीड़ित होते हैं और वे स्वयं ही न्यायकर्ता की भूमिका में भी रहते हैं।
- अवमानना अधिनियम लोकतांत्रिक लोकाचार के विरुद्ध है क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना का अति महत्व होता है जबकि यह कानून न्यायपालिका की आलोचना करने पर प्रतिबंध लगाता है।
- न्यायिक अवमानना अधिनियम में व्यक्ति की रक्षापायों के संबंध में प्रावधान का अभाव है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है।
- भारत में न्यायिक अवमानना अधिनियम वर्तमान में भी प्रचलन में है जबकि ब्रिटेन में इसे काफी पहले ही समाप्त कर दिया गया है।

न्यायिक अवमानना के उदाहरण

- हीरालाल दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1954: न्याय के प्रशासन में वास्तविक बाधा या रुकावट एक आवश्यक शर्त नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य जो अपमान जनक हो सकता है और जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुँचती है, न्यायिक अवमानना हो सकती है।
- के. दफ्तरी बनाम ओ.पी. गुप्ता वाद 1971: कोई भी कार्य जो आम जनता के मन में न्यायपालिका के विश्वास को कम करता है या न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न कर रहा है या सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 129 व अनुच्छेद 142 एक साथ पढ़ा जाएगा और इसे न्यायिक अवमानना का कृत्य माना जाएगा।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा एक प्रेस-कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसे न्यायिक अवमानना का आधार नहीं माना गया था क्योंकि न्यायाधीशों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 1 (A) द्वारा प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

विधि आयोग का विचार

- विधि आयोग की 274वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि न्यायिक अवमानना अधिनियम में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है और इसके निम्नलिखित कारण हैं-
 - ◆ अवमानना के अत्यधिक मामले: आयोग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में सिविल (96,993) और आपराधिक अवमानना (583) के बहुत से मामले लंबित पड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में ऐसे मामलों की मौजूदगी से साबित होता है कि कानून की प्रासंगिकता बनी हुई है।
 - ◆ अवमानना से जुड़ी शक्ति का स्रोत: आयोग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अवमानना से जुड़ी शक्तियाँ संविधान से मिली हुई हैं। अधिनियम सिर्फ अवमानना की जाँच और दंड के संबंध में न्यायिक प्रक्रिया को रेखांकित करता है। इसलिये अधिनियम के संशोधन या उसे समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
 - ◆ अधीनस्थ न्यायालयों पर नकारात्मक प्रभाव: संविधान सर्वोच्च न्यायालय को उनकी अवमानना करने पर दंड देने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम उच्च न्यायालयों को इस बात की अनुमति देता है कि वे अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना करने पर किसी को दंड दे सकते हैं। आयोग का मत है कि यदि अवमानना की परिभाषा को सीमित किया जाएगा, तो अधीनस्थ न्यायालय प्रभावित होंगे, चूँकि उनके पास अपनी अवमानना के मामलों से निपटने का कोई उपाय नहीं है।
 - ◆ अस्पष्टता: आयोग का विचार है कि अवमानना की परिभाषा में संशोधन करने से अस्पष्टता आएगी। इसका परिणाम यह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंतर्गत प्राप्त अवमानना संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे। अगर अधिनियम में आपराधिक अवमानना की कोई परिभाषा नहीं रहेगी, तो सर्वोच्च न्यायालय अवमानना की अनेक परिभाषाएँ और स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आयोग ने सुझाव दिया कि स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिये परिभाषा को बरकरार रखा जाए।
 - ◆ पर्याप्त रक्षोपाय: आयोग ने बताया है कि अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिये अनेक रक्षोपाय किये गए हैं। उदाहरण के लिये अधिनियम के कई प्रावधानों में ऐसे मामले पेश किये गए हैं जिन्हें अवमानना नहीं माना गया है।
 - किसी मामले का सार्वजनिक हित में प्रकाशन, न्यायिक कृत्यों की निष्पक्ष और उचित आलोचना तथा न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष पर टिप्पणी करना न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत नहीं आता है।

आगे की राह

- अनुच्छेद 19 (1) (A) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिक माना जाना चाहिये और न्यायालय की अवमानना की शक्ति को इसके अधीन रखना चाहिये।
- न्यायपालिका को दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों अर्थात् वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष न्याय निर्णयन को संतुलित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिये।
- विधायिका के लिये यह आवश्यक है कि वह अवमानना कानून में संशोधन के लिये कदम उठाए और अवमानना अधिनियम और उसकी प्रयोज्यता की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति: महत्त्व व चुनौतियाँ (An education policy that is sweeping in its vision)

संदर्भ

पढ़ों, लिखा है दीवारों पर मेहनतकश का नारा
पढ़ों, पोस्टर क्या कहता है, वो भी दोस्त तुम्हारा
पढ़ों, अगर अंध विश्वासों से पाना है छुटकारा
पढ़ों, किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा

सफदर हाशमी का यह मशहूर गीत न केवल जीवन में शिक्षा की आवश्यकता बल्कि उसके महत्त्व को भी रेखांकित करता है। जीवन में शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब तीन दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि यह शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला रखेगी। विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को तैयार करने के लिये विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गयी थी। जिसमें देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव माँगे गए थे।

प्राप्त सुझावों और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सबकी आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिये 'एजेंडा 2030' के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

भारतीय शिक्षा की विकास विकास यात्रा

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968
 - ◆ स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली नीति कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों पर आधारित थी।
 - ◆ शिक्षा को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित किया गया।
 - ◆ 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस।
 - ◆ नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था।
 - ◆ शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा।
 - ◆ माध्यमिक स्तर पर 'त्रिभाषा सूत्र' लागू करने का आह्वान किया गया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986
 - ◆ इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था।

- ◆ इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" लॉन्च किया।
- ◆ इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया।
- ◆ ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित "ग्रामीण विश्वविद्यालय" मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आह्वान किया गया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन, 1992
 - ◆ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था।
 - ◆ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Joint Entrance Examination-JEE) और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (All India Engineering Entrance Examination-AIEEE) तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिये राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (SLEEE) निर्धारित की।
 - ◆ इसने प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्याओं को हल किया।

शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों ?

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (Ministry of Human Resource Development- MHRD) का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' (Education Ministry) करने को भी मंजूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान

- 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शैक्षिक पाठ्यक्रम का दो समूहों में विभाजन-
 - ◆ 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी/बालवाटिका/प्री-स्कूल (Pre-School) के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' (Early Childhood Care and Education- ECCE) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
 - ◆ 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- NEP में MHRD द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना की मांग की गई है।
- राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी।

भाषायी विविधता को संरक्षण

- NEP-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार

- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्यतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
- कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटरशिप (Internship) की व्यवस्था भी दी जाएगी।
- 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (National Council of Educational Research and Training- NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जाएंगे। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence- AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार

- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर लिये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers- NPST) का विकास किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education- NCFTE] का विकास किया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान

- NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
- NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंटी एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाणपत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)।
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, जिससे अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
- नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

भारत उच्च शिक्षा आयोग

- चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India -HECI) का गठन किया जाएगा।
- HECI के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानों/निकायों का निर्धारण किया गया है-
 - ◆ विनियमन हेतु- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council-NHERC)
 - ◆ मानक निर्धारण- सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council- GEC)
 - ◆ वित्त पोषण- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council-HEGC)
 - ◆ प्रत्यायन- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council- NAC)
- देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Research Universities- MERU) की स्थापना की जाएगी।

संबंधित चुनौतियाँ

- महँगी शिक्षा: नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है, विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महँगी होने की संभावना है। परिणामस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
- शिक्षकों का पलायन: विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारत के दक्ष शिक्षक भी इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु पलायन कर सकते हैं।
- शिक्षा का संस्कृतिकरण: दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि-भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
- संसद की अवहेलना: विपक्ष का आरोप है कि भारतीय शिक्षा की दशा व दिशा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने में संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 भी संसद के द्वारा लागू की गई थी।
- मानव संसाधन का अभाव: वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ हैं।

आर्थिक घटनाक्रम

भारतीय रेलवे का निजीकरण: आवश्यकता व चुनौतियाँ

संदर्भ

भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के संचालन के बाद अब भारतीय रेलवे ने 151 नई ट्रेनों के माध्यम से निजी कंपनियों को अपने नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों के संचालन की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू की है। यह सभी यात्री ट्रेनों संपूर्ण रेलवे नेटवर्क का एक छोटा हिस्सा हैं, सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निजीकरण की प्रक्रिया यात्री ट्रेन संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की शुरुआत का प्रतीक है। ध्यातव्य है कि नीति आयोग एक व्यापक योजना पर कार्य कर रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है और अनुमान के मुताबिक इसमें निजी निवेश आकर्षित करने की प्रबल संभावना है। रेल मंत्रालय के अनुसार, फरवरी-मार्च 2021 तक परियोजना के लिये वित्तीय बोली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी तथा अप्रैल 2021 तक उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। अप्रैल 2023 तक निजी ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।

विदित है कि भारत के पास अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। एक अनुमान के मुताबिक, भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और इस कार्य के लिये उसके पास तकरीबन 13 लाख कर्मचारी हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे का संपूर्ण बुनियादी ढाँचा रेलवे बोर्ड द्वारा प्रबंधित है और भारतीय रेल सेवाओं पर उसका एकाधिकार है, परंतु बीते 2 दशकों में भारतीय रेलवे में निजीकरण का विषय चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहा है। कुछ पहलुओं जैसे- रेल दुर्घटना, खान-पान और समय की पाबंदी आदि के कारण भारतीय रेलवे को समय-समय पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है और इन्हीं आलोचनाओं ने भारतीय रेलवे में निजीकरण को भी हवा दी है।

निजीकरण से तात्पर्य

- निजीकरण का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें किसी विशेष सार्वजनिक संपत्ति अथवा कारोबार का स्वामित्व सरकारी संगठन से स्थानांतरित कर किसी निजी संस्था को दे दिया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि निजीकरण के माध्यम से एक नवीन औद्योगिक संस्कृति का विकास संभव हो पाता है।
- यह भी संभव है कि सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को संपत्ति के अधिकारों का हस्तांतरण बिना विक्रय के ही हो जाए। तकनीकी दृष्टि से इसे अविनियमन (Deregulation) कहा जाता है। इसका आशय यह है कि जो क्षेत्र अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में आरक्षित थे उनमें अब निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी।
- वर्तमान में यह आवश्यक हो गया है कि सरकार स्वयं को 'गैर सामरिक उद्यमों' के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के बजाय शासन की दक्षता पर केंद्रित करे। इस दृष्टि से निजीकरण का महत्त्व भी बढ़ गया है।

भारतीय रेलवे की विकास यात्रा

- भारत में व्यावसायिक ट्रेन यात्रा की शुरुआत वर्ष 1853 में हुई थी जिसके बाद वर्ष 1900 में भारतीय रेलवे तत्कालीन सरकार के अधीन आ गई थी।
- वर्ष 1925 में बॉम्बे से कुर्ला के बीच देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई।
- वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात् भारत को एक पुराना रेल नेटवर्क विरासत में मिला और पूर्व में विकसित लगभग 40 प्रतिशत रेल नेटवर्क नवगठित पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ऐसी स्थिति में यह आवश्यकता महसूस की गई कि कुछ लाइनों की मरम्मत की जाए और कुछ नई लाइनें बिछाई जाएँ ताकि जम्मू व उत्तर-पूर्व भारत के कुछ क्षेत्रों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ा जा सके।
- वर्ष 1952 में तत्कालीन रेल नेटवर्क को ज़ोन (Zone) में बदलने का निर्णय लिया गया और इसी वर्ष कुल 6 ज़ोन अस्तित्व में आए।
- इससे पूर्व रेलवे संबंधी उत्पादन देश में काफी कम होता था, परंतु देश ने जैसे-जैसे विकास किया रेलवे संबंधी उत्पादन भी देश के अंदर ही होने लगा।

- सितंबर 2003 में प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से जोन की संख्या को बढ़ाकर 12 कर दिया गया जिसके बाद कई अन्य मौकों पर रेलवे जोन्स की संख्या को बढ़ाया गया और वर्तमान में देश में कुल 17 जोन मौजूद हैं।
- देश में जैसे-जैसे रेलवे नेटवर्क का विकास हुआ, रेलवे के संचालन और प्रबंधन संबंधी चुनौतियाँ भी सामने आने लगीं और इन चुनौतियों से निपटने के लिये नए विकल्पों की खोज की जाने लगी। कई विशेषज्ञ रेलवे के निजीकरण को इसी प्रकार के एक विकल्प के रूप में देखने लगे।
- वर्ष 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, जिसे रेलवे में निजीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया।
- वर्तमान में रेल मंत्रालय ने यात्री ट्रेन सेवाओं के संचालन के लिये निजी क्षेत्र हेतु 'अर्हता के लिये अनुरोधों' (Request for Qualifications-RFQ) को आमंत्रित कर रेलवे परिचालन के निजीकरण की दिशा में पहला कदम उठाया है।

रेलवे में निजीकरण के कारण

- भारतीय रेलवे अपने बुनियादी ढाँचे और सेवाओं के आधुनिकीकरण के साथ तालमेल बिठा पाने में असफल रहा है।
- रेलवे अपनी सेवाओं जैसे- टिकटिंग, खानपान, कोच रखरखाव और टिकट चेकिंग आदि के विषय में ग्राहकों को संतुष्ट करने में असफल रहा है और यह आम लोगों की रेलवे के प्रति नाराजगी का प्रमुख कारण है।
- भारतीय रेलवे उन चुनिंदा सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों की सूची में आते हैं जिसे प्रतिवर्ष नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
- तकनीकी स्तर पर भी रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया है और यही कारण है कि समय-समय पर रेल दुर्घटना की खबरें सामने आती रही हैं।
- इसके साथ ही ट्रेनों का समय पर परिचालन भी भारतीय रेलवे के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद है।

निजीकरण के पक्ष में तर्क

- बेहतर बुनियादी ढाँचा
 - ◆ निजीकरण के पक्ष में एक तर्क यह दिया जाता है कि इससे बेहतर बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों के लिये बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। उम्मीद है कि रेलवे में निजी कंपनियों के आने से बेहतर प्रबंधन संभव हो पाएगा।
- मांग तथा आपूर्ति में अंतर
 - ◆ आजादी के 70 से अधिक वर्षों के बाद भी सभी यात्रियों को यात्रा सेवाएँ प्रदान करने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे का विकास नहीं हो पाया है।
 - ◆ प्रतीक्षा-सूची में टिकट कराने वाले अनेक यात्रियों के (व्यस्त मौसम के दौरान लगभग 13.3% यात्रियों) के टिकट की कंफर्म बुकिंग नहीं हो पाती है।
 - ◆ निजी ट्रेनों के परिचालन द्वारा यात्रियों द्वारा की जा रही ट्रेन सेवाओं की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- किराए में वृद्धि नहीं
 - ◆ निजी ट्रेन संचालकों द्वारा यात्रा किराया तय करते समय बस तथा हवाई यात्रा किराये के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी। अतः निजी ऑपरेटर्स के लिये बहुत अधिक किराया वसूलना व्यवहार्य नहीं होगा।
 - ◆ चूँकि निजी ट्रेनों के संचालन के बाद भी रेलवे द्वारा 95% ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा इसलिये इन ट्रेनों के किराए में वृद्धि नहीं की जाएगी, साथ ही इन ट्रेनों में बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में कार्य किये जाएँगे। इससे आम जन को कम कीमत पर बेहतर सुविधाएँ मिल सकेंगी।
- कर्मचारियों की छंटनी नहीं
 - ◆ रेलवे द्वारा वर्तमान में उपलब्ध ट्रेनों के अलावा नवीन निजी ट्रेनें चलाई जाएँगी। रेलवे को वर्ष 2030 तक अनुमानित 13 बिलियन यात्रियों के लिये और अधिक ट्रेनों के संचालन की आवश्यकता होगी।
 - ◆ निजी ट्रेनों के परिचालन से नौकरी खोने का तर्क आधारहीन है।

- तकनीकी महत्त्व
 - ◆ वर्तमान समय में 4000 किमी. की दूरी तय करने के बाद ट्रेनों के कोचों के रख-रखाव की आवश्यकता होती है, लेकिन आधुनिक कोचों को हर 40,000 किमी के बाद या 30 दिनों में एक या दो बार ही रख-रखाव की आवश्यकता होगी।
 - ◆ इसके अलावा ये कोच गति, सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं।
- मेक इन इंडिया के अनुकूल
 - ◆ RFQ 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत जारी किया गया है। इसलिये कोचों का निर्माण भारत में किया जाएगा तथा इसके लिये स्थानीय घटकों का उपयोग किया जाएगा।

निजीकरण के विपक्ष में तर्क

- सीमित कवरेज
 - ◆ यदि रेलवे का स्वामित्व भारत सरकार के पास ही रहता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह लाभ की परवाह किये बिना राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी प्रदान करती है। परंतु रेलवे के निजीकरण से यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि निजी उद्यमों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और उन्हें जिस क्षेत्र से लाभ नहीं होता वे वहाँ कार्य बंद कर देते हैं।
- सामाजिक न्याय
 - ◆ निजी उद्यमों का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है और रेलवे में लाभ कमाने का सबसे सरल तरीका किराए में वृद्धि है और यदि ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा।
- जवाबदेही
 - ◆ निजी कंपनियाँ अपने व्यवहार में अप्रत्याशित होती हैं और इनमें जवाबदेहिता की कमी पाई जाती है, जिसके कारण रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इनके प्रयोग का प्रश्न विचारणीय हो जाता है।
- सुरक्षा का प्रश्न
 - ◆ निजी कंपनियों में विभिन्न विदेशी कंपनियों की भी साझेदारी होती है ऐसे में यदि निजी कंपनियों को रेल परिचालन का कार्य दिया जाता है तो संभावना है कि उसकी सुरक्षा से समझौता हो जाए।

आगे की राह

- स्थायी मूल्य निर्धारण- यात्री ट्रेनों व मालगाड़ियों के उचित किराए के निर्धारण हेतु भारतीय रेलवे मूल्य निर्धारण मॉडल को फिर से अपनाने की आवश्यकता है। यह मूल्य निर्धारण सड़क परिवहन की लागत के साथ प्रतिस्पर्धी होना चाहिये।
- स्वतंत्र नियामक- निजी संचालकों के लिये एक समान स्तर के प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिये एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना महत्वपूर्ण होगी।
- रेलवे का आधुनिकीकरण- बिबेक देबरॉय समिति की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है, जैसे कि भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी का विस्तार, रेलवे के मुख्य कार्यों का निगमीकरण आदि।

बैंड बैंक की अवधारणा: महत्त्व व चुनौतियाँ

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रतिकूल प्रभावों के कारण देश की आर्थिक गतिविधियाँ अत्यधिक दबाव में हैं। कई अर्थशास्त्रियों और वैश्विक एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति का उल्लेख किया है। मंदी की यह स्थिति विशेष रूप से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण विभिन्न कंपनियों व सार्वजनिक तथा निजी बैंकों की बैलेंस सीट में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets) में वृद्धि हो सकती है। लॉकडाउन से पूर्व सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ 10 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गई थी, परंतु रेटिंग फर्म क्रिसिल (Crisil) के अनुसार, अब वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का मूल्य 11 लाख करोड़ रुपये को पार करने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से 'बैड लोन' (खराब ऋण) और 'बैड एसेट' (खराब परिसंपत्तियाँ) में बेतहाशा वृद्धि हुई है, विदित है कि बैड लोन और बैड एसेट से ही मिलकर बनती हैं 'गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ'। बैड लोन से बैंकों के लाभांश में कमी आती है, फलस्वरूप बैंक के लिये ऋण देना मुश्किल हो जाता है। बैंकों की साख़ दर में लगातार गिरावट, वर्तमान में एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है। गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिये हाल के वर्षों में एक नई अवधारणा निकलकर सामने आ रही जिसका नाम है "बैड बैंक"।

क्या है बैड बैंक ?

- बैड बैंक की अवधारणा को बैंकों की वाणिज्यिक अचल संपत्ति पोर्टफोलियो (Commercial Real-Estate Portfolio) की समस्या का निदान करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम वर्ष 1988 में मेल्लोन बैंक (Mellon Bank) के पिट्सबर्ग (Pittsburgh) मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया था।
- बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये बैड बैंक कर्ज में फँसी बैंकों की राशि को खरीद लेगा और उससे निपटने का काम भी इसी बैंक का होगा।
- जब किसी बैंक की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ सीमा से अधिक हो जाती हैं, तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है जो मुख्य बैंक की देयताओं को एक निश्चित समय के लिये धारण कर लेता है।

भारतीय बैंक संघ की अनुशांसाएँ

- 'भारतीय बैंक संघ' (IBA) जो कि एक दबाव समूह है, ने 'प्रोजेक्ट सशक्त' की सिफारिशों को आधार बनाकर तीन संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई है-
 - ◆ परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी' (Asset Reconstruction Company- ARC): ARC एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट को स्वच्छ और संतुलित रखने में उनकी सहायता करने के लिये उनसे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों या खराब ऋण खरीदती है। दूसरे शब्दों में ARC बैंकों से खराब ऋण खरीदने के कारोबार में कार्यरत वित्तीय संस्थान हैं।
 - ◆ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (Asset Management Company- AMC): AMC परिसंपत्तियों का प्रबंधन, जिसमें प्रबंधन का अधिग्रहण या परिसंपत्तियों के पुनर्गठन जैसे कार्य करेगी। 500 करोड़ रुपए से अधिक के फँसे ऋण के लिये AMC की स्थापना की जाएगी। AMC बैंकों द्वारा NPA घोषित किये हुए ऋण को खरीदेगा जिससे इस कर्ज का भार बैंकों पर नहीं पड़ेगा। यह कंपनी पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। AMC सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के निवेशकों से धन जुटाएगी।
 - ◆ वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund- AIF): परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी' (AMC) को AIF के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। IBA ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बैड लोन की प्राप्ति के लिये एक स्वतंत्र ARC के गठन की सिफारिश की है।

बैड बैंक का सिद्धांत महत्वपूर्ण क्यों ?

- सर्वप्रथम बैड बैंक की चर्चा वर्ष 2017 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी डूबते कर्ज से निपटने के लिये बैड बैंक की अवधारणा को बेहद जरूरी बताया है।
- विदित है कि बैड बैंक, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (Asset Reconstruction Company- ARC) की तरह काम करेगा। बैड बैंक, एक ऐसा बैंक होगा जो दूसरे बैंकों के डूबते कर्ज को खरीदेगा। ध्यातव्य है कि बैड बैंक का नाम 'पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी' (Public Sector Asset Rehabilitation Agency) होगा और यह प्रयोग जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस जैसे देशों में सफल रहा है।
- दरअसल बैंकों (खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की) की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ तेजी से बढ़ी हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक सकल गैर-प्रदर्शनकारी परिसंपत्ति 11 लाख करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है। बैंकों के कुल ऋण का करीब 9.7 फीसदी गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में तब्दील हो चुका है और करीब 80 फीसदी गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हैं।
- बैड बैंक के आने से दूसरे बैंकों से डूबते कर्ज को वसूलने का दबाव हट जाएगा। दूसरे बैंक नए ऋण देने पर ध्यान केन्द्रित कर पाएंगे। बैंकों को अपने डूबते कर्ज बैड बैंक को बेचने की सुविधा मिलेगी। डिफाल्टर कंपनियों की संपत्ति बेचने के काम में तेजी आएगी। बैंक अधिकारी परिसंपत्तियों की जग्गी की जगह बैंकिंग गतिविधियों को सुचारु ढंग से चला पाएंगे।

बैंड बैंक से संबंधित चुनौतियाँ

- बैंड बैंक की स्थापना में सबसे बड़ी समस्या बैंक में हिस्सेदारी को लेकर है। यह जानना दिलचस्प है कि समस्या निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के अधिकतम भागीदारी से है।
- यदि बैंड बैंक में सरकार की हिस्सेदारी अधिक हो तो बैंकों की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ इतनी अधिक हो गई हैं कि बैंड बैंक के माध्यम से इनकी खरीद पर सरकार को उल्लेखनीय व्यय करना पड़ सकता है।
- यदि बैंड बैंक को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया, तो सबसे बड़ी समस्या गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के मूल्य को लेकर हो सकती है। निजी क्षेत्र का बैंड बैंक अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का मूल्य तय करेगा।
- यदि यह मूल्य बहुत अधिक हुआ, तो बैंड बैंक का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और यदि यह मूल्य बहुत ही कम हो गया, तो बैंकों को उनकी ऋण देयता के अनुपात में राशि नहीं मिल पाएगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के अनुसार, बैंड बैंक की अवधारणा एक नैतिक संकट उत्पन्न कर सकती है और बैंकों को अनुत्तरदायित्वपूर्ण उधार प्रथाओं को जारी रखने के लिये प्रोत्साहित करेगी।

NPA की समस्या समाधान के अन्य विकल्प ?

- सर्वप्रथम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति और चयन व्यवस्था में बदलाव किये जाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत कार्यकारी निदेशकों, बोर्ड के सदस्यों से लेकर अध्यक्ष तक सबके संदर्भ में बदलाव किये जाने की आवश्यकता है।
- दूसरे कदम के तौर पर वरिष्ठ बैंक कर्मचारियों के लिये मूल्यांकन परियोजना के तहत, आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिये। नियमित बैंकिंग परिचालन की अपेक्षा वित्तीय परियोजनाओं में विभिन्न तरह के कौशल की आवश्यकता होती है।
- तीसरा कदम सतर्कता विभागों को सुदृढ़ करने का होना चाहिये। वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कोई प्रभावी सतर्कता तंत्र मौजूद नहीं है।
- इस संबंध में चौथा कदम समयबद्ध जाँच की व्यवस्था का होना चाहिये। बड़े स्तर पर एनपीए के कुछ मामले ऐसे भी जो सार्वजनिक डोमेन में हैं या जहाँ जान-बुझकर चूक किये जाने के प्रमाण मौजूद हैं, ऐसे मामलों को केंद्रीय जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation - CBI) को सौंप देना चाहिये, ताकि निष्पक्ष एवं समयबद्ध जाँच की जा सके।
- किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का मालिकाना हक सरकार के पास होता है और इसके प्रबंधन में भी सरकार की भूमिका बहुत अहम होती है। आम तौर पर, बैंक बोर्ड की मीटिंग्स में सरकार का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय के नौकरशाहों द्वारा किया जाता है। यह कोई अनिवार्य घटक नहीं है कि इन अधिकारियों के पास बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित अनुभव या ज्ञान होना आवश्यक हो। ऐसे में इनके द्वारा लिये जाने वाले निर्णय और की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदेहिता का प्रश्न बहुत अहम हो जाता है।
- दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड (IBC), 2016 के अनुसार किसी ऋणी के दिवालिया होने पर एक निश्चित प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसकी परिसंपत्तियों को अधिकार में लिया जा सकता है।
 - ◆ IBC के हिसाब से, यदि 75 प्रतिशत कर्जदाता सहमत हों तो ऐसी किसी कंपनी पर 180 दिनों (90 दिन के अतिरिक्त रियायती काल के साथ) के भीतर कार्रवाई की जा सकती है, जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रही।

निष्कर्ष

भारत की बैंकिंग प्रणाली ऐसी चुनौती भरी पृष्ठभूमि में अपेक्षाकृत लंबे समय से कार्य कर रही है, जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता तथा लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रबंधन राजनेताओं और नौकरशाहों के प्रति निष्ठावान रहेंगे, तब तक व्यावसायिकता में उनकी कमी बनी रहेगी, इसलिये संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। बैंकिंग व्यवस्था में समग्र सुधारों के उचित कार्यान्वयन के साथ ही बैंड बैंक की अवधारणा पर बहस होनी चाहिये, जैसा की इंद्रधनुष योजना (IndraDhanush plan) में परिकल्पित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

अमेरिका-ईरान तनाव के नए आयाम

संदर्भ

वर्ष 2020 के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की कुदस फोर्स के प्रमुख और इरानी सेना के शीर्ष अधिकारी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी सहित सेना के कई अन्य अधिकारियों को बगदाद हवाई अड्डे के बाहर हवाई हमले में मार गिराया था। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुँच गया था। अमेरिका ने इसे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया कदम बताया था, तो वहीं ईरान ने इसे युद्ध का कारण (Act of War) माना था। इस घटना के पाँच माह बाद ईरान के एक न्यायालय ने ईरानी सेना के शीर्ष अधिकारी की हत्या करने व ईरान में आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करने के आरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत 30 अन्य लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये इंटरपोल (Interpol) से रेड कॉर्नर नोटिस (Red Corner Notice) जारी करने की भी माँग की गई है। निश्चित रूप से ईरान का यह कदम पश्चिम एशिया में व्याप्त तनाव को बढ़ाने वाला है।

ऐसे में यह आवश्यक है कि दोनों देशों के संबंधों का विश्लेषण कर यह जानने का प्रयास किया जाए कि इस प्रकार के घटनाक्रम से पश्चिम एशिया व भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं ?

कौन थे मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ?

- ईरान के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक कासिम सुलेमानी को मध्य-पूर्व में सबसे शक्तिशाली मेजर जनरल के रूप में देखा जाता था। साथ ही ईरान के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उनकी दावेदारी भी काफी प्रबल दिखाई दे रही थी।
- ◆ कमांडर सुलेमानी के विषय में यह कहा जाता था कि मौजूदा ईरान को समझने के लिये यह जरूरी है कि पहले आप कासिम सुलेमानी को समझें।
- कमांडर सुलेमानी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (Islamic Revolutionary Guard Corps-IRGC) की कुदस फोर्स (Quds Force) के प्रमुख थे।
- ◆ विदित है कि बीते वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित करते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- वर्ष 1998 से कुदस फोर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे कमांडर सुलेमानी न केवल ईरान के लिये खुफिया सूचनाओं को एकत्र करने और गुप्त सैन्य अभियानों के लिये प्रसिद्ध थे बल्कि वे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमैनी से निकटता के लिये भी जाने जाते थे।
- कमांडर सुलेमानी ने ईरान के हालिया विदेशी अभियानों (मुख्य रूप से सीरिया और इराक) में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सीरिया में बशर अल-असद के शासन को बचाने और दोनों देशों (सीरिया और इराक) में इस्लामिक स्टेट (IS) को पराजित करने में इनकी प्रमुख भूमिका थी।

किस तरह की नीतियाँ दोनों देश अपना रहे हैं ?

- संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिका ईरान पर 'अधिकतम दबाव बनाने की नीति' अपना रहा है। इसके लिये वह परमाणु समझौते से बाहर आने, आर्थिक प्रतिबंध लगाने और ईरानी सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करने जैसे कदम उठा रहा है।
- ईरान: अमेरिका के खिलाफ ईरान 'अधिकतम विरोध करने की नीति' अपना रहा है। इसके लिये वह फारस की खाड़ी से निकलने वाले टैंकरों पर हमला करवाने, अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने और यमन में सक्रिय हाउथी विद्रोहियों को सऊदी अरब के खिलाफ समर्थन देने जैसे कदम उठा रहा है।

अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने के कारण

- परमाणु करार का रद्द होना: वर्ष 2015 में, जर्मनी समेत संयुक्त राष्ट्र के पाँच स्थायी सदस्यों (P5+1) और ईरान के बीच एक परमाणु समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को कम करने और अपने परमाणु संयंत्रों में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों को पर्यवेक्षण की अनुमति देनी थी। इसके अलावा इस समझौते के तहत ईरान पर विनाशक हथियारों और मिसाइलों की खरीद करने पर भी रोक थी। अमेरिका इस समझौते के बदले ईरान को तेल और गैस के व्यापार, वित्तीय लेन देन, उड्डयन और जहाज़रानी क्षेत्रों में लागू प्रतिबंधों में ढील देने के लिये तैयार था। लेकिन अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी इस समझौते के विरोध में थी, उनके चुनावी घोषणा पत्र में यह मंतव्य था कि यदि रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आती है तो वे इस समझौते को रद्द कर देंगे। इसी के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने इस परमाणु समझौते से बाहर होने का निर्णय लिया।
- ईरान पर प्रतिबंधों का आरोपण: ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर करने के उद्देश्य से अगस्त, 2018 में अमेरिकी प्रशासन ने वे सभी प्रतिबंध फिर से उस पर लगा दिए जिन्हें परमाणु करार के तहत हटा लिया गया था। अमेरिका का मानना था कि आर्थिक दबाव के चलते ईरान नए समझौते के लिये तैयार हो जाएगा और अपनी हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगा देगा।
- IRGC को आतंकी संगठन घोषित करना: अमेरिका ने बीते वर्ष ईरान के इस्लामिक रिवालयूशनरी गार्ड कॉर्प्स अर्थात् IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी देश द्वारा किसी अन्य देश की सरकारी सुरक्षा एजेंसी को आतंकी संगठन घोषित किया गया हो। अमेरिका के इस कृत्य का जवाब देते हुए ईरान ने भी अमेरिकी सेना को आतंकी समूह करार दे दिया।

तनाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले का शाह मोहम्मद रजा पहलवी द्वारा शासित ईरान किसी भी मायने किसी यूरोपीय देश से कम नहीं था, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में नए नेता अयातुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी का आगमन हुआ, जो इस्लामिक क्रांति से पहले तुर्की, इराक़ और पेरिस में निर्वासित जीवन जी रहे थे।
- वह शाह पहलवी के नेतृत्व में ईरान के पश्चिमीकरण और अमेरिका पर बढ़ती निर्भरता के घोर विरोधी थे। ध्यातव्य है कि वर्ष 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग को अपदस्थ कर शाह पहलवी को सत्ता सौंप दी थी।
- ईरान में हुई वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद वहाँ रुढ़िवादिता ने अपने पैर पसार लिये और खुमैनी की उदारता में भी अचानक से परिवर्तन आया। उन्होंने विरोधी आवाज़ों को दबाना शुरू कर दिया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान की लोकतांत्रिक आवाज़ कहीं खो सी गई।
- इस क्रांति के तत्काल बाद ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध समाप्त हो गए। राजधानी तेहरान में ईरानी छात्रों के एक समूह ने अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया।
- माना जाता है कि इसमें खुमैनी का भी मौन समर्थन था। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर से शाह पहलवी को ईरान वापस भेजने की मांग की थी, जो इलाज कराने न्यूरॉक गए थे। क्रांतिकारियों ने अमेरिकी बंधकों को तब तक रिहा नहीं किया, जब तक रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन गए। इस दौरान शाह पहलवी की मिश्र में मौत हो गई और खुमैनी ने अपनी ताकत को और धर्म केंद्रित कर लिया।
- अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमला: होर्मुज़ की खाड़ी में चार अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमला किया गया। अमेरिका को लगता है कि यह हमला ईरान ने कराया है लेकिन ईरान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने इस क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत करने के उद्देश्य से तकरीबन 1500 और सैनिकों को भेजने का निर्णय लिया।
- सऊदी अरामको पर ड्रोन हमला: सितंबर, 2019 को सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको के दो बड़े क्षेत्र अबकीक और खुरैस पर भयानक ड्रोन हमले हुए। जिसके चलते अस्थाई तौर पर इन दोनों जगहों पर तेल उत्पादन प्रभावित हुआ। सऊदी अरब ने इस हमले का आरोप ईरान पर लगाया। अमेरिका ने भी इस हमले का आरोप ईरान पर मढ़ा और कहा कि उसके पास इस बात का प्रमाण है कि यह हमला ईरान द्वारा करवाया गया है। हालाँकि ईरान ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं इस हमले का आधिकारिक उत्तरदायित्व यमन के हाऊथी विद्रोहियों ने लिया था। गौरतलब है कि यमन के हाऊथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है।

क्या है इंटरपोल ?

- इंटरपोल का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था (International Criminal Police Organization) है।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न देशों की पुलिस के बीच सहयोग कर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ती है।
- वर्तमान में इंटरपोल में 194 सदस्य देश शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन (Lyon) शहर में है।

इंटरपोल द्वारा जारी किये जाने वाले नोटिस

- रेड कॉर्नर नोटिस: यह नोटिस सभी इंटरपोल सदस्य देशों को संदिग्धों को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने के लिये सुरक्षा एजेंसियों को अनुमति देता है ताकि उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की जा सके।
- येलो कॉर्नर नोटिस : लापता नाबालिगों को खोजने या उन व्यक्तियों की पहचान करने (जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हैं) में सहायता प्राप्त करने के लिये जारी किया जाता है।
- ब्लैक कॉर्नर नोटिस: अज्ञात शवों की जानकारी लेने के लिये जारी किया जाता है।
- ग्रीन कॉर्नर नोटिस: किसी ऐसे व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी करना, जिसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिये संभावित खतरा माना जाता है।
- ऑरेंज कॉर्नर नोटिस: किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया को सार्वजनिक सुरक्षा के लिये एक गंभीर और आसन्न खतरा मानकर चेतावनी देने के लिये जारी किया जाता है।
- पर्पल कॉर्नर नोटिस: अपराधियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले स्थानों, प्रक्रियाओं, वस्तुओं, उपकरणों, या उनके छिपने के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिये जारी किया जाता है।
- ब्लू कॉर्नर नोटिस: यह नोटिस किसी अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिये जारी किया जाता है।

पश्चिम एशिया पर पड़ने वाला प्रभाव

- यदि यह तनाव सैन्य संघर्ष में तब्दील हो जाता है तो इस तनाव का सबसे अधिक प्रभाव पश्चिम एशिया पर पड़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका कि सोच सीमित सैनिक संघर्ष के माध्यम से ईरान से अपनी मांगे मनवाने की है जो कि भ्रामक है। यदि अमेरिका, ईरान पर कार्यवाही करता है तो संभव है कि ईरान भी जवाबी कार्यवाही करेगा।
- यदि ईरान भी सैन्य कार्यवाही करता है तो वह अमेरिकी सहयोगियों जैसे- सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा इसराइल में स्थित अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। जिससे पूरा खाड़ी क्षेत्र व पश्चिम एशिया संघर्ष का मैदान बन सकता है।
- इसके साथ ही यदि ईरान होर्मुज जलसंधि को भी बाधित करने का प्रयास करता है, तो खाड़ी देशों पर निर्भर कई देशों में तेल का संकट गंभीर रूप ले सकता है।

भारत पर प्रभाव

- अमेरिका व ईरान का हालिया घटनाक्रम भारत के हितों को खासा प्रभावित कर सकता है। ज्ञात है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, जो कच्चे तेल की अपनी 80 प्रतिशत से अधिक और प्राकृतिक गैस की 40 प्रतिशत जरूरतों को पूरा करने के लिये आयात पर निर्भर रहता है।
- हालाँकि भारत लगातार तेल सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, परंतु विगत कुछ वर्षों में देश का घरेलू तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन काफी धीमा रहा है, जिससे देश और अधिक आयात पर निर्भर हो गया है। ऐसे में तेल बाजार को प्रभावित करने वाला कोई भी घटनाक्रम भारत पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- भारत के समक्ष एक राजनयिक चुनौती भी उत्पन्न हो गई है, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसे विश्व के दो महत्वपूर्ण देशों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े। जहाँ एक ओर भारत अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहेगा, वहीं ईरान भी पश्चिमी एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान तक पहुँचने के लिये भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र में अशांति का माहौल भारत के हितों को प्रभावित कर सकता है।

- अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों को भी प्रभावित करने वाला है क्योंकि कोई भी तनावपूर्ण परिस्थिति उनके जीवन को जोखिम में डाल सकती है। तनाव के कारण कई सारे भारतीय लोगों को इन क्षेत्रों से सुरक्षित निकालना पड़ेगा।
- खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय अपने सगे-संबंधियों को करीब प्रतिवर्ष लगभग 40 अरब डालर की मुद्रा रেমिटेंसेस के रूप में भेजते हैं। यदि मध्य-पूर्व में किसी भी प्रकार का संघर्ष होता है तो भारत को इसका आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

नि-वैश्वीकरण व आत्मनिर्भर भारत अभियान

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण मार्च 2020 से ही विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएँ परिणामी स्वास्थ्य व आर्थिक क्षेत्र में हो रही गिरावट के चलते तनाव में हैं। महामारी से निपटने के लिये दुनिया भर के देशों ने लोगों के आवागमन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और माल एवं सेवाओं के परिवहन पर पाबंदियाँ लगाने हेतु संपूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था को अपनाया। इसके परिणामस्वरूप कई उद्योग और संगठन या तो बंद हो गए हैं या न्यूनतम क्षमता पर काम कर रहे हैं, और इसका प्रभाव अब वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहा है।

विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर मात्र 5 प्रतिशत रह जाएगी, तो वहीं 2020-21 में तुलनात्मक आधार पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भारी गिरावट आएगी जो घटकर मात्र 2.8 प्रतिशत रह जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह महामारी ऐसे वक्त में आई है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की मार झेल रही थी। कोरोना वायरस के कारण इस पर और दबाव बढ़ गया है। सरकार इस स्थिति से उबरने व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान कर रही है, जो सार्वजनिक व निजी निवेश (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों) को राहत प्रदान करने में सहायक होगी। इस महामारी के बाद विश्व के विभिन्न देशों में आपूर्ति के लिये स्थानीय क्षमता में वृद्धि और प्रवासियों पर सख्ती जैसे प्रयासों के साथ नि-वैश्वीकरण (De-Globalization) व संरक्षणवाद की विचारधारा को बढ़ावा मिल सकता है।

नि-वैश्वीकरण से तात्पर्य

- यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच निर्भरता और एकीकरण में कमी की प्रक्रिया है। यह देशों के बीच आर्थिक व्यापार और निवेश में गिरावट का प्रतीक है।
- यह ऐसे देशों की प्रवृत्ति को उजागर करता है जो ऐसी आर्थिक और व्यापार नीतियों को अपनाना चाहते हैं जो सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों को पोषित करती हैं।
- ये नीतियाँ अक्सर टैरिफ या मात्रात्मक बाधाओं का रूप लेती हैं जो देश में अन्य देशों से आने वाले लोगों, उत्पादों और सेवाओं के मुक्त आवागमन को बाधित करती हैं।
- नि-वैश्वीकरण विचार का मुख्य उद्देश्य आयात को महँगा करके स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है।
- इस महामारी ने नि-वैश्वीकरण के विचार को बढ़ावा देने के लिये अनुकूल माहौल निर्मित कर दिया है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर COVID-19 का प्रभाव

- पिछले कुछ वर्षों में चीन विश्व के लिये एक बड़ा उत्पादक बन कर उभरा है और इस दौरान कई देशों से चीन को भारी मात्रा में विदेशी निवेश भी प्राप्त हुआ है।
- COVID-19 की महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों के बाद विश्व के कई देशों ने अपने उद्योगों की चीन पर निर्भरता को कम करने तथा स्थानीय क्षमता के विकास पर विशेष ध्यान दिया है।
- जापान सरकार ने चीन में सक्रिय जापानी कंपनियों को चीन से बाहर निकालने के लिये 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता देने का निश्चय किया है।
- इसके अतिरिक्त अमेरिका की कई कंपनियों ने चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना शुरू किया है।
- भारतीय दवा उद्योग अपनी कुल आवश्यकता की लगभग 70% 'सक्रिय दवा सामग्री' (Active Pharmaceutical Ingredient-API) चीन से आयात करता है परंतु इस महामारी के बाद भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के सहयोग से देश में API निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये विशेष प्रयास किये हैं।

उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रयास

- आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत ने कई क्षेत्रों में अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है परंतु अन्य कई क्षेत्रों में भी जहाँ बेहतर संभावनाएँ हैं, भारतीय कंपनियाँ उत्पादन (Production) से हटकर व्यापार (Trade) में एक सेवा प्रदाता के रूप में अधिक सक्रिय रही हैं।
- पूर्व में भारत में जिन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने का प्रयास किया गया है उनमें हम काफी सफल भी रहें हैं, उदाहरण के लिये स्टील उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी और मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रिक उत्पादों की असेंबली आदि।
- लगभग 135 करोड़ की आबादी के साथ भारत के पास निर्यात के अलावा उत्पादों की खपत के लिये एक बड़ा स्थानीय बाजार भी उपलब्ध है।
- ऐसे में यह बहुत ही आवश्यक है कि ऐसे कुछ क्षेत्रों की पहचान की जाए जहाँ आसानी से अगले कुछ वर्षों देश में में स्थानीय आत्मनिर्भरता का विकास किया जा सकता है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

- वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता (Self-Reliance) की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता (Self-Reliance), आत्म-केंद्रितता (Self-Centered) से अलग है।
- भारत 'वसुधैव कुटुंबकम्' की संकल्पना में विश्वास करता है। चूँकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है।
- 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण या संरक्षणवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।
- आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा के प्रथम चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा द्वितीय चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उन 10 क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने इन 10 क्षेत्रों के आयात में कटौती का भी निर्णय किया है।
- इसमें फर्नीचर, फूट वेयर और एयर कंडीशनर, पूंजीगत सामान तथा मशीनरी, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल आदि शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभ

- अर्थव्यवस्था (Economy): जो वृद्धिशील परिवर्तन (Incremental Change) के स्थान पर बड़ी उछाल (Quantum Jump) पर आधारित हो।
- अवसंरचना (Infrastructure): ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने।
- प्रौद्योगिकी (Technology): 21 वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली।
- गतिशील जनसांख्यिकी (Vibrant Demography): जो आत्मनिर्भर भारत के लिये ऊर्जा का स्रोत है।
- मांग (Demand): भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिये।

स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण

- भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुछ हिस्सों में बड़ी प्रगति हुई है परंतु अन्य में आज भी हम किसी न किसी रूप में अन्य देशों पर निर्भर हैं।
- उदाहरण के लिये भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र वैश्विक बाजार में अपना स्थान बनाया है परंतु हार्ड वेयर के निर्माण में भारतीय कंपनियाँ उतनी सफल नहीं रही हैं। अन्य उदाहरणों में भारतीय दवा उद्योग, मोबाइल असेम्बली आदि हैं, जहाँ स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाना अति आवश्यक है।

तकनीकी हस्तक्षेप में वृद्धि:

- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की स्थापना के माध्यम से दो मुख्य लक्ष्यों (औद्योगिक विकास और रोजगार) को प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

- वर्तमान में वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सरकारों को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा।
- वर्तमान में COVID-19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों में अधिकांश कंपनियों में 'ऑटोमेशन' (Automation), घर से काम करने और अनुबंधित कामगारों को अधिक प्राथमिकता देंगी।
- ऐसे में आधुनिक तकनीकी प्रगति के अनुरूप कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौशल विकास के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना होगा।

उत्पादन श्रृंखला में भागीदारी:

- औद्योगिक विकास के साथ-साथ ही उत्पादन के स्वरूप और कंपनियों/उद्योगों की कार्यशैली में बड़े बदलाव होंगे।
- ऐसे में कृषि और अन्य क्षेत्रों को इन परिवर्तनों के अनुरूप तैयार कर औद्योगिक विकास के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जा सकता है।
- उदाहरण के लिये विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों की पैकेजिंग या उनसे बनने वाले अन्य उत्पादों के निर्माण हेतु स्थानीय स्तर पर छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देकर औद्योगिक उत्पादन श्रृंखला में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।
अभियान के समक्ष संभावित चुनौतियाँ:
- लागत और गुणवत्ता
 - ◆ वर्तमान में कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को बहुत अधिक अनुभव नहीं है, ऐसे में लागत को कम-से-कम रखते हुए वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिये उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी।
- आर्थिक समस्या
 - ◆ हाल ही में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय पूंजी और वित्तीय तरलता की चुनौती के मामलों में वृद्धि देखी गई थी, COVID-19 की महामारी से औद्योगिक गतिविधियों के रुकने और बाजार में मांग कम होने से औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं में वृद्धि हुई है।
 - ◆ ऐसे में सरकार को औद्योगिक अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने के लिये विभिन्न श्रेणियों में लक्षित योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिये।
- आधारिक संरचना:
 - ◆ विशेषज्ञों के अनुसार, चीन से निकलने वाली अधिकांश कंपनियों के भारत में न आने का एक मुख्य कारण भारतीय औद्योगिक क्षेत्र (विशेष कर तकनीकी के संदर्भ में) में एक मजबूत आधारिक ढांचे का अभाव है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय उत्पादक किसी-न-किसी रूप में आयात पर निर्भर रहें हैं।
- वैश्विक मानक:
 - ◆ सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादकों और व्यवसायियों को दी जाने वाली सहायता मुक्त व्यापार समझौतों और 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ' (World Trade Organisation- WTO) के मानकों के अनुरूप ही जारी की जा सकती है।

निष्कर्ष

COVID-19 के कारण उपजी हुई परिस्थितियों के बाद देश के नागरिकों का सशक्तीकरण करने की आवश्यकता है ताकि वे देश से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकें तथा बेहतर भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकें। आत्मनिर्भर भारत अभियान के समक्ष अनेक चुनौतियों के होने के बावजूद, भारत को औद्योगिक क्षेत्र में मजबूती के लिये उन उद्यमों में निवेश करने की आवश्यकता है जिनमें भारत के वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की संभावना है। इस दिशा में कार्य करते हुए सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की है। आत्मनिर्भर राहत पैकेज के माध्यम से न केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises-MSMEs) क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की गई, अपितु इसमें दीर्घकालिक सुधारों; जिनमें कोयला और खनन क्षेत्र जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

भारत-भूटान और चीन त्रिकोण: अवसर व चुनौतियाँ

संदर्भ

हाल ही में चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए भूटान की पूर्वी सीमा पर भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। चीन के द्वारा इस प्रकार की दावेदारी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग क्षेत्र को लेकर भी की जाती रही है। चीन ने अपनी विस्तारवादी मानसिकता के कारण ही सभी पड़ोसी देशों के मन में स्वयं के प्रति अविश्वास व संदेह की भावना उत्पन्न कर दी है। चीन के विपरीत भारत ने साझी संस्कृति, साझी विरासत व आपसी समन्वय के बल पर भूटान के साथ विश्वास की एक मजबूत नींव स्थापित की है।

भूटान के साथ सदियों से भारत के मधुर संबंध रहे हैं और वह भारत का निकट सहयोगी भी रहा है तथा पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई है। पिछले कई दशकों से भूटान के साथ संबंध भारत की विदेश नीति का एक स्थाई कारक रहा है। साझा हितों और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग पर आधारित अच्छे पड़ोसी के संबंधों का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। यह इस बात का प्रतीक है कि दक्षिण एशिया की साझा नियति है। यही कारण है कि आज परिपक्वता, विश्वास, सम्मान, आपसी सूझ-बूझ तथा निरंतर विस्तृत होते कार्यक्षेत्र में संयुक्त प्रयास भारत-भूटान संबंधों की विशेषता है।

वर्तमान मुद्दा क्या है ?

- चीन के द्वारा भूटान की पूर्वी सीमा पर अपनी दावेदारी पेश की गई है, आश्चर्यजनक बात यह है कि भूटान की पूर्वी सीमा किसी भी प्रकार से चीन के साथ सीमा साझा नहीं करती है।
- इतना ही नहीं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नेतृत्व में आयोजित होने वाले वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility) सम्मेलन में भूटान के सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य (Sakteng Forest Reserve) को विवादित क्षेत्र बताते हुए चीन द्वारा उसे प्राप्त होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अनुदान का रोकने का असफल प्रयास किया गया।

सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य

- सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी।
- यह अभ्यारण्य भूटान के सुदूर पूर्वी भाग में त्राशिगंग जिले (Trashigang District) में अवस्थित है।
- यह उत्तर और पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है।
- यह वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 740.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यहाँ मुख्य रूप से रेड पांडा और हिमालयी मोनाल तीतर (Monal Pheasant) पाया जाता है इसके अतिरिक्त बुरंश का फूल (Rhododendron) बहुतायत में पाए जाते हैं।
- पूर्व में वर्ष 1984 से चीन व भूटान के मध्य लगातार वार्तालाप के 24 दौर आयोजित किये गए परंतु कभी भी चीन ने भूटान की पूर्वी सीमा का मुद्दा नहीं उठाया।
- ध्यातव्य है कि भूटान की पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के साथ स्पर्श करती है, अतः चीन की यह नई चाल भूटान ही नहीं बल्कि भारत के लिये भी चिंता का विषय है।
- रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, चीन के द्वारा भूटान की पूर्वी सीमा पर दावेदारी दबाव बनाने की रणनीति है, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ उसे डोकलाम क्षेत्र में अपनी दावेदारी को मजबूत करने (पैकेज समाधान) के रूप में मिल सकता है।
- विदित है कि भूटान व चीन के मध्य डोकलाम क्षेत्र, जाकरलुंग क्षेत्र तथा पासमलुंग क्षेत्र को लेकर विवाद है।

भारत-भूटान: घनिष्ठ मित्र

- भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारणों के आधार पर भारत एवं भूटान के संबंध प्राचीन काल से ही अटूट रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत-भूटान के बीच संबंधों में अधिक प्रगाढ़ता आई।
- वर्ष 1949 में दोनों देशों के मध्य मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किये गये। इस संधि ने भारत-भूटान के मध्य द्विपक्षीय संबंधों की नींव रखी।

- इस संधि से भूटान के विदेश संबंधों और उसकी रक्षा का दायित्व भारत पर आ गया। इस संधि को वर्ष 2007 में संशोधित किया गया जिसमें भारत द्वारा भूटान को स्वतंत्र विदेश नीति के निर्धारण के लिये प्रेरित किया गया।
- वर्ष 1968 में भूटान के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई। वर्ष 2018 में राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं।

भारत के लिये भूटान का महत्त्व

- भूटान भारत का निकटतम पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। द्विपक्षीय भारतीय-भूटान समूह सीमा प्रबंधन और सुरक्षा की स्थापना दोनों देशों के बीच सीमा की सुरक्षा करने के लिये की गई है। वर्ष 1971 से भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र में भूटान जैसे छोटे हिमालयी देश के प्रवेश का समर्थन भी भारत ने ही किया था, जिसके बाद से इस देश को संयुक्त राष्ट्र से विशेष सहायता मिलती है।
- भारत के साथ भूटान मजबूत आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य संबंध रखता है। भूटान सार्क का संस्थापक सदस्य है और बिम्सटेक, विश्व बैंक तथा IMF का सदस्य भी बन चुका है। भौगोलिक स्थिति के कारण भूटान विश्व के बाकी हिस्सों से कटा हुआ था, लेकिन अब भूटान ने विश्व में अपनी जगह बनाने के प्रयास शुरू कर दिये हैं।
- भारत की उत्तरी प्रतिरक्षा व्यवस्था में भी भूटान को Achilles Heel की संज्ञा दी जाती है। यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। चुम्बी घाटी से चीन की सीमाएँ लगभग 80 मील की दूरी पर हैं, जबकि भूटान, चीन से लगभग 470 किमी. लंबी सीमा साझा करता है।
- ऐसे में चीन के विस्तारवादी रुख के मद्देनजर भूटान की सीमाओं को सुरक्षित रखना जरूरी है क्योंकि इससे न केवल भूटान को बल्कि उत्तरी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को भी खतरा हो सकता है।
- भारत और भूटान के बीच 605 किलोमीटर लंबी सीमा है तथा वर्ष 1949 में हुई संधि की वजह से भूटान की अंतर्राष्ट्रीय, वित्तीय और रक्षा नीति पर भारत का प्रभाव रहा है।

भारत-भूटान के बीच सहयोग के क्षेत्र

- पर्यटन
- शिक्षा और छात्रवृत्ति
- हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स
- क्षेत्र में स्थिरता तथा आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई
- BBIN (बांग्लादेश, भूटान, इंडिया तथा नेपाल) परियोजना
- क्षेत्र में चीन के भौगोलिक आकार तथा आर्थिक विस्तार को रोकना
- विकास आधारित खुशहाली
- जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग

भारत-भूटान व्यापारिक परिदृश्य

- 15 जुलाई 2020 को भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगाँव और भूटान के पासाखा के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोल दिया है। भारत सरकार ने पूर्व में भूटान स्थित पसाखा में एक अतिरिक्त भूमि सीमा शुल्क स्टेशन भी खोला था।
- भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 9317 करोड़ रुपए का था। इसमें भारत से भूटान को होने वाला निर्यात 6113 करोड़ रुपए (भूटान के कुल आयात का 84%) तथा भूटान से भारत को होने वाला निर्यात 3314 करोड़ रुपए (भूटान के कुल निर्यात का 78 प्रतिशत) दर्ज किया गया।
- भारत से भूटान को निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में खनिज उत्पाद, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, बिजली के उपकरण, धातुएँ, वाहन, सब्जी उत्पाद, प्लास्टिक की वस्तुएँ शामिल हैं।
- भूटान से भारत को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ हैं- बिजली, फेरो-सिलिकॉन, पोर्टलैंड सीमेंट, डोलोमाइट, सिलिकॉन, सीमेंट क्लिंकर, लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद, आलू, इलायची और फल उत्पाद।

हाइड्रोपावर कोऑपरेशन

- भूटान में जलविद्युत परियोजनाएँ दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख उदाहरण हैं जो भारत को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती हैं तथा राजस्व अर्जन के साथ-साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- अब तक भारत सरकार ने भूटान में कुल 1416 मेगावाट की तीन पनबिजली परियोजनाओं (HEPs) के निर्माण में सहयोग किया है ये परियोजनाएँ चालू अवस्था में हैं और भारत को विद्युत निर्यात कर रही हैं।
- जलविद्युत निर्यात भूटान के घरेलू राजस्व का 40% और उसके सकल घरेलू उत्पाद का 25% से अधिक राजस्व प्रदान करता है।
- वर्ष 2009 में दोनों देशों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया जिसमें यह सहमति बनी कि भारत 2020 तक भूटान को 10 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन कराने में सहयोग कर उससे अधिशेष बिजली खरीदेगा।
- वर्ष 2019 में भारत व भूटान के प्रधानमंत्री ने मिलकर मांगदेचू पनबिजली परियोजना (Mangdechhu hydroelectric project) का उद्घाटन किया।

आध्यात्मिक कूटनीति

- भूटान में जोंग धार्मिक मठों और प्रशासनिक केंद्र के रूप में रहे हैं। ऐतिहासिक सिमटोखा जोंग स्थल के प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के पौधे का रोपण भी किया और भूटान को पर्यावरणीय रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया।
- तिब्बती बौद्ध लामा शब्दरूंग नामग्याल द्वारा वर्ष 1629 में निर्मित सिमटोखा जोंग इस हिमालयी देश के सबसे पुराने किलों में एक है। यह इमारत बौद्धमत और प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करती है। नामग्याल को भूटान के एकीकृत करने वाले के तौर पर देखा जाता है।
- इस स्थान को महत्व देकर भारत ने कूटनीति की एक नई विधा आध्यात्मिक कूटनीति की शुरुआत की है।

भूटान पर चीन की नज़र

- चीन अपने उत्तरी पड़ोसी भूटान के साथ संबंधों को औपचारिक रूप देने के लिये उत्सुक है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भूटान का अभी भी कोई औपचारिक संबंध नहीं है।
- चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद भी है। चीन चाहता है कि सीमा विवाद को सुलझाने में भारत की कोई भूमिका न हो लेकिन भूटान ने साफ कर दिया था कि इस संबंध में जो भी बात होगी वह भारत की मौजूदगी में होगी।
- भारत और भूटान के बीच हुई ऐतिहासिक संधि चीन को हमेशा खटकती रही है। चीन और भूटान के बीच पश्चिम तथा उत्तर में करीब 470 किलोमीटर लंबी सीमा है।
- दूसरी तरफ, भारत और भूटान की सीमा पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण में 605 किलोमीटर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भूटान में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी रही है और भूटान की सेना को भारत प्रशिक्षण देने के साथ अनुदान भी मुहैया कराता है।
- भारत, भूटान की सुरक्षा के साथ-साथ अपनी सुरक्षा भी करता है। चीन के इरादे हमेशा से ही अच्छे नहीं रहे हैं। भूटान को आशंका रहती है कि वर्ष 1948 में माओ ने जिस तरह तिब्बत को अपने कब्जे में लिया उसी तरह चीन, भूटान पर भी कब्जा कर लेगा।

आगे की राह

- भारत को भूटान की चिंताओं को दूर करने के लिये मजबूती से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भूटान में चीनी हस्तक्षेप बढ़ने से भारत-भूटान के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की नींव कमजोर पड़ने का खतरा है। भूटान का राजनीतिक रूप से स्थिर होना भारत की सामरिक और कूटनीतिक रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।
- गौरतलब यह भी है कि मात्र 8 लाख की आबादी वाले देश भूटान की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है और वह काफी हद तक भारत को होने वाले निर्यात पर ही निर्भर है। लेकिन इधर भारत में विमुद्रीकरण, वस्तु एवं सेवा कर जैसी घटनाओं ने व्यापार के मामले में भूटान में भ्रम उत्पन्न कर दिया है। इसलिये ऐसे सभी मुद्दों पर दोनों देशों को मिलकर विस्तार से विचार करना होगा, जो दोनों देशों के विकास, शांति एवं सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

भारत-दक्षिण कोरिया: गहराते संबंध

संदर्भ

भारत और दक्षिण कोरिया ने विगत कई वर्षों में द्विपक्षीय संधियों और समझौतों के माध्यम से अपने संबंधों को नई ऊँचाई प्रदान की है। वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान दोनों देशों के मध्य स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बेहतर आपसी समन्वय देखने को मिला। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये दक्षिण कोरिया ने परीक्षण की तेज गति, कठोर क्वारंटीन नीति तथा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जैसी रणनीतियों पर गंभीरता से कार्य किया, जो भारत के लिये पथ-प्रदर्शक साबित हुए।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मजबूत व्यापारिक और आर्थिक संबंध के अलावा गतिशील रक्षा संबंधों को भी समान महत्त्व दिया जा रहा है। वर्ष 2019 में भारत और दक्षिण कोरिया (India and South Korea) ने विशेष रणनीतिक साझेदारी (Special Strategic Partnership) के तहत एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत दोनों देश एक-दूसरे के नौसैनिक अड्डों का उपयोग रसद के आदान-प्रदान के लिये कर करेंगे।

इस आलेख में भारत व दक्षिण कोरिया के मध्य संबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सहयोग के विभिन्न क्षेत्र, भारत के लिये दक्षिण कोरिया का महत्त्व, दक्षिण कोरिया के लिये भारत की आवश्यकता तथा दोनों देशों के बीच मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं।
- ऐसा माना जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी सुरीरत्ना ने कोरिया के राजा किम-सुरो से विवाह किया था। दोनों देशों के बीच वैवाहिक संबंधों के मद्देनजर एक संयुक्त डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है।
- बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई लेकिन इसका प्रसार चीन, जापान और कोरिया तक हुआ, इस प्रकार के सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों को एक-दूसरे को करीब लाते हैं।
- भारत के कई शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये अपने दूतों को इस क्षेत्र में भेजा था साथ ही यहाँ के छात्र भारत के बौद्ध शिक्षा केंद्रों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये आते थे।

सहयोग के विभिन्न क्षेत्र

राजनीतिक क्षेत्र

- भारत और दक्षिण कोरिया के राजनीतिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1945 में दक्षिण कोरिया की आजादी के बाद शुरू हुई। भारत ने हमेशा से ही दक्षिण कोरिया के मामलों में महत्त्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है।
- भारत के श्री के.पी.एस. मेनन कोरिया में चुनाव करवाने के लिये वर्ष 1947 में गठित 9 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष थे।
- कोरिया युद्ध (वर्ष 1950-53) के दौरान, युद्ध के दोनों पक्षों ने भारत द्वारा प्रायोजित एक संकल्प को स्वीकार कर लिया और 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम की घोषणा हुई, जो भारत की एक बड़ी उपलब्धि थी।
- वर्ष 2006 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा की गई कोरिया गणराज्य की राजकीय यात्रा ने भारत-कोरिया गणराज्य संबंधों के एक नए दौर की शुरुआत की थी। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement-CEPA) पर निर्णय लेने के लिये एक कार्य बल का गठन किया गया। जनवरी, 2010 को इस व्यापक आर्थिक साझेदारी करार को प्रभावी किया गया।
- वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण कोरियाई यात्रा अहम रही जब उन्हें सियोल शांति पुरस्कार (Seoul Peace Prize) से नवाजा गया। इस तरह दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध काफी मजबूत हुए हैं।

व्यापारिक एवं आर्थिक क्षेत्र

- भारत, कोरिया का 15वाँ बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत-कोरिया गणराज्य व्यापार में पोत निर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण तथा विनिर्माण आदि प्रमुख हैं।

- कोरिया गणराज्य की सैमसंग, हुंडई मोटर्स और एलजी जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत में लगभग 3 बिलियन डॉलर से अधिक निवेश किया है। कोरिया गणराज्य में भारतीय तकनीकी कंपनियों का निवेश लगभग 2 बिलियन है।
- आधिकारिक रूप से कोरिया की छोटी-बड़ी 603 फर्मों में भारत में कार्यरत हैं। इसके अलावा कोरिया ने घोषणा की है कि वह भारत में एक स्टार्टअप सेंटर की स्थापना करेगा। बहुराष्ट्रीय कोरियन कंपनी सैमसंग ने विश्व का अपना सबसे बड़ा उद्यम नोएडा में लगाकर अपनी मंशा साफ कर दी है कि यदि भारत निवेश के अनुकूल वातावरण बनाए, तो कोरिया निवेश में पीछे नहीं रहेगा।
- दोनों देशों के बीच वर्ष 2013-2014 में 16.67 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार रहा, जो वर्ष 2019-2020 में बढ़कर 22.52 बिलियन डॉलर हो गया।

सांस्कृतिक क्षेत्र

- भारत तथा कोरिया गणराज्य के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिये अप्रैल 2011 में सियोल में तथा दिसंबर 2013 में बूसान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का गठन किया गया।
- जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय क्रमशः कोरिया अध्ययन एवं कोरियन भाषा पाठ्यक्रमों में कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं।
- वर्ष 2013 में कोरिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ द्वारा 'भारतीय अध्ययन संस्थान कोरिया' की स्थापना की गई। 'भारतीय अध्ययन संस्थान कोरिया' एक ऐसा मंच है जो बड़ी संख्या में कोरियाई व भारतीय शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों और व्यावसायिक-प्रतिनिधियों को एकजुट करता है।
- भारत और कोरिया गणराज्य के बीच युवा प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान वार्षिक आधार पर कई वर्षों से हो रहा है।

भारतीय डायस्पोरा

- अनुमानित तौर पर कोरिया गणराज्य में रह रहे भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 11,000 के आस-पास है। कोरिया गणराज्य में लगभग 1000 भारतीय शोधार्थी स्नातकोत्तर एवं पीएचडी- पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, जहाजरानी एवं ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में अनेक पेशेवरों ने भारत से कोरिया गणराज्य में प्रवास किया है।

द्विपक्षीय संबंधों का वर्तमान परिदृश्य

- वैश्विक महामारी Covid-19 के दौर में दोनों देशों के द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित उपकरणों जैसे- टेस्टिंग किट, मास्क तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने वाली दवाओं का परस्पर आदान-प्रदान सुनिश्चित किया गया है।
- भारत जहाँ एक ओर अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी (Look East Policy) के माध्यम से अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दक्षिण कोरिया नई दक्षिणी रणनीति (New Southern Policy) के माध्यम से भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहता है।
- दक्षिण कोरिया ने भारत को अपना विशेष रणनीतिक साझेदार घोषित किया है, दक्षिण कोरिया ने इस प्रकार का समझौता केवल अपने पारंपरिक सहयोगियों जैसे जापान और अमेरिका के साथ ही किया है।
- भारत और दक्षिण कोरिया अपने सामरिक संबंधों को लगातार मजबूती प्रदान कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच मंत्री स्तर की संयुक्त बैठक के साथ ही सचिव स्तर पर 2+2 डायलॉग (2 + 2 Dialogue) जैसी वार्ता चल रही है।
- दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान में भारत के साथ त्रिपक्षीय आधार पर एक परियोजना का निर्माण कर रहा है, साथ ही वह सदैव भारत की अफगानिस्तान नीति का समर्थन करता रहा है।
- भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement) है। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता महत्वपूर्ण धातुओं और उससे बनी वस्तुओं के निःशुल्क आयात की अनुमति देता है।
- भारत-दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र (Technology Exchange Centre) की स्थापना नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम के परिसर में की गई है। इसके माध्यम से दोनों देश लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में एक-दूसरे की सहायता कर रहे हैं।

- दोनों देशों के बीच कोरिया प्लस (Korea Plus) का संचालन जून 2016 से किया जा रहा है जिसमें दक्षिण कोरिया उद्योग, व्यापार तथा ऊर्जा मंत्रालय, कोरिया व्यापार निवेश एवं संवर्द्धन एजेंसी (Korea Trade Investment and Promotion Agency- KOTRA) और इन्वेस्ट इंडिया के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- सांस्कृतिक स्तर पर संबंधों को बढ़ावा देने के लिये कोरियाई ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और प्रसार भारती ने दक्षिण कोरिया में दूरदर्शन इंडिया चैनल तथा भारत में कोरियाई ब्रॉडकास्टिंग चैनल के प्रसारण की सुविधा देने पर सहमति जताई है।

भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों में चुनौतियाँ

- भारत, दक्षिण कोरिया के साथ समझौता करके सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से चीन को दरकिनार करना चाहता है लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिये कि दक्षिण कोरिया का भारत की अपेक्षा चीन से व्यापार लगभग 10 गुना अधिक है।
- मुक्त व्यापार समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच असमंजस की स्थिति बरकरार है, इसलिये भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार अपेक्षित गति नहीं प्राप्त कर पा रहा है।
- हाल ही में दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के संबंध सामान्य हुए हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर यह माना जाता है कि उत्तर कोरिया तथा पाकिस्तान के बीच परमाणु कार्यक्रमों को लेकर साझेदारी है जो भारत के लिहाज से चिंता का विषय है।
- दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है परिणामस्वरूप नस्लीय भेद-भाव की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।
- भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य एक दशक पहले ही सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर सहमति बनी लेकिन वो सहमति अभी कागजों पर ही सीमित है या ऐसा कहा जा सकता है कि इस संदर्भ में खास प्रगति नहीं हुई है।
- इण्डो-पैसिफिक क्षेत्र का विश्व व्यापार में सबसे ज्यादा योगदान है लेकिन भारत का इन द्विपीय देशों से संबंध उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिये।

भारत-दक्षिण कोरिया एक-दूसरे के पूरक

- भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही प्रायद्वीपीय मुल्क हैं भारत के विपरीत दक्षिण कोरिया अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिये पूर्णता समुद्र से होने वाले आयात पर निर्भर है। ऐसे में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के बढ़ते रसूख के बीच समुद्री यातायात की सुरक्षा दोनों मुल्कों का साझा हित है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का दबदबा सियोल के लिये कारगर साबित हो सकता है। वहीं दक्षिण कोरिया की जहाज निर्माण क्षमताएँ भारत के लिये सहायक साबित हो सकती है। भारत में सैन्य और कारोबारी इस्तेमाल के लिये पोत निर्माण आधुनिकीकरण में दक्षिण कोरिया का सहयोग लाभ का सौदा साबित हो सकता है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हितों का तालमेल तकनीक हस्तांतरण को भी आसान बनाता है।
- इसके अलावा ड्रोन से लेकर एअर डिफेंस गन और सीमा की निगरानी की कारगर प्रणालियों तक साझेदारी के कई मोर्चे हैं जिन पर दोनों देश वार्ता कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के साथ लगने वाले डीमिलिट्राइज्ड जोन में दक्षिण कोरिया ने जिस तरह निगरानी के संवेदनशील सिस्टम विकसित किये हैं वो अगर भारत को प्राप्त हो जाएँ तो पाकिस्तान के साथ लगी नियंत्रण रेखा घुसपैठ की चुनौतियों से निपटने में भारत के लिये कारगर साबित हो सकते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया मिसाइल एअर-डिफेंस सिस्टम के साझा विकास और उत्पादन को लेकर भी बात कर रहे हैं।
- दोनों ही देश इंडो-पैसिफिक नीति के समर्थन में हैं और तो और, भारत की एकट ईस्ट नीति की तरह दक्षिण कोरिया की नई दक्षिण नीति का उद्देश्य भी दक्षिण-पूर्व और दक्षिण एशिया के देशों के साथ आर्थिक, राजनयिक, और सामरिक संबंधों का सुदृढीकरण करना है।
- दक्षिण कोरिया के 'नई दक्षिण नीति' के अनुसार वो उत्तर-पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करेगा। भारत भी अपनी 'एकट ईस्ट पॉलिसी' को अमलीजामा पहनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- अमेरिका-चीन में बढ़ते व्यापार युद्ध को देखते हुए भारत को नये बाजार की आवश्यकता है। ऐसे में भारत दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंधों को नई दिशा दे सकता है।
- भारत के तेज विकास की चाह में दक्षिण कोरिया का आज क्या महत्व है, एक आसान समीकरण से समझा जा सकता है। भारत की आबादी दक्षिण कोरिया से 24 गुना अधिक है जबकि प्रति-व्यक्ति जीडीपी के मामले में यह दक्षिण कोरिया का महज 16वाँ हिस्सा ही है। इस प्रकार दोनों के रिश्ते एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं क्योंकि जहाँ दक्षिण कोरिया के पास उन्नत तकनीक और विशेषज्ञों के साथ पूँजी मौजूद है, वहीं भारत के पास बहुत बड़ा बाजार एवं कच्चे माल की उपलब्धता है जिसका लाभ दोनों देश उठा सकते हैं।

आगे की राह

- वर्तमान में जिस तरह दोनों देशों के बीच संबंध आगे बढ़े हैं वह दोनों देशों की आवश्यकता की ओर इंगित करता है लेकिन इसे और आगे ले जाने की जरूरत है जिससे विश्व शांति व सुरक्षा में वे अपना योगदान दे सकें।
- बढ़ती क्षेत्रीय अस्थिरता को कम करने के लिये भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' तथा दक्षिण कोरिया की 'नई दक्षिण नीति' को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- भारत को दक्षिण कोरिया को अपने प्राथमिकता वाले देशों में शामिल करने की आवश्यकता है।

परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में पूरा विश्व स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के साथ ही विश्व व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों से जूझ रहा है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं तो वहीं चीन इस वैश्विक संकट की घड़ी में भी अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। चीन की नीति विश्व राजनीति में अपने प्रभाव और शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से परिचालित है। जो दक्षिण एशिया में भारत के लिये समस्या उत्पन्न कर रही है।

चीन के उकसावे में ही नेपाल ने नए नक्शे को अपनाकर भारत के साथ सीमा विवाद को पुनर्जीवित कर दिया है। श्रीलंका, चीन के ऋण जाल में फँसा हुआ है और चीन पर निर्भर हो चुका है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद भारत के प्रति बांग्लादेश के रूख में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। वर्तमान में अफगानिस्तान एक बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और भारत का बहुदलीय वार्ता से बाहर होना चिंता का विषय है। पाकिस्तान पर रणनीतिक बहूत हासिल करने के लिये भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी अति आवश्यक है। पश्चिम एशिया में ईरान ने भी भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह के विकास में की जा रही देरी पर नाराज़गी व्यक्त की है।

इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने पिछले कुछ वर्षों में विदेश नीति के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। वर्तमान में भारत, विश्व के लगभग सभी मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और अधिकांश बहुपक्षीय संस्थानों में उसकी स्थिति मजबूत हो रही है।

विदेश नीति से तात्पर्य

- विदेश नीति एक ढाँचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकार, बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अलग-अलग स्वरूपों यानी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रूप में संचालित करती है।
- ◆ वहीं कूटनीति किसी देश की विदेश नीति को प्राप्त करने की दृष्टि से विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने का एक कौशल है।
- किसी भी देश की विदेश नीति का विकास घरेलू राजनीति, अन्य देशों की नीतियों या व्यवहार एवं विशिष्ट भू-राजनीतिक परिदृश्यों से प्रभावित होता है।
- ◆ शुरुआत के दिनों में यह माना गया कि विदेश नीति पूर्णतः विदेशी कारकों और भू-राजनीतिक परिदृश्यों से प्रभावित होती है, परंतु बाद में विशेषज्ञों ने यह माना कि विदेश नीति के निर्धारण में घरेलू कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य

- किसी भी अन्य देश के समान ही भारत की विदेश नीति का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य अपने 'राष्ट्रीय हितों' को सुरक्षित करना है।
- उल्लेखनीय है कि सभी देशों के लिये 'राष्ट्रीय हित' का दायरा अलग-अलग होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित के अर्थ में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिये हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमा-पार आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि शामिल हैं।
- अपनी विकास गति को बढ़ाने के लिये भारत को पर्याप्त विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी। विभिन्न परियोजनाओं जैसे- मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया आदि को सफल बनाने के लिये भारत को विदेशी सहयोगियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वित्तीय सहायता और तकनीकी की जरूरत है।

- ◆ उल्लेखनीय है कि हाल के कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति के इस पहलू पर नीति निर्माताओं ने काफी अधिक ध्यान दिया है।
- विश्व भर में भारत का डायस्पोरा भी काफी मजबूत है और तकरीबन विश्व के सभी देशों में फैला हुआ है। भारत की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीय को संलग्न कर वहाँ उनकी उपस्थिति का अधिकतम लाभ उठाना है, इसी के साथ उनके हितों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक होता है।
- संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति के मुख्यतः 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:
 - ◆ भारत को पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से बचाना।
 - ◆ ऐसा वातावरण बनाना जो भारत के समावेशी विकास के लिये अनुकूल हो, जिससे देश में गरीब से-गरीब व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँच सके।
 - ◆ यह सुनिश्चित करना की वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ सुनी जाए और विभिन्न वैश्विक आयामों जैसे- आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निरस्त्रीकरण और वैश्विक शासन के मुद्दों को भारत प्रभावित कर सके।
 - ◆ विदेश में भारतीय प्रवासियों को जोड़ना और उनके हितों की रक्षा करना।

भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत

- पंचशील सिद्धांत: उल्लेखनीय है कि पंचशील सिद्धांत को सर्वप्रथम वर्ष 1954 में चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत के मध्य संधि करने के लिये प्रतिपादित किया गया और बाद में इसका प्रयोग वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने के लिये भी किया गया। पाँच सिद्धांत निम्नलिखित हैं:
 - ◆ एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान।
 - ◆ पारस्परिक आक्रमण न करना।
 - ◆ एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
 - ◆ समता और आपसी लाभ।
 - ◆ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन: भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की अगुआई में भारत ने वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non Alignment Movement) की स्थापना में सहभागिता की। जिसके तहत विकासशील देशों ने पश्चिमी व पूर्वी शक्तियों के समूहों को समर्थन देने से इंकार दिया।
- गुजराल डॉक्ट्रिन: वर्ष 1996 में तत्कालीन विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल की विदेश नीति संबंधी विचारों को लेकर बने सिद्धांतों को गुजराल डॉक्ट्रिन कहा जाता है इसके तहत पड़ोसी देशों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करने के विचार को प्राथमिकता दी गई।
- नाभिकीय सिद्धांत: भारत ने प्रथम नाभिकीय परीक्षण वर्ष 1974 तथा द्वितीय नाभिकीय परीक्षण वर्ष 1998 में किया। इसके बाद भारत अपने परमाणु सिद्धांत के साथ सामने आया। इस सिद्धांत के अनुसार भारत तब तक किसी देश पर हमला नहीं करेगा जब तक भारत पर हमला न किया जाए साथ ही भारत किसी गैर-नाभिकीय शक्ति संपन्न राष्ट्र पर नाभिकीय हमला नहीं करेगा।

भारत की वर्तमान विदेश नीति की दिशा

- वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिये सभी देशों से परस्पर संवाद के माध्यम से विदेश नीति को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। भारत की वर्तमान विदेश नीति दूसरे देशों से केवल रक्षा उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं है बल्कि तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भारत विकसित देशों के साथ प्रयत्नशील है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में भारत के विदेश मंत्री, ब्रिक्स (BRICS) देशों के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत, कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिये करीब 85 देशों को दवाओं और अन्य उपकरणों के माध्यम से मदद पहुँचा रहा है, ताकि ये देश भी महामारी का मुकाबला करके उस पर विजय प्राप्त कर सकें।
- प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क (SAARC) देशों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया तत्पश्चात उन्होंने G-20 देशों के प्रमुखों के साथ भी वर्चुअल शिखर सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा। इन दोनों ही शिखर सम्मेलनों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने COVID-19 की महामारी से निपटने के लिये विभिन्न क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मंचों का उपयोग किया। जबकि एक समय पर ये सभी मंच नेतृत्वविहीन लग रहे थे।

- इन कूटनीतिक अनुबंधों के अतिरिक्त, भारत ने 'विश्व का दवाखाना' की अपनी छवि के अनुरूप भूमिका निभाने का भी सतत प्रयत्न जारी रखा है। इसके लिये भारत ने मलेरिया निरोधक दवा हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन (HCQ) का निर्यात पूरी दुनिया को किया है।
- विकसित देशों के साथ-साथ भारत ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों को इस अतिशय मांग वाली दवा का निर्यात किया है।
- खाड़ी देशों के साथ भारत ने व्यापक स्तर पर अपनी मेडिकल कूटनीति का इस्तेमाल किया है। जब कई खाड़ी देशों ने भारत से हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन और पैरासीटामॉल दवाओं के निर्यात की अपील की, तो भारत ने इन देशों को दोनों दवाओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने का प्रयास किया है।
- वर्तमान सरकार ने पूर्व में शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल की खाड़ी से सटे बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग परिषद पहल यानी बिम्सटेक के सदस्य देशों को आमंत्रित किया। बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली कड़ी है। इसमें भारत की 'प्रथम पड़ोस' और 'एक्ट ईस्ट' नीति भी एकाकार होती है। इसके उलट सार्क का दायरा भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित है, जबकि बिम्सटेक भारत को उसकी ऐतिहासिक धुरियों से जोड़ता है।
- वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ज्ञात होता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के सामने बड़ी सामरिक चुनौती पेश कर रहे हैं। पूर्व में चीन के साथ संबंध सुधार की दिशा में अनौपचारिक शिखर वार्ताएँ आयोजित की गईं, परंतु चीन द्वारा लगातार भारत की सीमा का अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है।
- वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमले व वर्ष 2019 में पुलवामा में सैन्य काफिलों पर हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय नीति के प्रमुख उदाहरण हैं।
- श्रीलंका के साथ वर्तमान सरकार के संबंध निश्चित रूप से परंपरा से हट कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से स्थिर भारत सरकार ने भारत-श्रीलंका संबंधों को सफलतापूर्वक तमिल राजनीति से अलग निकाल कर उन्हें सांस्कृतिक एकता के दायरे में लाया है।
- मॉरीशस और सेशेल्स के द्वीप देशों की यात्रा और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ संबंध बनाने के अलावा, भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में एक मजबूत नींव बनाई है।

भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ:

- विदेश नीति के मामले में भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल यह नहीं है कि अपने निकट पड़ोसी देशों, आसियान एवं पश्चिम एशिया समेत सुदूर स्थित पड़ोसी देशों को किस तरह संभाला जाए बल्कि विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों किस प्रकार संतुलित किया जाए यह एक बड़ी चुनौती है।
- चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के कारण उसके साथ संबंध बनाए रखना भारत के लिये चुनौती पूर्ण है। चीन ने अपनी वित्तीय एवं सैन्य ताकत के जरिये भारत के पड़ोसी देशों में अपना मजबूत प्रभाव जमा लिया है, जो हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों की राह में बाधक बन सकता है। चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्स' (String of Pearl's) रणनीति उसकी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना और बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं के लिये सटीक बैठती है। वास्तव में इससे चीन का प्रभाव और भी आगे तक चला जाता है, जो रणनीतिक रूप से हमारे लिए असहज हो सकता है। चीन ने नेपाल और श्रीलंका के साथ अपने रक्षा संबंध और भी मजबूत किये हैं जो भारत के लिये चिंता का विषय है।
- रूस के साथ भारत के संबंध बहुत पुराने और विविधता भरे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के साथ भारत की बढ़ती निकटता से "भरोसेमंद और पुराने दोस्त" रूस के साथ भावनात्मक संबंधों की स्थिति जो पहले थी अब वह स्थिति नहीं है।
- चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिये अमेरिका को एशिया-प्रशांत एवं हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग की अपनी रणनीतिक योजना के अनुरूप भारत का सहयोग मिल रहा है। लेकिन अमेरिका कभी भी भारत का विश्वसनीय सहयोगी नहीं रहा है और आज भी इस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।
- भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को पोषित कर रहा है। भारत को पाकिस्तान के साथ वार्ता करने के लिये तेजी नहीं दिखानी चाहिये और इंतजार करना चाहिये कि पाकिस्तान आंतकवाद जैसे मुद्दों पर क्या कदम उठाता है।
- ईरान में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिशुभ करना भारत की विदेश नीति के लिये एक बड़ी चुनौती है।
- अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद उत्पन्न होने वाली शक्ति-शून्यता की स्थिति भारतीय विदेश नीति के लिये चुनौती उत्पन्न करेगी।

आगे की राह

- भारत की प्रथम पड़ोस की नीति अच्छी है लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं क्षेत्रीय राजनीति में उलझकर हम अपने सुदूर मित्रों की अवहेलना न कर बैठें। अतः आवश्यकता इस बात की है कि 'विश्व बंधुत्व' की भावना जो भारत की पहचान रही है उसको आगे बढ़ाया जाय।
- वर्तमान में अमेरिका-ईरान, इजराइल-फिलीस्तीन, चीन-अमेरिका, अमेरिका-रूस आदि के बीच मनमुटाव चरम पर है। इसके बीच न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक गतिरोध भी बढ़ गये हैं। ऐसे में भारत को कोई भी कदम सोच समझकर उठाना होगा क्योंकि इन सभी देशों के साथ उसके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं।
- पाकिस्तान को कुछ समय के लिये अलग-थलग करना सही हो सकता है लेकिन दीर्घकाल के लिये यह सही नहीं है। इसलिये वार्ता का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिये, क्योंकि पड़ोसी के विकास के बिना क्षेत्र में शांति स्थापित होना असंभव है।
- रूस हमारा पारंपरिक मित्र रहा है इसलिए अमेरिका से मजबूत रिश्ते के बावजूद रूस से बेहतर संबंध आवश्यक हैं।
- हमें भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय संवाद के साथ संपर्क और भी बढ़ाना चाहिये या बेहतर होगा कि समान क्षेत्रीय उद्देश्यों वाले समूह में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर चतुर्पक्षीय संपर्क बढ़ाया जाए।

दक्षिण एशियाई-खाड़ी प्रवासी संकट

संदर्भ

जुलाई 2020 में केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकारों को अनिवासी भारतीयों की सहायता के लिये एक तंत्र स्थापित करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जो किसी अन्य देश में अपना रोजगार खो चुके थे और जीविकोपार्जन की तलाश में भारत लौट आए थे। यह याचिका विधिक विशेषज्ञों के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉयर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स (Lawyers Beyond Borders) द्वारा दायर की गई थी।

इस याचिका में प्रवासी श्रमिकों की शेष वेतन व भत्तों के भुगतान, सेवानिवृत्ति लाभ तथा वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले श्रमिकों के परिजनों को मुआवजा उपलब्ध करने के लिये न्यायिक हस्तक्षेप की माँग की गई है। याचिका में यह भी बताया गया है कि इस संकट की घड़ी में खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council) के देशों में नियोजितों विशेषकर निर्माण क्षेत्र से संबंधित कंपनियों ने प्रवासी श्रमिकों को वेतन आदि का भुगतान किये बिना अत्यधिक लाभ उठाया है। विदित है कि भारत समेत दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों से बड़ी संख्या में कामगार खाड़ी देशों में रोजगार हेतु प्रवास करते हैं। दक्षिण एशियाई श्रम बल खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है, लेकिन खाड़ी देशों में इस श्रम बल के लिये कोई सामाजिक सुरक्षा संरक्षण या श्रम अधिकार नहीं है।

वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण उपजी परिस्थितियों से खाड़ी देशों से भारत सहित अन्य दक्षिण एशियाई देशों में रिवर्स माइग्रेशन देखा जा रहा है।

रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य

- सामान्य शब्दों में रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य किसी अन्य देश से अपने मूल देश या देश के भीतर महानगरों और शहरों से गाँव एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से है।
- बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का खाड़ी देशों से अपने मूल देश में प्रवासन हो रहा है। लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही काम-धंधा बंद होने की वजह से श्रमिकों के सामने जीविकोपार्जन की चुनौती है।

प्रवासी श्रमिक से तात्पर्य

- एक 'प्रवासी श्रमिक' वह व्यक्ति होता है जो असंगठित क्षेत्र में अपने देश के भीतर या इसके बाहर काम करने के लिये पलायन करता है। प्रवासी श्रमिक आमतौर पर उस देश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखते हैं जिसमें वे काम करते हैं।
- अपने देश के बाहर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को विदेशी श्रमिक भी कहा जाता है। उन्हें प्रवासी या अतिथि कार्यकर्ता भी कहा जा सकता है, खासकर जब उन्हें स्वदेश छोड़ने से पहले मेजबान देश में काम करने के लिये भेजा या आमंत्रित किया गया हो।

खाड़ी देशों में प्रवासी श्रमिकों की बड़ी संख्या

- दक्षिण एशिया-खाड़ी प्रवास क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा प्रवास गलियारा है। दक्षिण-एशियाई देशों से लगभग 15 मिलियन लोग खाड़ी देशों में रोजगार या शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग की ओर से जारी 'अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक-2019 (The International Migrant Stock-2019)' रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2019 में खाड़ी देशों में लगभग 8.5 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो दुनिया में प्रवासियों का सबसे बड़ा संकेंद्रण है।
- वर्ष 2019 तक संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी भारतीयों की संख्या लगभग 31 लाख के आस-पास थी। इसी तरह सऊदी अरब में प्रवासी भारतीयों की संख्या लगभग 28 लाख थी।
- कुवैत में प्रवासी भारतीयों की संख्या लगभग 9 लाख, कतर में लगभग 7 लाख, ओमान में लगभग 6 लाख तथा बहरीन में यह संख्या तकरीबन 3.5 लाख थी।
- वहीं दक्षिण एशिया के अन्य देशों में पाकिस्तान से लगभग 4.7 मिलियन प्रवासी, बांग्लादेश से लगभग 1.5 मिलियन प्रवासी, नेपाल से लगभग 2 लाख प्रवासी खाड़ी देशों में मौजूद हैं।

खाड़ी देशों में प्रवासियों की दयनीय स्थिति

- खाड़ी देशों में प्रवासी श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, कल्याणकारी तंत्र व श्रमिक अधिकारों का अभाव है, परिणामस्वरूप श्रमिकों को वेतन, भत्ते, स्वास्थ्य आदि पर होने वाले व्यय के लिये नियोक्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है।
- खाड़ी देशों में काम करने वाले अधिकतर प्रवासी मजदूर हैं तथा अकुशल श्रमिकों के वर्ग में आते हैं और संविदा पर काम करते हैं। इसे खाड़ी देशों में कफाला सिस्टम (Kafala sponsorship system) कहा जाता है। वैश्विक महामारी के दौर में जहाँ अधिकतर नौकरियाँ खतरे में हैं, वहीं यह सभी प्रवासी कामगार सबसे अधिक जोखिम में हैं क्योंकि वे अकुशल श्रमिक हैं।
- वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण खाड़ी देशों में अधिकांश कारखाने, कम्पनियाँ, ऑयल फील्ड्स आदि ठप्प हैं, जिससे प्रवासी लोगों के समक्ष रोजगार का संकट है और जीवन निर्वाह के लिये न्यूनतम धनराशि भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
- रोजगार के अभूतपूर्व संकट के कारण खाड़ी देशों में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने तथा श्रम के राष्ट्रीयकरण की माँग की जा रही है, जिसने प्रवासियों की समस्या को और बढ़ा दिया है।
- स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की माँग ने खाड़ी देशों में विभिन्न अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत भारतीय महिला डॉक्टरों, नर्सों तथा घरों में काम करने वाली घरेलू सहायिकाओं के समक्ष समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं।
- खाड़ी देशों में जीवनरक्षक दवाइयों की अत्यधिक कीमत के कारण पूर्व में प्रवासी श्रमिक भारत से दवाओं का स्टॉक ले कर रखते थे, परंतु लॉकडाउन के कारण वायु परिवहन सेवा के बाधित होने से दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाई जिससे प्रवासियों को भयंकर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- वर्ष 1990 में ऐसी ही स्थिति का सामना प्रवासियों को उस समय करना पड़ा था जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों की भूमिका
- विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों को लगभग 140 बिलियन डॉलर प्रेषण (Remittances) के रूप में खाड़ी देशों से प्राप्त हुए।
- जिसमें भारत को 83.1 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान को 22.5 बिलियन डॉलर, बांग्लादेश को 18.3 बिलियन डॉलर और नेपाल को 8.1 बिलियन डॉलर की धनराशि प्रेषण के रूप में हुई।
- प्रवासी श्रमिकों का योगदान केवल अपने मूल देश में प्रेषित धनराशि भेजने तक ही नहीं सीमित है बल्कि यह खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को भी सस्ता श्रम उपलब्ध कराते हैं।
- प्रवासी श्रमिक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि करने वाला कारक और एक बड़ा उपभोक्ता भी होता है।
- प्रवासी श्रमिक दो देशों के मध्य आर्थिक संबंधों के साथ-साथ सांस्कृतिक संबंधों को भी जोड़ने वाले कारक हैं।

रिवर्स माइग्रेशन से पड़ने वाले प्रभाव

- खाड़ी देशों से होने वाली रिवर्स माइग्रेशन से प्रवासियों के मूल देश पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा। यह सर्वविदित है कि खाड़ी देशों में कार्य कर रहे श्रमिक अपने मूल देश में एक बड़ी राशि भेजते हैं, जिससे दक्षिण एशियाई देशों को बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी।
- दक्षिण एशियाई देश अपेक्षाकृत रूप से औद्योगीकरण में पिछड़े हुए हैं, रिवर्स माइग्रेशन के परिणामस्वरूप इन देशों में रोजगार का संकट भीषण रूप ले रहा है।
- रोजगार के संकट से इन देशों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट होगी क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक व्यवस्था में पूर्व में भी आर्थिक वंचनाओं के दौरान महिलाओं को प्रतिकूल परिवर्तनों का सामना करना पड़ा है।
- खाड़ी देशों में वर्तमान में भले ही उद्योगों में काम कम हो गया है या रुक गया है परंतु लॉकडाउन समाप्त होते ही श्रमिकों की मांग में तीव्र वृद्धि होगी। सस्ता श्रम बल उपलब्ध न हो पाने से ऑयल फील्ड्स और निर्माण क्षेत्र में उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।
- बड़ी संख्या में श्रमिकों के पलायन से खाड़ी देशों को प्राप्त होने वाला राजस्व भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा।

प्रवासियों के पुनर्वास हेतु किये गए प्रयास

- प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने के लिये भारत सरकार ने विदेश से लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिये स्वदेश (SWADES) नामक योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत स्वदेश लौट रहे भारतीयों का उनकी कुशलता के आधार पर डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और इस डेटाबेस के आधार पर प्रवासियों को स्वदेशी और विदेशी कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के सबसे बड़े भागीदार राज्य केरल ने प्रवासियों के बहुमुखी प्रतिभा का उपयोग करने के लिये 'ड्रीम केरल' परियोजना की घोषणा की है। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट के माध्यम से, न केवल वापसी करने वाले प्रवासियों का पुनर्वास किया जाएगा, बल्कि उनकी विशेषज्ञता, कौशल ज्ञान के आधार पर रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश ने भी प्रवासियों के पुनर्वास के लिये एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जिसमें स्वदेश आगमन पर धन की सहायता, स्वरोजगार परियोजनाओं को शुरू करने के लिये कोष और वैश्विक महामारी COVID -19 से विदेश में मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्रवासियों के परिजनों के लिये मुआवजा आदि शामिल हैं।
- पाकिस्तान ने प्रवासी रोजगार निगम के द्वारा वापस आने वाले प्रवासियों के कौशल को उन्नत करने के लिये विशेष कार्यक्रमों को अपनाया है।
- श्रीलंका ने एक संपूर्ण प्रवासन नीति को अपनाकर प्रवासियों के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डिजिटल सेवाओं में सुधार का समय

संदर्भ

डिजिटलीकरण के दौर में इंटरनेट संचार और सूचना प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। दशकों पूर्व इंटरनेट तक पहुँच को विलासिता का सूचक माना जाता था, परंतु वर्तमान में इंटरनेट सभी की जरूरत बन गया है। इसकी उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान प्रभावित लोगों तक प्रशासनिक मदद व खाद्य सामग्री पहुँचाने का कार्य प्रभावी रूप से डिजिटल माध्यम के द्वारा किया जा रहा है।

एक सत्य यह भी है कि इस वैश्विक महामारी से विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएँ बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, विशेषज्ञों द्वारा कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई थी। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान में दृष्टिगोचर हो रहा है, भारत की भी आर्थिक विकास दर में तीव्र गिरावट हुई है।

ऐसी विकट परिस्थिति में जब अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं तब डिजिटल सेवाओं का क्षेत्र ऐसा है जिसने सकारात्मक प्रदर्शन किया है। अब यह स्पष्ट है कि डिजिटल सेवाएँ 21 वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण हो गई हैं। जब राष्ट्रीय या वैश्विक आपात स्थिति में वाणिज्य के अधिक पारंपरिक तरीके बाधित होते हैं, तब डिजिटल सेवाएँ, निर्मित हुए ऐसे अंतराल को भरने में सफल रही हैं। डिजिटल सेवाएँ स्वास्थ्य सेवाओं तथा खुदरा वितरण से लेकर वित्तीय सेवाओं तक कई क्षेत्रों में विविध प्रकार के उत्पादों की पहुँच और वितरण को सक्षम बनाती हैं।

डिजिटलीकरण में इंटरनेट का महत्त्व

- इंटरनेट संचार हेतु एक अमूल्य उपकरण है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट की उपलब्धता ने वर्तमान युग में संचार को काफी आसान और सुविधाजनक बना दिया है।
- इंटरनेट ने दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उन विद्यार्थियों के लिये भी बेहतर शिक्षा का विकल्प खोल दिया है, जिनके पास अब तक इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- इंटरनेट के माध्यम से सूचना के क्षेत्र में भी एक मजबूत क्रांति देखी गई है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार की सूचना को कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं।
- सूचना तक आसान पहुँच के कारण आम लोग अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हुए हैं।
- सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से सरकार की लागत में कमी को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।
- यह राजनीति एवं लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने में भी मदद करता है।
- सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से सरकार की लागत में कमी को भी सुनिश्चित किया गया है। यह सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाता है। साथ ही सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में सहायक हो सकता है।

अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया

- भारत ने वर्ष 2024 तक पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कई बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं। वस्तुतः इन बाधाओं को डिजिटल सेवाओं में वृद्धि कर दूर किया जा सकता है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान भी डिजिटल सेवाओं में निवेश वैश्विक स्तर पर जारी है। वर्तमान में डिजिटल सेवाओं में प्राप्त होने वाला निवेश किसी अन्य क्षेत्र के सापेक्ष सर्वाधिक है।
- भारत डिजिटल सेवा क्षेत्र में बढ़ रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign direct investment-FDI) के लिये एक आदर्श गंतव्य है और इसकी विशाल जनसंख्या इसे अभिनव घरेलू स्टार्ट-अप के लिये निर्विवाद क्षमता प्रदान करती है।

- विमुद्रीकरण के बाद से ही सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में देश में डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस जैसे मिशनों को तेजी से लागू किया जा रहा है, इन प्रयासों में COVID-19 महामारी एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी क्योंकि आम जनमानस में संक्रमण से बचने के लिये डिजिटल सेवाओं के उपयोग हेतु जागरूकता में वृद्धि हो रही है।

डिजिटल भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- विगत कुछ वर्षों में कई निजी और सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया गया है और जिनमें से कुछ तो सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं जिसके कारण उन लोगों को असमानता का सामना करना पड़ता है जो डिजिटली निरक्षर हैं।
- किसी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन का होना 'डिजिटल' होने का प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति स्मार्टफोन का उपयोगकर्ता है, तो भी वह स्वयं को 'डिजिटल सेवी' नहीं कह सकता है, जब तक कि उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी न हो और वह इंटरनेट पर प्रासंगिक और समय पर जानकारी प्राप्त करना न जानता हो।
- एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार, नीतियों में अस्पष्टता व ढाँचागत कठिनाइयों के चलते महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया परियोजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के मामले में अनेक चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा बार-बार नेटवर्क कनेक्टिविटी टूट जाना या फिर सर्वर का ठप हो जाना भी कठिनाई पैदा करता है।
- भारत में अधिकांश मोबाइल व इंटरनेट उपयोगकर्ता शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि भारत की कुल आबादी का 67 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ढाँचागत विकास में हो रही देरी है। एक अनुमान के अनुसार, भारत को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिये 80 लाख से अधिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की जरूरत होगी, जबकि इस समय इनकी उपलब्धता बहुत कम है।
- टैक्सेशन व अन्य नियामकीय दिशा-निर्देशों से जुड़े कुछ मुद्दे भी डिजिटल इंडिया की राह में बाधा बन जाते हैं। कुछ सामान्य नीतिगत बाधाओं में से एक FDI नीति में स्पष्टता का अभाव भी है जिसने ई-कॉमर्स सेक्टर के विकास को प्रभावित किया है। नीतिगत ढाँचे में अस्पष्टता के कारण ही उबर और ओला जैसी परिवहन सेवा कंपनियों का बार-बार स्थानीय सरकारों से विवाद होता है।
- भारत का मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी कानून साइबर अपराधों को रोकने के लिहाज से बहुत प्रभावी नहीं है। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग के अलावा, बैंक अकाउंट का हैक हो जाना, आपका डेटा और गोपनीय जानकारी हैकर्स तक पहुँच जाने की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रहती हैं। ऐसे में जब तक साइबर अपराधों को लेकर कानून में कठोर प्रावधान नहीं होंगे, तब तक डिजिटल इंडिया को वह रफ्तार नहीं मिल पाएगी, जो अपेक्षित है।
- यह सवाल बार-बार उठता है कि क्या इंटरनेट पर हमारी जानकारी और पहचान सुरक्षित है? देश के मौजूदा कानून के मुताबिक सभी सर्विस प्रोवाइडरों को अपने इंटरनेट और मोबाइल ग्राहकों की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को देनी होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) स्वयं को केवल इंटरनेट ग्राहक तक पहुँचाने का हार्डवे मानते हैं। उनका कहना है कि इंटरनेट यूजर के मेल या सोशल नेटवर्किंग साइट पर दी जानकारी केवल विदेशी कंपनियों के सर्वर में होती है और भारत में उसे डिफ्रिक्ट नहीं किया जा सकता। एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन को बढ़ावा देकर भेजने वाले (Sender) और पाने वाले (Receiver) के बीच में डेटा को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयास

भारतनेट कार्यक्रम

- इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थानों को सुलभ ब्रॉडबैंड सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
- भारतनेट परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिये हाईस्पीड ब्रॉडबैंड, किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाना है। इसके तहत ब्रॉडबैंड की गति 2 से 20 Mbps तक निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया।
- इसके तहत स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं कौशल विकास केंद्रों में इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किया गया
- इस परियोजना का वित्तपोषण 'यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड' (Universal Service Obligation Fund-USOF) द्वारा किया गया था।

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन

- राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत वर्ष 2020 तक भारत के प्रत्येक घर में कम-से-कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से की गई है।
- इस परियोजना का उद्देश्य तकनीकी दृष्टि से निरक्षर वयस्कों की मदद करना है ताकि वे तेजी से डिजिटल होती दुनिया में अपना स्थान खोज सकें।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018

- प्रत्येक नागरिक को 50 Mbps की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 तक 1 Gbps तथा वर्ष 2022 तक 10 Gbps की कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण बनाकर राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना।
- ऐसे क्षेत्र जिन्हें अभी तक कवर नहीं किया गया है, के लिये कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
- डिजिटल संचार क्षेत्र के लिये 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करना।

डिजिटल नवाचार का केंद्र बन रहा भारत

- डिजिटल इंडिया देश में डिजिटल तरीके से सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक डिजिटल आधारभूत ढाँचा खड़ा करते हुए डिजिटल सशक्तीकरण का माध्यम बन रहा है। एक ऐसे विश्व में जहाँ अब भौगोलिक दूरियाँ बेहतर भविष्य के निर्माण में कोई बाधा नहीं रह गई हैं, भारत हर क्षेत्र में डिजिटल नवाचार का सशक्त केंद्र बन चुका है।
- ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े एक लाख से अधिक गाँव, 121 करोड़ मोबाइल फोन, 100 करोड़ आधार और 50 करोड़ इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वाले लोगों के साथ भारत अब दुनिया में प्रौद्योगिकी के साथ सहजता से जुड़ी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है।

अपेक्षित सुधार

- वर्तमान में डिजिटल क्षेत्र में विचाराधीन तीन लंबित सुधारों को अपनाने का सही समय है, जिससे आने वाले वर्षों के लिये डिजिटल सेवाओं में भारत के विकास प्रक्षेपवक्र को प्रभावित करने की संभावना है। यह तीन सुधार इस प्रकार हैं-

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक

- भारत सरकार ने भी व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019) को शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया था।
- विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिये संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है जहाँ विधेयक में शामिल बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी।
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून एक व्यापक कानून है जो व्यक्तियों को इस बात पर अधिक नियंत्रण देने का प्रयास करता है कि उनका व्यक्तिगत डेटा कैसे एकत्रित, संग्रहीत और उपयोग किया जाता है।
- एक बार पारित होने के बाद यह कानून वर्तमान भारतीय गोपनीयता कानून में भारी सुधार का वादा करता है जो कि अपर्याप्त और अनुचित रूप से लागू किया गया है।

ई-कॉमर्स नीति

- ई-कॉमर्स के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण, डेटा गोपनीयता और हितधारकों हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने जैसी समस्याएँ पटल पर आती रही हैं। इन्हीं समस्याओं हेतु उचित समाधान प्रस्तुत करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति एक रणनीति तैयार करती है।
- यह नीति घरेलू निर्माताओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के हितों को भी ध्यान में रखती है, साथ ही ऑनलाइन बाजार को उनके लिये बराबरी का क्षेत्र बनाना चाहती है।

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम

- सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों जो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों पर 'गैरकानूनी' जानकारी उपलब्ध कराने वाले 'प्रवर्तक' का पता लगाने और ऐसी सूचनाएँ अधिसूचित होने के 24 घंटे बाद इस तरह की सामग्री को हटाना अनिवार्य करते हैं, का मसौदा जारी किया है।
- प्रस्तावित प्रावधानों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन करने की आवश्यकता है।

इंटरनेट तटस्थता बनाम हेट स्पीच

संदर्भ

हाल ही में 300 से अधिक बहु-राष्ट्रीय कंपनियों ने दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर विज्ञापन देना बंद कर दिया है। ऐसा बताया गया है कि फेसबुक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद घृणास्पद भाषण, संकेत, लेख आदि के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही थी। फेसबुक के ही कुछ शीर्ष अधिकारियों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) के 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सत्य का परीक्षण नहीं करना चाहिये' (social media platforms should not play arbiters of truth) संबंधी विचार की आलोचना भी की थी। फेसबुक, व्हाट्सएप और इन्स्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह आरोप लगाया गया कि इन पर म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिमों के विरुद्ध अभद्र व भेदभावपूर्ण लेख, पोस्ट और वीडियो डाले गए जिसने लोगों के मन में रोहिंग्या मुस्लिमों के विरुद्ध घृणा को फैलाने में सहायता की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रंगभेद व ब्लैक लाइव्स मैटर (Black Lives Matter) आन्दोलन के विरुद्ध भी फेसबुक में घृणा व भेदभावपूर्ण लेख डाले गए थे।

फेसबुक ने इंटरनेट तटस्थता के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा है कि वह घृणास्पद या नफरत फैलाने वाले भाषणों के विरुद्ध कार्रवाई करने या उन्हें रोकने के लिये अभी तैयार नहीं है। इंटरनेट सेवा प्रदाता और फेसबुक जैसे सामाजिक मीडिया निगम विशिष्ट ऑनलाइन सामग्री को रोकने के लिये इंटरनेट को जानबूझकर ब्लॉक करने, उसकी गति को धीमा करने, या अतिरिक्त शुल्क चार्ज करने के विरुद्ध हैं क्योंकि ऐसा करना इंटरनेट तटस्थता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।

हालाँकि फेसबुक ने घृणा व भेदभावपूर्ण लेख, पोस्ट और वीडियो को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की है।

इंटरनेट तटस्थता से तात्पर्य

- नेट न्यूट्रैलिटी (इंटरनेट तटस्थता) ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत माना जाता है कि इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियाँ इंटरनेट पर हर तरह के डाटा को एक जैसा दर्जा देंगी।
- इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली इन कंपनियों में टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। इन कंपनियों को डाटा के लिये अलग-अलग कीमतें नहीं लेनी चाहिये चाहे वह डाटा भिन्न वेबसाइटों पर विजिट करने के लिये हो या फिर अन्य सेवाओं के लिये।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2003 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक टिम वू द्वारा नेट न्यूट्रैलिटी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया।

इंटरनेट तटस्थता का महत्त्व क्यों ?

- सुगम इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरक है। इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
- कोई भी मोबाइल ऑपरेटर, इंटरनेट सेवा प्रदाता या सोशल मीडिया कंपनी ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर इंटरनेट की स्पीड से संबंधित मामले में किसी भी वेबसाइट के साथ भेदभाव नहीं कर पाएंगी।
- नेट न्यूट्रैलिटी सिद्धांत के कारण ही कंपनियाँ किसी भी सामग्री को ब्लॉक करने, धीमा या अधिमान्य गति प्रदान करने जैसे कार्य नहीं कर पाते हैं।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार परिषद भी इंटरनेट व उसके सुगमतापूर्वक प्रयोग के अधिकार को मौलिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के उपकरण के रूप में मानता है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन में सुगम इंटरनेट सुविधा की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

सोशल मीडिया से तात्पर्य

- 'सामाजिक संजाल स्थल' (social networking sites) आज के इंटरनेट का एक अभिन्न अंग है जो दुनिया में एक अरब से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह एक ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने एवं वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है।
- यह पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है, जहाँ विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। उपयोग के बहु-विविध तरीके और तकनीकी निर्भरता ने 'सामाजिक संजाल स्थल' को विभिन्न प्रकार के खतरों के प्रति सुभेद्य किया है

सोशल मीडिया की उपयोगिता

- सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसने विश्व में संचार तथा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नया आयाम दिया है।
- सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज़ बन सकता है जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं और जिनकी आवाज़ को दबाया जाता रहा है।
- कई शोधों में सामने आया है कि दुनिया भर में अधिकांश लोग रोज़मर्रा की सूचनाएँ सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं।
- वर्तमान में आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिये सोशल मीडिया का प्रयोग काफी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है।
- सोशल मीडिया के साथ ही कई प्रकार के रोज़गार भी पैदा हुए हैं।

सोशल मीडिया का दुरुपयोग

- कई शोध बताते हैं कि यदि कोई सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया जाए तो वह हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और हमें डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है।
- यह फेक न्यूज़ और हेट स्पीच फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हेट स्पीच से तात्पर्य

- विधि आयोग के अनुसार हेट स्पीच के अंतर्गत नस्ल, जाति, लिंग, यौन-उन्मुखता (Sexual Orientation) आदि के आधार पर किसी समूह के खिलाफ घृणा फैलाने के कृत्य शामिल हैं।
- भय या घृणा फैलाने वाले अथवा हिंसा को भड़काने वाले भाषण का लिखित रूप में या बोलकर अथवा संकेत द्वारा प्रेषित किया जाना ही हेट स्पीच है।

फेक न्यूज़

- फेक न्यूज़ से तात्पर्य ऐसी खबर से है जो पाठकों को जानबूझकर गलत जानकारी या धोखा देने के लिये बनाई जाती है।
- आमतौर पर ऐसी खबरें लोगों के विचारों को प्रभावित करने के लिये बनाई जाती हैं, जो राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाती हैं या भ्रम पैदा करती हैं।
- सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है और कई बार आपका निजी डेटा चोरी होने का खतरा रहता है।
- सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहों का तेज़ी से प्रसार होता है, जो हिंसक घटनाओं के रूप में समाज के सामने आता है। उदाहरण के लिये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चा चोरी की अफवाहों के कारण कई हिंसक घटनाएँ हुईं।
- सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक ध्रुवीकरण भी किया जाता है। सोशल मीडिया साइटें किसी उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिये तैयार हैं। उदाहरण के लिये, ट्विटर आपको नियमित रूप से उन लोगों का अनुसरण करने के लिये प्रेरित करेगा जो आपके दृष्टिकोण के समान दृष्टिकोण रखते हैं।
 - ◆ यह चुनावी लाभ हेतु लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिये सांप्रदायिक अभिकर्ताओं को आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा देता है।
 - ◆ सोशल मीडिया के द्वारा फैली अफवाहों के कारण ही जनवरी 2020 में सांप्रदायिक तनाव ने हिंसक रूप ले लिया था।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एल्गोरिदम (Algorithms) जो घृणा फैलाने वाले भाषणों को फ़िल्टर करते हैं, स्थानीय भाषाओं के अनुकूल नहीं हैं।

क्या किये जाने की आवश्यकता है ?

- विधिक सामंजस्य स्थापित करना: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने व उपलब्ध ऑनलाइन कंटेंट की जांच करने के लिये विभिन्न नियमों एवं दिशा-निर्देशों में सामंजस्य स्थापित करना अत्यावश्यक है।
- ◆ इस प्रकार भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का एकीकरण करने की आवश्यकता है।
- ◆ साथ ही इंटरनेट पर वायरल होने वाले घृणा व भेदभावपूर्ण लेख, पोस्ट और वीडियो से निपटने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी [मध्यवर्ती संस्थानों के लिये (संशोधन) दिशा-निर्देश] को लागू किया जाना चाहिये।
- न्यायिक विनियमन का पालन सुनिश्चित करना: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन भाषण और मध्यस्थ सेवा प्रदाताओं के मुद्दे को संबोधित किया।
- ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66 'ए' को यह कहते हुए निरस्त कर दिया किया कि यह इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायालयों के लिये स्पष्ट मानक तय करने में असफल है।
- ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि घृणा व भेदभावपूर्ण लेख, पोस्ट और वीडियो आदि को विनियमित करने की दिशा में सरकार को तेजी से कार्य करना चाहिये।
- ◆ अधिकांश सोशल नेटवर्किंग साइटों में साइबर दुर्व्यवहार और अन्य दुर्व्यवहारों की रिपोर्ट करने के लिये सुविधा उपलब्ध होती है। हालाँकि इसकी व्यावहारिक उपयोगिता के लिये जन-जागरूकता एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दायित्व सुनिश्चित करना: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी लेखन सामग्री, वीडियो कंटेंट को डालने के लिये शुल्क निर्धारित किया जा सकता है, ताकि लेखक द्वारा डाले गए कंटेंट पर उसका उत्तरदायित्व तय किया जा सके।
- ◆ घृणा व भेदभावपूर्ण लेख, पोस्ट और वीडियो आदि को तेजी से प्रसारित होने से रोकने के लिये कानूनी निषेधाज्ञा बनाई जानी चाहिये।
- नियामक ढाँचा स्थापित करना: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, मीडिया संस्थानों, नागरिक समाज और कानून प्रवर्तन इकाईयों के बीच आपसी परामर्श के साथ उत्तरदायित्वपूर्ण प्रसारण और संस्थागत व्यवस्था का नियामक ढाँचा बनाना चाहिये।
- आचार संहिता का निर्माण: केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा सामान्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के विनियमन हेतु आचार संहिता का निर्माण किया जा सकता है।
- ◆ उदाहरण के लिये यूरोपीय संघ ने 'डिजिटल सिंगल मार्केट' (Digital Single Market) के ढाँचे के अनुरूप अभद्र भाषा व कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिये एक आचार संहिता भी स्थापित की है।

निष्कर्ष:

हमें इंटरनेट तटस्थता के सिद्धांत को बाधित किये बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद अभद्र भाषा, घृणा व भेदभावपूर्ण लेख और वीडियो आदि को विनियमित करने की दिशा में कार्य करना होगा। विदित है कि किसी भी विनियामक ढाँचे का विकास करना जितना दुष्कर हो सकता है, उतना ही दुष्कर कार्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थापित विनियामक ढाँचा लोकतंत्र में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की न केवल रक्षा करें बल्कि समान रूप से घृणा व भेदभाव उत्पन्न करने वाले भाषण व कंटेंट पर अंकुश भी लगाए।

वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया व चरण

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार की प्रारंभिक अवस्था से ही व्यक्तिगत सतर्कता के साथ वैक्सीन को इस महामारी के नियंत्रण हेतु अंतिम विकल्प बताया जाता रहा है। भारत समेत विश्व के लगभग सभी देश अपने स्तर पर वैक्सीन निर्माण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (Oxford University) के वैज्ञानिकों द्वारा संचालित एक प्रायोगिक कोरोनावायरस वैक्सीन के शुरुआती परीक्षण के दौरान सैकड़ों लोगों में सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया (Protective Immune Response) में वृद्धि देखने को मिली है। 'लैंसेट' (Lancet) जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षण में पाया कि यह प्रायोगिक वैक्सीन 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों में एक दोहरी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है।

सामान्यतः इस तरह के शुरूआती परीक्षणों का उद्देश्य वैक्सीन की सुरक्षा का मूल्यांकन करना होता है, परंतु इस परीक्षण के दौरान विशेषज्ञ इस बात का भी अध्ययन कर रहे थे कि यह वैक्सीन किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करती है। परीक्षण में पाया गया कि किसी व्यक्ति को यह वैक्सीन दिये जाने के बाद उसमें लगभग 56 दिनों तक यह मजबूत एंटीबॉडी और टी-सेल प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं कि COVID-19 को नियंत्रित करने में टी-सेल और एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

इस आलेख में वैक्सीन निर्माण के विभिन्न चरण तथा परीक्षण की अनुमति व उससे संबंधित नैतिक मुद्दों पर विमर्श किया जाएगा।

वैक्सीन से तात्पर्य

- किसी संक्रामक बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता (Immunity) विकसित करने के लिये जो दवा ड्रॉप्स, इंजेक्शन या किसी अन्य रूप में दी जाती है, उसे टीका (vaccine) कहते हैं तथा यह क्रिया टीकाकरण (Vaccination) कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी विधि मानी जाती रही है।
- टीकाकरण व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने का काम करता है।
- टीकाकरण स्वास्थ्य निवेश के सबसे कम लागत वाले प्रभावी उपायों में से एक है। टीकाकरण के लिये जीवन शैली में कोई विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती थी, परन्तु कोरोना वायरस के प्रसार के बाद जीवन शैली में विशेष परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा है।

वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया

- किसी भी वैक्सीन को तैयार करने में कई चरण शामिल होते हैं जो शोध एवं अनुसंधान से प्रारंभ होकर विनिर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण तक विस्तृत है। वैक्सीन निर्माण के निम्नलिखित चरण हैं-
 - ◆ शोध एवं अन्वेषण (Exploratory stage): वैक्सीन निर्माण में शोधरत वैज्ञानिक प्राकृतिक और कृत्रिम एंटीजन (Antigen) की पहचान करते हैं, जो किसी भी बीमारी की रोकथाम में मदद कर सकता है। एंटीजन की पहचान सुनिश्चित होने के बाद इसका संश्लेषण कर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करने का कार्य किया जाता है। इस चरण में रोगाणुओं की वृद्धि और उनका संग्रह या उस रोगाणु से किसी रिक्मिन्ट प्रोटीन (ऐसा प्रोटीन जिसे डीएनए तकनीक से बनाया जाता है) का निर्माण करना जैसी प्रक्रिया शामिल है।
 - ◆ नैदानिक पूर्व (Pre Clinical): इसमें कोशिका संवर्धन प्रणाली का उपयोग किया जाता है और इसका जंतुओं पर परीक्षण किया जाता है, इससे वैक्सीन की प्रभावकारिता सुनिश्चित होती है। परीक्षण के क्रम में चूहों, बंदरों और खरगोश इत्यादि पर टीके का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में वैज्ञानिक इस तथ्य का परीक्षण करना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन से जंतु या पौधे में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न होती है या नहीं। यदि प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न नहीं होती है तो पुनः प्रथम चरण से प्रारंभ करते हैं, और यदि प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है तो तृतीय चरण में प्रवेश करते हैं।
 - ◆ नैदानिक परीक्षण (Clinical Trial): यह चरण वैक्सीन के विकास में सबसे संवेदनशील और अहम होता है क्योंकि इसमें कोशिका संवर्धन प्रणाली के माध्यम से जंतु या पौधों में उत्पन्न प्रतिरोधी क्षमता का परीक्षण मानव शरीर पर किया जाता है। इस चरण में तीन फेज शामिल होते हैं, जो इस प्रकार हैं-
 - ◆ फेज 1- इसमें वैक्सीन का इस्तेमाल लोगों के छोटे समूह (लगभग 20 से 80 लोग) पर किया जाता है और यह परीक्षण किया जाता है कि वैक्सीन का प्रभाव मानव शरीर पर किस प्रकार से पड़ रहा है। पर्यवेक्षण की इस अवधि में वैक्सीन की मात्रा (Doses) व समय का विशेष ध्यान रखा जाता है।
 - ◆ फेज 2- लोगों के जिस समूह को वैक्सीन दी जानी है, उसमें वृद्धि कर इसे सैकड़ों व्यक्तियों की संख्या तक ले जाया जाता है। इसमें वैक्सीन की मात्रा (Doses) में परिवर्तन किया जाता है और वैक्सीन की अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता का भी विश्लेषण किया जाता है। इस अवस्था में सभी आयुवर्ग के लोगों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। इसमें औसतन 8 से 12 माह का समय लगता है।
 - ◆ फेज 3- इस अवस्था में कई हजार लोगों के समूह पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है और यह आकलन करने की कोशिश की जाती है कि वैक्सीन बड़ी जनसंख्या में किस प्रकार प्रभाव उत्पन्न करती करती है। इस अवस्था में वैक्सीन के दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जब यह सिद्ध हो जाता है कि परीक्षण के सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है तो इसे नियामकीय समीक्षा हेतु आगे बढ़ा दिया जाता है।

- नियामकीय समीक्षा व अनुमोदन (Regulatory review and Approval): इस अवस्था में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर 'ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' (Drug Controller General of India- DCGI) द्वारा वैक्सीन परीक्षण के सभी चरणों की समीक्षा की जाती है तदुपरांत उस वैक्सीन के विनिर्माण का अनुमोदन किया जाता है।
- विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण (Manufacturing and quality control): इस अवस्था में बेहतर अवसंरचना के साथ वैक्सीन के विनिर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। वैक्सीन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिये समय-समय पर वैज्ञानिकों तथा विनियामक प्राधिकरणों के माध्यम से गुणवत्ता परीक्षण का कार्य किया जाता है।

नैदानिक परीक्षण की चुनौतियाँ

- भारत में नैदानिक परीक्षण से संबंधित स्पष्ट व कारगर नीति के अभाव में कई अनियमितताएँ देखने को मिलती हैं। एक आँकड़े के अनुसार, वर्ष 2007 से 2019 के बीच पूरे देश में लगभग 4800 लोगों की मृत्यु नैदानिक परीक्षण के कारण हुई।
- भारत में नैदानिक परीक्षण से संबंधित सबसे बड़ी समस्या नियामकीय विफलता है। आय की पूरकता के लिये वालंटियरों की बड़ी संख्या स्वेच्छा से नैदानिक परीक्षणों में भाग लेती है। बेहतर नियामकीय ढाँचे के अभाव में वालंटियरों के स्वास्थ्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण आँकड़ों व तथ्यों की उपेक्षा कर दी जाती है, जो न केवल वालंटियरों के स्वास्थ्य को जोखिम में डालती है बल्कि परीक्षण के आँकड़ों पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है।
- दूसरी समस्या अनैतिक नैदानिक परीक्षण से संबंधित है जिसमें नकली दवाओं व उपकरणों की जाँच के लिये दवा कंपनी व डॉक्टरों की मिलीभगत से रोगियों व वालंटियरों से सच्चाई छुपाई जाती है, जिसका कुप्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
- कई बार नैदानिक शोध संस्थानों (CROs) द्वारा लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं और अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका शोषण किया जाता है। इस प्रकार की अनियमितताओं से संबंधित कई उदाहरण हाल के वर्षों में प्रकाश में आए हैं। वर्ष 2009 में एच.पी.वी. टीके के लिये 24000 लड़कियों को नामांकित किया गया था, बाद में जाँच में पता चला कि इनको झूठी जानकारीयों प्रदान की गई थीं।

निष्कर्ष

ध्यातव्य है कि वैक्सीन निर्माण में अत्यधिक समय लगता है। COVID-19 की विभीषिका को देखते हुए सभी देशों व शोध एवं अनुसंधान संगठनों को सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करते हुए शीघ्र ही वैक्सीन का निर्माण किया जा सके। भारत में भी भारत बायोटेक कंपनी द्वारा COVID-19 की वैक्सीन को 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद' (Indian Council of Medical Research- ICMR) तथा 'राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान' (National Institute of Virology- NIV) के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।

डिजिटल विश्व के निर्माण का अवसर

संदर्भ

हाल ही में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 (A) का प्रयोग करते हुए चीन द्वारा निर्मित और संचालित 59 Apps, जिनमें टिकटॉक, शेयर इट, कैम स्कैनर इत्यादि शामिल हैं, को प्रतिबंधित कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology-MeitY) ने डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को इस प्रतिबंध का आधार बताया है।

चूँकि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था विश्व के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्त्व भी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में डेटा को हम 21वीं सदी की 'मुद्रा' (Currency) की संज्ञा दे सकते हैं। कई एप ऐसे हैं जिनके पास आय का कोई जरिया नहीं है, लेकिन उनका एकमात्र लाभ डेटा संग्रह है। इंटरनेट आधारित इस व्यवसाय मॉडल को निगरानी पूंजीवाद (Surveillance Capitalism) कहा जाता है, जहाँ सभी सोशल मीडिया एप्स और अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं (Users) से पैसे एकत्र वाले अपने-अपने डेटा का इस्तेमाल करते हैं और उससे आय प्राप्त करते हैं। भारत में प्रतिबंधित किये गए चीनी एप निगरानी पूंजीवाद का ही उदाहरण हैं।

भारत के द्वारा चीनी उपकरणों पर लगाए गए प्रतिबंध से निश्चित ही वैश्विक बाजार में चीनी कंपनियों की साख नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। भारत के लिये यह एक अवसर के रूप में आया है। भारत को दीर्घकालिक रणनीति पर कार्य करते हुए डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ना होगा। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था डिजिटल विश्व का नेतृत्वकर्ता बन सकती है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था से तात्पर्य

- आर्थिक व्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें धन का अधिकांश लेन-देन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से किया जाता है, डिजिटल अर्थव्यवस्था कहलाती है।
- डिजिटल सेवाएँ 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण हो गई हैं। जब राष्ट्रीय या वैश्विक आपात स्थिति में वाणिज्यिक लेन-देन के अधिक पारंपरिक तरीके बाधित हुए, तब डिजिटल सेवाओं ने निर्मित हुए ऐसे अंतराल को भरने में सफलता प्राप्त की है।
- डिजिटल सेवाएँ स्वास्थ्य सेवाओं तथा खुदरा वितरण से लेकर वित्तीय सेवाओं तक कई क्षेत्रों में विविध प्रकार के उत्पादों की पहुँच और वितरण को सक्षम बनाती हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के घटक

- देश में बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था को तीन मुख्य घटकों में बाँटा जा सकता है:
 - ◆ भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने वित्तीय समावेशन के साथ-साथ डिजिटल आधारभूत संरचना के उपयोग को बढ़ावा दिया है। हाई स्पीड वाईफाई सहित डिजिटल बुनियादी ढाँचे तक देशव्यापी पहुँच प्रदान करने की योजना ने भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है।
 - ◆ डिजिटल अर्थव्यवस्था का दूसरा चरण भारत में इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल कॉमर्स में वृद्धि है। तकनीकी रूप से समझदार युवा पीढ़ी वस्तुओं की खरीद का सबसे सरल माध्यम ऑनलाइन खरीद को मानती है। इससे देश में ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स का विस्तार हुआ है।
 - ◆ डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर डेटा की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। हमारी अर्थव्यवस्था इस तरह के डेटा को समझने और विश्लेषण करने के दौर से गुजर रही है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने अपना स्वयं का ओपन डेटा पोर्टल लॉन्च किया है जहाँ विश्लेषण के लिये डेटा उपलब्ध है। डेटा की निरंतर बढ़ती जा रही मात्रा और रणनीतिक महत्त्व को देखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिये सरकार डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने में सहायता कर रही है।

बिग डेटा क्या है ?

- बिग डेटा एक वाक्यांश है जिसका उपयोग बहुत भारी मात्रा में संरचित और असंरचित डेटा के लिये किया जाता है, जो इतना बड़ा होता है कि पारंपरिक डेटाबेस और सॉफ्टवेयर तकनीकों का उपयोग करके इसकी प्रोसेसिंग करना बेहद मुश्किल होता है।
- बेहद उन्नत किस्म के कंप्यूटिंग और एल्गोरिदम के उपयोग द्वारा सोशल मीडिया से प्राप्त डेटा के माध्यम से ग्राहक का व्यवहार विश्लेषण और उसकी रुचि-अरुचि का अनुमान लगाकर उद्योगों में बिग डेटा का उपयोग किया जाता है।

डिजिटल नवाचार का केंद्र भारत

- डिजिटल इंडिया देश में डिजिटल तरीके से सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक डिजिटल आधारभूत ढाँचा खड़ा करते हुए डिजिटल सशक्तीकरण का माध्यम बन रहा है। एक ऐसे विश्व में जहाँ अब भौगोलिक दूरियाँ, बेहतर भविष्य के निर्माण में बाधा के रूप में नहीं रह गई हैं, भारत हर क्षेत्र में डिजिटल नवाचार का सशक्त केंद्र बन कर उभरा है।
- ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े एक लाख से अधिक गाँव, 121 करोड़ मोबाइल फोन, लगभग 122 करोड़ आधार और 50 करोड़ इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वाले लोगों के साथ भारत अब दुनिया में प्रौद्योगिकी के साथ सहजता से जुड़ी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है।
- भारत में हाईस्पीड इंटरनेट 5G सेवा की शुरुआत वर्ष 2020 में होने की संभावना है। 5G तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप पर ब्राउज़िंग तक सीमित नहीं रहेगा यह स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग से जुड़े क्षेत्रों में नए तकनीकी विकास करने में भी सक्षम होगी। तेज़ इंटरनेट स्पीड और कम लेटेंसी होने के कारण यह सर्वर रहित ऐप्लिकेशन्स, रिमोट कंट्रोल सर्जरी, कनेक्टेड स्मार्ट सिटी में भी उपयोगी साबित होगा।

- आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है और कर भी रहा है। भारत का लक्ष्य मनुष्य केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का विकास करना है, जो समावेशी तरीके से मानवता को फायदा पहुँचा सके। कठिन समस्याओं का हल ढूँढना तथा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होना भारत के प्रमुख लक्ष्यों में से है।
- वर्तमान में तकनीकी दक्ष अर्थव्यवस्था देश की विदेश नीति के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभा रही है। साइबर सुरक्षित भारत की 5G इंटरनेट तकनीकी विकासशील देशों के साथ संबंध निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगी।

भारत के डिजिटलीकरण में समस्याएँ

- आवश्यक संरचना का अभाव: एसोचैम और डेलाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार नीतियों में अस्पष्टता व ढाँचागत कठिनाइयों के चलते महत्वाकांक्षी डिजिटल पारिस्थितिकी का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के मामले में अनेक चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा बार-बार नेटवर्क कनेक्टिविटी टूट जाना या फिर सर्वर का ठप हो जाना भी कठिनाई पैदा करता है।
- डिजिटल डिवाइड: डिजिटल पारिस्थितिकी के विकास के लिये सुदूर गाँवों में भी पर्याप्त कनेक्टिविटी उपलब्ध कराकर डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की ज़रूरत है। देश में अब भी 50 हजार से अधिक गाँव ऐसे हैं, जहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- साइबर सुरक्षा का मुद्दा: भारत का मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी कानून साइबर अपराधों को रोकने के लिहाज़ से बहुत प्रभावी नहीं है। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग के अलावा, बैंक अकाउंट का हैक हो जाना, डेटा और गोपनीय जानकारी हैकर्स तक पहुँच जाने की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रहती हैं। ऐसे में जब तक साइबर अपराधों को लेकर कानून में कठोर प्रावधान शामिल नहीं किये जाएंगे, तब तक डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को वह रफ्तार नहीं मिल पाएगी, जो अपेक्षित है।
- असमानताओं में वृद्धि: सेवाओं के डिजिटल प्रावधान में सफलता कई अंतर्निहित कारकों पर निर्भर है, जिसमें डिजिटल साक्षरता, शिक्षा और स्थिर और तेज़ दूरसंचार सेवाओं तक पहुँच शामिल है। इन मुद्दों का समाधान किये बिना सेवाओं के बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप मौजूदा असमानताओं में वृद्धि हो सकती है।
- डेटा संरक्षण की चुनौती: 21वीं सदी में डेटा, मुद्रा के समान महत्वपूर्ण है। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों (गूगल, अमेज़न) यहाँ अपनी पहुँच बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिये डेटा संप्रभुता (Data Sovereignty), डेटा स्थानीयकरण (Data Localisation) और इंटरनेट गवर्नेंस (Internet Governance) आदि से संबंधित मुद्दों का समाधान आवश्यक है।

डिजिटलीकरण की दिशा में सरकार के प्रयास

- राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन
 - ◆ राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत वर्ष 2020 तक भारत के प्रत्येक घर में कम-से-कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से की गई है।
 - ◆ इस परियोजना का उद्देश्य तकनीकी दृष्टि से निरक्षर वयस्कों की मदद करना है ताकि वे तेज़ी से डिजिटल होती दुनिया में अपना स्थान खोज सकें।
- राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018
 - ◆ प्रत्येक नागरिक को 50 Mbps की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
 - ◆ सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 तक 1 Gbps तथा वर्ष 2022 तक 10 Gbps की कनेक्टिविटी प्रदान करना।
 - ◆ राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण बनाकर राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना।
 - ◆ ऐसे क्षेत्र जिन्हें अभी तक कवर नहीं किया गया है, के लिये कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
 - ◆ डिजिटल संचार क्षेत्र के लिये 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करना।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013
 - ◆ सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013' जारी की गई जिसके तहत अति-संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिये 'राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure protection centre-NCIIPC) का गठन किया।

- ◆ भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिये अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है।
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019
 - ◆ भारत सरकार ने भी व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019) को शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया था।
 - ◆ विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिये संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है जहाँ विधेयक में शामिल बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी।
 - ◆ व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून एक व्यापक कानून है जो व्यक्तियों को इस बात पर अधिक नियंत्रण देने का प्रयास करता है कि उनका व्यक्तिगत डेटा कैसे एकत्रित, संग्रहीत और उपयोग किया जाता है।
- ई-कामर्स नीति:
 - ◆ ई-कॉमर्स के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण, डेटा गोपनीयता और हितधारकों हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने जैसी समस्याएँ पटल पर आती रही हैं। इन्हीं समस्याओं हेतु उचित समाधान प्रस्तुत करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति एक रणनीति तैयार करती है।
 - ◆ यह नीति घरेलू निर्माताओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के हितों को भी ध्यान में रखती है, साथ ही ऑनलाइन बाजार को उनके लिये बराबरी का क्षेत्र बनाना चाहती है।

आगे की राह

- अप्रचलित कानूनों का निराकरण: भारत के डिजिटल अनुप्रयोग अप्रचलित कानूनों द्वारा शासित होते हैं, जो वर्तमान डिजिटल परिदृश्य के संदर्भ में अनुपयुक्त हो चुके हैं।
 - ◆ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग पारिस्थितिकी तंत्र के लिये डिजाइन किया गया था, न कि आधुनिक डिजिटल अनुप्रयोगों या प्लेटफार्मों के लिये।
 - ◆ इसी प्रकार कॉपीराइट अधिनियम, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के केंद्र में उपस्थित अधिकांश कंटेंट के लिये प्रोत्साहन और सुरक्षा प्रदान करता है, को अंतिम बार वर्ष 2012 में संशोधित किया गया था।
 - ◆ इस प्रकार, प्रमुख कानूनों को संशोधित करने और उन्हें डिजिटल वातावरण के अनुकूल बनाने के लिये दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।
- उपलब्ध अवसर का लाभ उठाना
 - ◆ सरकार को प्रतिबंधित किये गए चीनी उपकरणों के स्थान पर भारतीय उपकरणों के विकास में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करना होगा।
 - ◆ किसी भी तकनीकी परियोजना के शीघ्र निर्माण के लिये सिंगल विंडो क्लियरेंस, फंड की उपलब्धता तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र की सुविधा होना आवश्यक है। सरकार को इस दिशा में तेजी से कार्य करना चाहिये।
 - ◆ चीनी उपकरणों पर हालिया प्रतिबंध भारतीय उद्यमियों के लिये बाजार में उत्पन्न हुई शून्यता को भरने के लिये एक अच्छा अवसर है।
 - ◆ तकनीकी दक्ष भारतीय पेशेवरों के बल पर भारत शीघ्र ही विश्व में डिजिटल नवाचार का केंद्र बन सकता है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

बाढ़ नियंत्रण: कारण और निवारण

संदर्भ

वर्तमान में असम के 33 जिलों में से 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम की बाढ़ से लगभग 37 लोगों की मृत्यु हो गई है और दस लाख से अधिक लोग तथा पशु-धन प्रभावित हुए हैं। बाढ़ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व (Kaziranga National Park and Tiger Reserve), पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य (Pobitora Wildlife Sanctuary) और मानस राष्ट्रीय उद्यान (Manas National Park) के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया है। राज्य में बाढ़ एक वार्षिक विशेषता (प्रतिवर्ष आगमन) है। मानसून के दौरान लगातार भारी वर्षा के अतिरिक्त, प्राकृतिक और मानव निर्मित कारक हैं जो इसके लिये योगदान करते हैं। चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान में फैले एक बड़े बेसिन क्षेत्र के साथ ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ भारी मात्रा में जल और गाद का मिश्रण लेकर आती है, जिससे असम में कटाव की घटनाओं में वृद्धि होती है जो बाढ़ का कारण बनती है।

भारत में घटित होने वाली सभी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक घटनाएँ बाढ़ की हैं। यद्यपि इसका मुख्य कारण भारतीय मानसून की अनिश्चितता तथा वर्षा ऋतु के चार महीनों में भारी जलप्रवाह है, परंतु भारत की असम्मित भू-आकृतिक विशेषताएँ विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की प्रकृति तथा तीव्रता के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती हैं। बाढ़ के कारण समाज का सबसे गरीब तबका प्रभावित होता है। बाढ़ जान-माल की क्षति के साथ-साथ प्रकृति को भी हानि पहुँचती है। अतः सतत् विकास के नजरिये से बाढ़ के आकलन की जरूरत है।

बाढ़ से तात्पर्य

- नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आस-पास की जमीन पर पहुँच जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती, यह कुछ विशेष क्षेत्रों और वर्षा ऋतु में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जल-वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल, बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है।
- कई बार झीलों और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे- तटीय क्षेत्रों में आने वाला तूफान, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमीन की जल अवशोषण क्षमता में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना।

भारत में बाढ़ की स्थिति

- भारत के विभिन्न राज्यों में बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण जान-माल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है।
- असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की अधिकतर नदियाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में बाढ़ लाती रही हैं।
- राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ के कारण पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण मानसूनी वर्षा की तीव्रता तथा मानव कार्यकलापों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है।
- कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच लौटते मानसून से होने वाली तीव्र वर्षा द्वारा आती है।

बाढ़: राज्य सूची का विषय

- कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। बाढ़ प्रबंधन एवं कटाव-रोधी योजनाएँ राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता के अनुसार अपने संसाधनों द्वारा नियोजित, अन्वेषित एवं कार्यान्वित की जाती हैं।
- इसके लिये केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

बाढ़ के कारण

सामान्यतः भारी वर्षा के बाद जब प्राकृतिक जल संग्रहण स्रोतों/मार्गों (Natural Water Bodies/Routes) की जल धारण करने की क्षमता का संपूर्ण दोहन हो जाता है, तो पानी उन स्रोतों से निकलकर आस-पास की सूखी भूमि को डूबा देता है। लेकिन बाढ़ हमेशा भारी बारिश के कारण नहीं आती है, बल्कि यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही कारणों का परिणाम है, जिन्हें हम कुछ इस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं-

- मौसम संबंधी तत्त्व: दरअसल, तीन से चार माह की अवधि में ही देश में भारी बारिश के परिणामस्वरूप नदियों में जल का प्रवाह बढ़ जाता है जो विनाशकारी बाढ़ का कारण बनता है। एक दिन में लगभग 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है, तो नदियों का जलस्तर खतरनाक ढंग से बढ़ना शुरू हो जाता है।
- बादल फटना: भारी वर्षा और पहाड़ियों या नदियों के आस-पास बादलों के फटने से भी नदियाँ जल से भर जाती हैं।
- गाद का संचय: हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद और रेत लाती हैं। वर्षों से इनकी सफाई न होने कारण नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे आस-पास के क्षेत्रों में पानी फ़ैल जाता है।
- मानव निर्मित अवरोध: तटबंधों, नहरों और रेलवे से संबंधित निर्माण के कारण नदियों के जल-प्रवाह क्षमता में कमी आती है, फलस्वरूप बाढ़ की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ को मानव निर्मित कारकों का परिणाम माना जाता है।
- वनों की कटाई: पेड़ पहाड़ों पर मिट्टी के कटाव को रोकने और बारिश के पानी के लिये प्राकृतिक अवरोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विनाशक परिणाम

- बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियाँ, जैसे- हैजा, आंत्रशोथ (Enteritis), हेपेटाइटिस एवं अन्य दूषित जलजनित बीमारियाँ फैल जाती हैं। वर्तमान में पूरे देश में COVID-19 महामारी का प्रसार है, बाढ़ की स्थिति इसे और अधिक हानिकारक बना सकती है।
- असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश (मैदानी क्षेत्र) और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात एवं हरियाणा में बार-बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की अर्थव्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

संभावित लाभ

- दरअसल बाढ़ का पानी अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ गाद (मिट्टी) मैदानों की तरफ लाता है। यह गाद काफी उपजाऊ होती है। बाढ़ के पानी के साथ बहकर आने से मैदानी इलाकों में इस उपजाऊ मिट्टी की एक परत बन जाती है। जिससे खेतों में मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल काफी अच्छी होती है।
- इसके साथ ही रेत-पत्थर, अवसाद आदि जमा होने से संकरी हो चुकी नदी के चैनलों को बाढ़ साफ कर देती है, जिससे नदी का फैलाव होने से नदी फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है।
- बाढ़ से भू-जल संभरण भी होता है।

बाढ़ प्रबंधन हेतु प्रयास

राष्ट्रीय जल नीति, 2012

- जहाँ संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम से बाढ़ एवं सूखे जैसी जल संबंधी आपदाओं को रोकने के लिये हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये, वहीं बाढ़/सूखे से निपटने के लिये तंत्र सहित पूर्व तैयारी जैसे विकल्पों पर जोर दिया जाना चाहिये। साथ ही प्राकृतिक जल निकास प्रणाली के पुनर्स्थापन पर भी अत्यधिक जोर दिये जाने की आवश्यकता है।
- नदी द्वारा किये गए भूमि कटाव जैसे स्थायी नुकसान को रोकने के लिये तटबंधों इत्यादि के निर्माण हेतु आयोजना, निष्पादन, निगरानी भू-आकृति विज्ञानीय अध्ययनों के आधार पर किया जाना चाहिये। चूँकि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक तीव्र वर्षा होने तथा मृदा कटाव की संभावना बढ़ने से यह और भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
- बाढ़ का सामना करने के लिये तैयार रहने हेतु बाढ़ पूर्वानुमान अति महत्वपूर्ण है तथा इसका देश भर में सघन विस्तार किया जाना चाहिये और वास्तविक समय आँकड़ा संग्रहण प्रणाली (Real Time Data Collection System) का उपयोग करते हुए आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये।

- जलाशयों के संचालन की प्रक्रिया को विकसित करने तथा इसका कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिये ताकि बारिश के मौसम के दौरान बाढ़ को सहन करने संबंधी क्षमता प्राप्त हो सके और अवसादन के असर को कम किया जा सके। ये प्रक्रियाएँ ठोस निर्णय सहयोग प्रणाली पर आधारित होनी चाहिये।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

- दिसंबर, 2005 को भारत सरकार द्वारा 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' अधिनियमित किया गया, जिसके तहत 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) एवं 'राष्ट्रीय आपदा मोचन बल' (NDRF) का गठन किया गया।

बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम

- बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (Flood Management and Border Areas Programme-FMBAP) प्रभावी बाढ़ प्रबंधन, भू-क्षरण पर नियंत्रण के साथ-साथ समुद्र तटीय क्षेत्रों के क्षरण की रोकथाम पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
- यह प्रस्ताव देश में बाढ़ और भू-क्षरण से शहरों, गाँवों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संचार नेटवर्क, कृषि क्षेत्रों, बुनियादी ढाँचों आदि को बचाने में मदद करेगा।
- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (FMP) तथा नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य (River Management Activities and Works related to Border Areas-RMBA) नामक दो स्कीमों के घटकों का आपस में विलय करके FMBAP (Flood Management and Border Area Management) योजना तैयार की गई है।
- जलग्रहण उपचार कार्यों से नदियों में गाद कम करने में सहायता मिलेगी।

बाढ़ प्रबंधन हेतु सुझाव

- राज्य स्तर पर बाढ़ नियंत्रण एवं शमन के लिये प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना तथा स्थानीय स्तर पर लोगों को बाढ़ के समय किये जाने वाले उपायों के बारे में प्रशिक्षित करना।
- संरचनात्मक उपाय जैसे कि तटबंध, कटाव रोकने के उपाय, जल निकास तंत्र का सुदृढ़ीकरण, तटीय सुरक्षा के लिये दीवार जैसे उपाय जो कि उस खास भू-आकृतिक क्षेत्र के लिये सर्वश्रेष्ठ हों।
- गैर-संरचनागत उपाय, जैसे कि आश्रय गृहों का निर्माण, सार्वजनिक उपयोग की जगहों को बाढ़ सुरक्षित बनाना, अंतर्राज्यीय नदी बेसिन का प्रबंधन, बाढ़ के मैदानों का क्षेत्रीकरण इत्यादि।
- बाढ़ की प्रकृति के अनुसार आपदा-मोचन बल को प्रशिक्षित करना तथा आवश्यकता पड़ने पर तुरंत तैनात करना।
- विनिर्माण में संरचना के प्रारूप, स्थान, सामग्री और अनुमेय क्षति (Permissible Damage) के प्रकार एवं आकार के विषय में उचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है ताकि प्रकृति को कम-से-कम नुकसान पहुँचे।
- बांध प्रबंधन और समय पर लोगों को सचेत किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिये।
- पुनर्वनीकरण, जल निकास तंत्र में सुधार, वाटर-शेड प्रबंधन, मृदा संरक्षण जैसे उपाय।
- वर्तमान परिदृश्य ऐसा है कि देश के कुछ हिस्से बाढ़ से घिरे हुए हैं तो कुछ अन्य हिस्से जल की अत्यंत कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में नदी जोड़ों परियोजना एक व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत कर सकती है।

आगे की राह

- अवसंरचनात्मक तैयारी- नियोजित विकास, शहरी क्षेत्रों में हरित कवर व हरित पट्टी को बढ़ाना, भारी वर्षा के जल की निकासी व्यवस्था में सुधार करना आदि कुछ निवारक उपाय हैं, जिन्हें अपनाना चाहिये।
- संस्थागत सतर्कता- इस संबंध में कुछ संस्थागत तैयारियाँ इस प्रकार हैं- जन-स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, वैक्सीन व दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और बचाव के लिये मानसून पूर्व तैयारियाँ करना, नागरिकों को बचाव का प्रशिक्षण देना आदि।
- ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन- अतीत की घटनाओं से सीखना और उसके आधार पर सुरक्षा के समुचित कदम उठाना, निजी क्षेत्र को इससे संबद्ध करना, लोगों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना, शहरी लोगों के रहन-सहन की आदतें व उनकी जीवनशैली में सुधार संबंधी मानकों को अपनाना आदि।

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

भारत की सौर ऊर्जा रणनीति

संदर्भ

उल्लेखनीय है कि भारत समृद्ध सौर ऊर्जा संसाधनों वाला देश है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किये हैं और उन्ही प्रयासों के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की 'रीवा सौर परियोजना' (Rewa Solar Project) को राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना में एक सौर पार्क जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर है, के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर भूमि पर 250-250 मेगावाट की तीन सौर उत्पादन इकाइयाँ शामिल हैं। इस सौर पार्क के विकास के लिये भारत सरकार की ओर से 'रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड' को 138 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद प्रदान की गई थी। इस सौर पार्क को 'रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड' ने विकसित किया है जो 'मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड' और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई 'सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' (Solar Energy Corporation of India- SECI) की संयुक्त उद्यम कंपनी है।

यह सौर परियोजना 'ग्रिड समता अवरोध' (Grid Parity Barrier) को तोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना थी। यह परियोजना वार्षिक तौर पर लगभग 15 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगी। यह परियोजना राज्य के बाहर संस्थागत ग्राहक को बिजली आपूर्ति करने वाली देश की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना भी है।

सौर ऊर्जा से तात्पर्य

- सूर्य से प्राप्त शक्ति को सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को ऊष्मा या विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोगों में लाया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को प्रयोग में लाने के लिये सोलर पैनलों की आवश्यकता होती है।
- भारतीय भू-भाग पर पाँच हजार लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्गमीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। साफ धूप वाले दिनों में सौर ऊर्जा का औसत पाँच किलोवाट घंटा प्रति वर्गमीटर होता है। एक मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिये लगभग तीन हेक्टेयर समतल भूमि की जरूरत होती है।
- आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि शोधकर्ताओं के अनुसार, वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण लागू किये गए लॉकडाउन से हवा की गुणवत्ता में जो सुधारा आया, उसके चलते मार्च से मई माह के बीच पृथ्वी को 8.3 प्रतिशत अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त हुई है।

भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति

- भारत एक उष्ण-कटिबंधीय देश है। उष्ण- कटिबंधीय देश होने के कारण हमारे यहाँ वर्ष भर सौर विकिरण प्राप्त होती है, जिसमें सूर्य प्रकाश के लगभग 3000 घंटे शामिल हैं।
- भारतीय भू-भाग पर पाँच हजार लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्गमीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है।
- भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, बायोमास ऊर्जा से 10 गीगावाट और लघु जलविद्युत परियोजनाओं से 5 गीगावाट शामिल है।
- सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रूफटॉप सौर उर्जा (40 प्रतिशत) और सोलर पार्क (40 प्रतिशत) का है।
- यह देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का 16 प्रतिशत है। सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर स्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत करना है।
- वर्ष 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग सात गुना तक बढ़ने की संभावना है।
- यदि भारत में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकेगा तो इससे जीडीपी दर भी बढ़ेगी और भारत सुपरपावर बनने की राह पर भी आगे बढ़ सकेगा।
- वर्ष 2040 तक भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है। भविष्य की इस मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने की दिशा में ठोस प्रयास होने चाहिये।

सौर ऊर्जा से होने वाले लाभ

- सौर ऊर्जा कभी खत्म न होने वाला संसाधन है और यह नवीकरणीय संसाधनों का सबसे बेहतर विकल्प है।
- सौर ऊर्जा वातावरण के लिये भी लाभकारी है। जब इसे उपयोग किया जाता है, तो यह वातावरण में कार्बन-डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों नहीं छोड़ती, जिससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता।
- सौर ऊर्जा अनेक उद्देश्यों के लिये प्रयोग की जाती है, इनमें उष्णता, भोजन पकाने और विद्युत उत्पादन करने का काम शामिल है।
- सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिये विद्युत या गैस ग्रिड की आवश्यकता नहीं होती है। एक सौर ऊर्जा निकाय को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के पैनलों (सौर ऊर्जा की प्लेट) को आसानी से घरों में कहीं पर भी रखा जा सकता है। इसलिये, ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में यह काफी सस्ता भी है।

सौर ऊर्जा की राह में चुनौतियाँ

- सौर ऊर्जा प्लेटों को स्थापित करने के लिये जमीन की उपलब्धता में कमी।
- कुशल मानव संसाधनों का अभाव।
- चीन से आयातित फोटोवोल्टेइक सेलों की कीमत कम तो उसकी गुणवत्ता भी कामचलाऊ है।
- भारत में बने सोलर सेल (फोटोवोल्टेइक सेल) भी अन्य आयातित सोलर सेलों के मुकाबले कम दक्ष हैं।
- अन्य उपकरणों के दाम भी बहुत अधिक।
- विभिन्न नीतियाँ और नियम बनाने के बावजूद सोलर पैनल लगाने के खर्च में कमी नहीं।
- गर्म और शुष्क क्षेत्रों के लिये गुणवत्तापूर्ण सौर पैनल बनाने की नीतियों का अभाव।
- औसत लागत प्रति किलोवाट एक लाख रुपए से अधिक है।
- आवासीय घरों में छतों पर सोलर पैनल लगाने पर आने वाला भारी खर्च सौर ऊर्जा परियोजनाओं की राह में बड़ी बाधा।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में सरकार की पहल

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन

- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन (National Solar Mission) का उद्देश्य फॉसिल आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ सौर ऊर्जा को प्रतिस्पर्धी बनाने के अंतिम उद्देश्य के साथ बिजली सृजन एवं अन्य उपयोगों के लिये सौर ऊर्जा के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना है।
- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का लक्ष्य दीर्घकालिक नीति, बड़े स्तर पर परिनिर्वाहन लक्ष्यों, महत्वाकांक्षी अनुसंधान एवं विकास तथा महत्वपूर्ण कच्चे माल, अवयवों तथा उत्पादों के घरेलू उत्पादन के माध्यम से देश में सौर ऊर्जा सृजन की लागत को कम करना है।
- इसका लक्ष्य दीर्घकालिक नीति, बड़े स्तर पर परिनिर्वाहन लक्ष्यों, महत्वाकांक्षी अनुसंधान एवं विकास तथा महत्वपूर्ण कच्चे माल, अवयवों तथा उत्पादों के घरेलू उत्पादन के माध्यम से देश में सौर ऊर्जा सृजन की लागत को कम करना है।

प्रयास योजना

- भारत सरकार ने देश की फोटोवोल्टिक क्षमता को बढ़ाने के लिये सोलर पैनल निर्माण उद्योग को 210 अरब रुपए की सरकारी सहायता देने की योजना बनाई है। PRAYAS-Pradhan Mantri Yojana for Augmenting Solar Manufacturing नामक इस योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा का 40 प्रतिशत हरित ऊर्जा से उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

- यह गठबंधन सौर ऊर्जा संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन (Treaty-based International Intergovernmental Organization) है।
- ISA की स्थापना की पहल भारत ने की थी और पेरिस में 30 नवंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान CoP-21 से पृथक भारत और फ्रांस ने इसकी संयुक्त शुरुआत की थी।
- कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित 122 सौर संसाधन संपन्न देशों के इस गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम (हरियाणा) में है।

- ISA से जुड़े 67 देश गठबंधन में शामिल हो गए हैं और फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि कर दी है।
- ISA फ्रेमवर्क में वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता और उन्नत व स्वच्छ जैव-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा के लिये शोध और प्रौद्योगिकी तक पहुँच बनाने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने तथा ऊर्जा अवसंरचना एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया है।
- ISA के प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की वैश्विक क्षमता प्राप्त करना है।

सोलर रूफटॉप योजना

- सरकार द्वारा ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप और छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रमों का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनके तहत आवासीय, सामाजिक, सरकारी/पीएसयू और संस्थागत क्षेत्रों में सीएफए/प्रोत्साहन के जरिये 2100 मेगावाट की क्षमता स्थापित की जा रही है।
- इस कार्यक्रम के तहत सामान्य श्रेणी वाले राज्यों में आवासीय, संस्थागत एवं सामाजिक क्षेत्रों में इस तरह की परियोजनाओं के लिये बेंचमार्क लागत के 30 प्रतिशत तक और विशेष श्रेणी वाले राज्यों में बेंचमार्क लागत के 70 प्रतिशत तक केंद्रीय वित्त सहायता मुहैया कराई जा रही है।

अन्य नीतिगत उपाय

- हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के माध्यम से बिजली पारेषण नेटवर्क का विकास।
- टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सौर ऊर्जा की खरीद के लिये दिशा-निर्देश।
- रूफटॉप परियोजनाओं के लिये बड़े सरकारी परिसरों/भवनों की पहचान करना।
- स्मार्ट सिटी के विकास के लिये दिशा-निर्देशों के तहत रूफटॉप सोलर एवं 10 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के प्रावधान को अनिवार्य बनाना। हेतु लिये भवन उपनियमों में संशोधन।
- सौर परियोजनाओं के लिये अवसंरचना दर्जा, करमुक्त सोलर बांड जारी करना तथा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना।

निष्कर्ष

भारत में विगत एक दशक के दौरान बढ़ती आबादी, आधुनिक सेवाओं तक पहुँच, विद्युतीकरण की दर तेज होने और जीडीपी में वृद्धि की वजह से ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ी है और माना जाता है कि इसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय सौर ऊर्जा के जरिये आसानी से पूरा किया जा सकता है। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिये न केवल बुनियादी ढाँचा मजबूत करने की जरूरत है, बल्कि ऊर्जा के नए स्रोत तलाशना भी जरूरी है। ऐसे में, सौर ऊर्जा क्षेत्र भारत के ऊर्जा उत्पादन और मांगों के बीच की बढ़ती खाई को बहुत हद तक पाट सकता है।

सामाजिक न्याय

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व असंगठित क्षेत्र

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु जारी लॉकडाउन के कारण देश के भीतर सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प हैं। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। देश में व्यापक पैमाने पर रोजगार समाप्त हो गए हैं, इस संकट की घड़ी में स्वास्थ्य के साथ ही लोगों की आजीविका भी खतरे में है। ऐसे में प्रभावित लोगों के समक्ष सामाजिक सुरक्षा को प्राप्त करना एक कठिन कार्य है।

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से यह जाहिर है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। यह प्रस्तावना भारतीय लोगों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक-न्याय सुरक्षित करने का वादा करती है। इतना ही नहीं सतत् विकास हेतु 'एजेंडा 2030' के तहत संबंधित विभिन्न लक्ष्यों में सामाजिक सुरक्षा की सार्वभौमिकता का सिद्धांत निहित है। इस संदर्भ में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अनिवार्यता ने बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त किया है।

सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है जो स्वयं तथा अपने आश्रितों को न्यूनतम आय उपलब्ध कराने का आश्वासन प्रदान करती है और किसी भी प्रकार की अनिश्चितता से व्यक्ति की रक्षा करती है।
- अमेरिकन विश्वकोश में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है 'सामाजिक सुरक्षा कुछ उन विशेष सरकारी योजनाओं की ओर संकेत करती है जिनका प्रारंभिक लक्ष्य सभी परिवारों को कम-से-कम जीवन निर्वाह के साधन और शिक्षा तथा चिकित्सा की व्यवस्था करके दरिद्रता से मुक्ति दिलाना होता है'।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों ?

- भारत का विशाल असंगठित क्षेत्र
 - ◆ देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों का कुल कार्यबल में हिस्सा 80 प्रतिशत है।
 - ◆ भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से बना है और इसमें अधिकांशतः वे लोग होते हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं।
 - ◆ गाँवों में परंपरागत कार्य करने वालों के अलावा भूमिहीन किसान और छोटे किसान भी इसी श्रेणी में आते हैं।
 - ◆ शहरों में ये लोग अधिकतर खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण और निर्माण उद्योग में काम करते हैं।
 - ◆ इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो फसल की बुआई और कटाई के समय गाँवों में चले जाते हैं और बाकी समय शहरों-महानगरों में काम करने के लिये आजीविका तलाशते हैं।
- महँगी स्वास्थ्य सेवाएँ
 - ◆ महँगी होती स्वास्थ्य सेवाओं के कारण आम आदमी द्वारा स्वास्थ्य पर किये जाने वाले खर्च में बेतहाशा वृद्धि हुई है जिससे यह वर्तमान समय में गरीबी को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारण माना जाने लगा है।
 - ◆ इसके साथ ही वैश्विक महामारी COVID-19 ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति करने के लिये राज्य के नीति-नियंत्रणों का ध्यान आकर्षित किया है।
 - ◆ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज न केवल स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये मूलभूत शर्त है बल्कि यह अन्य लक्ष्यों जैसे-गरीबी उन्मूलन (SDG-1), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (SDG-4), लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण (SDG-5), उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि (SDG-8), बुनियादी ढाँचा (SDG-9), असमानता कम करना (SDG-10), न्याय और शांति (SDG-16) आदि की प्राप्ति के लिये भी आवश्यक है।

- सामाजिक सुरक्षा पर अपर्याप्त व्यय
- ◆ भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का एक व्यापक उद्देश्य है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा (सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को छोड़कर) पर समग्र सार्वजनिक व्यय केवल अनुमानित है।

असंगठित क्षेत्र की प्रमुख समस्याएँ ?

- बेहद कम आमदनी: असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में न केवल कम है, बल्कि कई बार तो यह जीवन स्तर के न्यूनतम निर्वाह के लायक भी नहीं होती। इसके अलावा, अक्सर कृषि और निर्माण क्षेत्रों में पूरे वर्ष काम न मिलने की वजह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है। इस क्षेत्र में न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता, जो कि कर्मचारियों को दिया जाना बाध्यकारी है। इसलिये न्यूनतम मजदूरी दरों से भी कम कीमतों पर ये कामगार अपना श्रम बेचने को विवश हो जाते हैं। वैसे भी हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी की दरें वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत कम हैं।
- अस्थायी रोजगार: असंगठित क्षेत्र में रोजगार गारंटी न होने के कारण रोजगार का स्वरूप अस्थायी होता है, जो इस क्षेत्र में लगे कामगारों को हतोत्साहित करता है। रोजगार स्थिरता न होने के कारण इनमें मनोरोग का खतरा भी संगठित क्षेत्र के कामगारों से अधिक होता है। इनके पास विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं पहुँच पाता। बिचौलियों और अपने नियोक्ताओं द्वारा भी इनकी उपेक्षा की जाती है।
- श्रम कानूनों के तहत नहीं आते: अधिकांश असंगठित श्रमिक ऐसे उद्यमों में काम करते हैं जहाँ श्रमिक कानून लागू नहीं होते। इसलिये इनकी कार्य दशा भी सुरक्षित नहीं होती और इनके लिये स्वास्थ्य संबंधी खतरे बहुत अधिक होते हैं।
- खतरनाक उद्यमों में भी सुरक्षा नहीं: बाल श्रम, महिलाओं के साथ अन्याय की सीमा तक असमानता और उनका शारीरिक, मानसिक तथा यौन-शोषण आम बात है। कई व्यवसायों में स्वास्थ्य मानकों के न होने का मसला भी चुनौती के रूप में इस क्षेत्र से जुड़ा है। माचिस के कारखाने में काम करने वाले, कांच उद्योग में काम करने वाले, हीरा तराशने वाले, कीमती पत्थरों पर पॉलिश करने वाले, कबाड़ बीनने वाले, पीतल और कांसे के बर्तन बनाने वाले तथा आतिशबाजी बनाने वाले उद्यमों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम करते हैं।
- बढ़ती हुई जटिल आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था: जटिल आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था के बढ़ने से इन कामगारों का दैनिक जीवन कहीं ज्यादा व्यस्त और जीवन स्तर कहीं ज्यादा निम्न हो गया है। आय और व्यय के बीच असंगति ने इनकी आर्थिक स्थिति को इस लायक नहीं छोड़ा है कि ये बेहतर जीवन जी सकें। इसलिये सरकार समय-समय पर अनेक योजनाएँ चलाती तो है, लेकिन इसके सामने बहुत सी बाधाएँ हैं, जो उन योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के आड़े आती हैं।

सरकार के प्रयास:

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना: वित्तीय वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट जब पेश हुआ था तो सरकार ने 15 हजार रुपए तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना' शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। वस्तुतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस योजना में मासिक आय की राशि को घटाकर इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है।
- कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008: विधायी उपायों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के संबंध में सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया। यह अधिनियम राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को कुछ जरूरी व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराता है। इसके जरिये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्माण, जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा और कोई भी अन्य लाभ, जो असंगठित मजदूरों के लिये सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, उसके लिये अनुशंसाएँ दी जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी गठन किया गया है।
- आयुष्मान भारत योजना: आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (Universal Health Coverage-UHC) के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की बाधाओं को समाप्त करना है। साथ ही इस योजना के माध्यम से देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या को स्वास्थ्य कवर के दायरे में लाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
- आम आदमी बीमा योजना: सरकार ने मृत्यु एवं अपंगता की स्थिति में बीमा प्रदान करने के लिये आम आदमी बीमा योजना (AABY) प्रारंभ की है।

- असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिये कई अन्य रोजगार सृजन/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सरकार लागू कर रही है, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मनरेगा, हथकरघा बुनकर योजना, हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाएँ, मछुआरों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय योजना, प्रशिक्षण और विस्तार, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आदि।

निष्कर्ष:

इस सब के बावजूद आज भी इस वर्ग की सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों में आजीविका असुरक्षा, बाल श्रम, मातृत्व (मैटरनिटी) सुरक्षा, छोटे बच्चों की देख-रेख, आवास, पेयजल, सफाई, अवकाश से जुड़े लाभ और न्यूनतम मजदूरी जैसे मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये समग्र नीति बनानी चाहिये और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए व्यवस्था में उचित भागीदारी देनी चाहिये।



आंतरिक सुरक्षा

समुद्री सुरक्षा: आवश्यकता व महत्त्व

संदर्भ

वर्तमान में भारत व चीन के मध्य स्थलीय सीमाओं को लेकर तनाव व्याप्त है। यह तनाव उस समय अपने चरम पर पहुँच गया जब गलवान घाटी (Gaalwan Vally) में दोनों देशों के सैनिकों के मध्य सैन्य झड़प में कई सैनिक शहीद हो गए। इस घटना के बाद दोनों देशों के मध्य सैन्य स्तर पर वार्ता जारी है, जिससे शांतिपूर्ण हल निकलने की संभावना है। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना के बाद भारत अपनी सुरक्षा रणनीति का विश्लेषण कर रहा है, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी देश के लिये जितनी महत्वपूर्ण उसकी स्थलीय सीमाएँ हैं उतनी ही महत्वपूर्ण जलीय सीमाएँ हैं।

विशाल भारतीय प्रायद्वीप और इसके चारों ओर फैली हुई द्वीपीय श्रृंखला की सामरिक अवस्थिति के कारण ये क्षेत्र समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90 प्रतिशत (मात्रा में) तथा 70 प्रतिशत (मूल्य के आधार पर) समुद्री मार्ग से संचालित होता है। अतः भारत की सुरक्षा रणनीति में समुद्री सुरक्षा एक महत्वपूर्ण अवयव है।

भारत का अपना एक समृद्ध समुद्री इतिहास रहा है और समुद्री क्रियाकलापों संबंधी बातों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। भारतीय पुराणों में महासागर, समुद्र और नदियों से जुड़ी हुई ऐसी कई घटनाएँ मिलती हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि मानव को समुद्र और महासागर रूपी संपदा से अत्यधिक लाभ हुआ है। भारतीय साहित्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला और पुरातत्व-विज्ञान से प्राप्त कई साक्ष्यों से भारत की समुद्री परंपराओं का अस्तित्व प्रमाणित होता है।

क्यों आवश्यक है समुद्री सुरक्षा ?

- भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है।
- भारत अपनी जलीय सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साझा करता है।
- भारत के उत्तर में स्थित पाकिस्तान से सीमापार आतंकवाद की लगातार गतिविधियों, अधिक सैन्य क्षमता प्राप्ति और परंपरागत संघर्ष में परमाणु हथियारों का प्रयोग करने के घोषित उद्देश्य के कारण उतार-चढ़ाव वाले संबंध बने हुए हैं। वर्ष 2016 में पाकिस्तान ने समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने का नाकाम प्रयास किया था।
- भारत की विभिन्न देशों के साथ लंबी जलीय सीमा से कई प्रकार की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। इन चुनौतियों में समुद्री द्वीपों निर्जन स्थानों में हथियार एवं गोला बारूद रखना, राष्ट्रविरोधी तत्त्वों द्वारा उन स्थानों का प्रयोग देश में घुसपैठ करने एवं यहाँ से भागने के लिये करना, अपतटीय एवं समुद्री द्वीपों का प्रयोग आपराधिक क्रियाकलापों के लिये करना, समुद्री मार्गों से तस्करी करना आदि शामिल हैं।
- समुद्री तटों पर भौतिक अवरोधों के न होने तथा तटों के समीप महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं रक्षा संबंधी अवसंरचनाओं की मौजूदगी से भी सीमापार अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक होती है।
- मुंबई हमले के बाद से तटीय, अपतटीय और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिये सरकार ने कई उपाय किये हैं।

सामुद्रिक चुनौतियाँ

- संगठित अपराध- समुद्री रास्तों से हथियारों, नशीले पदार्थों और मानवों तस्करी, संगठित अपराध के रूप में एक बड़ी सामुद्रिक सुरक्षा चुनौती है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, 2020 के अनुसार वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान भी मादक द्रव्यों की तस्करी अनवरत रूप से जारी रही। लॉकडाउन के कारण स्थलीय सीमाओं पर होने वाला आवागमन प्रतिबंधित था परंतु मादक द्रव्यों व मानव तस्करी समुद्री मार्गों के द्वारा की गई थी।
- समुद्री डकैती- अरब सागर के क्षेत्र में सोमालियाई लुटेरों से भारतीय व्यापारिक जहाजों को सदैव खतरा बना रहता है। कोलाराडो स्थित वन अर्थ फाउंडेशन (One Earth Foundation) की रिपोर्ट के अनुसार, समुद्री डकैती की वजह से दुनियाभर के देशों को प्रतिवर्ष 7

से 12 अरब डॉलर का व्यय करना पड़ता है। इसमें उन्हें दी जाने वाली फिरौती, जहाजों का रास्ता बदलने के कारण हुआ खर्च, समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिये कई देशों की तरफ से नौसेना की तैनाती और कई संगठनों के बजट इस अतिरिक्त व्यय में शामिल हैं।

आतंकवाद- समुद्री मार्ग से आतंकवाद का दंश भी भारत झेल चुका है। 26/11 का मुंबई हमला, भारतीय समुद्री सुरक्षा पर बड़े प्रश्न-चिन्ह पहले ही खड़े कर चुका है।

- स्वतंत्र नौवहन में बाधा- चीन द्वारा भारतीय सीमा के समीप विकसित किये जा रहे बंदरगाहों ने तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण भविष्य में भारत के लिये स्वतंत्र नौवहन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चीन द्वारा भारत के चारों ओर बंदरगाहों का इस प्रकार विकास उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल (String of Pearls) नीति को दर्शाता है।

स्ट्रिंग ऑफ पर्ल

- 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' हिंद महासागर क्षेत्र में संभावित चीनी इरादों से संबंधित एक भू-राजनीतिक सिद्धांत है, जो चीनी मुख्य भूमि से सूडान पोर्ट तक फैला हुआ है।
- वर्ष 2017 में चीन ने जिबूती में अपनी पहली विदेशी सैन्य सुविधा (Overseas Military Facility) शुरू की और वह अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative-BRI) के हिस्से के रूप में श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और अफ्रीका के पूर्वी तट, तंजानिया तथा केन्या में बुनियादी ढाँचे में भारी निवेश कर रहा है।
- इस प्रकार की गतिविधियाँ चीन की भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश को दर्शाती हैं, जिसे 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' कहा जाता है। समुद्र में अवैध गतिविधियों के क्षेत्र
- समुद्र में अवैध गतिविधियों के लिये दो समुद्री क्षेत्र सबसे ज्यादा बदनाम हैं। पहला क्षेत्र अदन की खाड़ी से पूर्वी अफ्रीका तक और दूसरा क्षेत्र पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी तक है। वर्तमान में समुद्र में होने वाली आपराधिक गतिविधियों में सबसे अहम हथियारबंद लुटेरों द्वारा किसी जहाज को लूटना है।
- इन दोनों ही क्षेत्रों में जहाजों को अगवा कर लूट-पाट किया जाता है। इसके साथ ही लोगों को बंधक बनाकर उनसे फिरौती वसूली जाती है। इससे कई देशों को नुकसान पहुँचता है और इसे विश्व अर्थव्यवस्था के लिये भी खतरा माना जाता है।
- अध्ययन से पता चला है कि समुद्री डकैती मूल रूप से अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और लैटिन अमेरिका पर असर डालती है। जहाजों पर हमले की घटनाएँ कैरेबियाई समुद्र और लैटिन अमेरिका में कम ही होती हैं। 1990 के दशक के दौरान दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी समुद्री जहाजों पर हमले की हिंसक घटनाएँ होती थी।

भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति से जुड़े प्रमुख अवयव

- अवरोध की रणनीति- यह भारतीय सुरक्षा की मूलभूत रणनीति है। संभावित संघर्षों को टालना (अवरोध करना) भारतीय सुरक्षा बलों का प्रमुख उद्देश्य है। इस रणनीति के अंतर्गत भूल-वश भारत की जलीय सीमा में प्रवेश करने वाले जलयानों या नौकाओं को सुरक्षा जाँच के बाद वापस कर दिया जाता है।
- संघर्ष की रणनीति- भारत के विरुद्ध संघर्ष के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों के संसाधनों में वृद्धि इसका उद्देश्य है। इस रणनीति के अंतर्गत युद्ध के दौरान नौसैन्य बलों को पर्याप्त मात्र में रसद सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
- अनुकूल समुद्री माहौल के लिये रणनीति- इस रणनीति के अंतर्गत शांतिकाल के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँ शामिल हैं। इसका लक्ष्य मित्र देशों के समुद्री सुरक्षा बलों के मध्य आपसी सहयोग और अंतर्संचालन द्वारा सुरक्षापूर्ण तथा स्थायित्व युक्त माहौल तैयार करना है।
- तटीय एवं अपतटीय सुरक्षा की रणनीति- इसके अंतर्गत तटीय समुदायों की भागीदारी के माध्यम से सुरक्षा बलों की संचालनीय क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है।
- ◆ निगरानी और अंतर-एजेंसी समन्वय- सतर्कता के लिये भारत को बेहतर निगरानी की आवश्यकता है। तटीय राडार श्रृंखलाओं की स्थापना में तेजी लाने और सूचना तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के अलावा केंद्र सरकार को कई एजेंसियों (ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकारों के साथ) और प्राधिकरणों में देरी से होने वाली बातचीत से उत्पन्न समन्वय की समस्याओं का समाधान करना चाहिये।

- ◆ विधायी ढाँचे की आवश्यकता- शिपिंग और बंदरगाह दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए भारत के समुद्री बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिये उचित व्यवस्था व प्रक्रियाएँ बनाने हेतु व्यापक कानूनों को लागू किया जाना चाहिये। सरकारी विभागों, पोर्ट ट्रस्ट, राज्य समुद्री बोर्डों, गैर प्रमुख बंदरगाहों और निजी टर्मिनल ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों के वैधानिक कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने की आवश्यकता है, साथ ही बंदरगाह सुरक्षा के न्यूनतम मानकों के वैधानिक अनुपालन को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित करना होगा।
- ◆ राष्ट्रीय वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा नीति दस्तावेज़- समुद्री सुरक्षा हेतु अपनी रणनीतिक दृष्टि को स्पष्ट करने के लिये सरकार को राष्ट्रीय वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा नीति दस्तावेज़ जारी करना होगा। बंदरगाह और शिपिंग बुनियादी ढाँचे, कुशल, समन्वित और प्रभावी कार्रवाई व वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा के लिये एक राष्ट्रीय रणनीति स्पष्ट रूप से बनानी चाहिये।
- समुद्री सुरक्षा बलों के क्षमता विकास की रणनीति- इसके अंतर्गत तकनीकी उन्नयन के माध्यम से युद्धक क्षमता के विकास पर ध्यान दिया जाता है।
- नौसैन्य अभ्यास- द्विवार्षिक अभ्यास 'सागर कवच' (Sagar Kavach) इसका प्रमुख उदाहरण है जिसे भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और तटीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।

निष्कर्ष

समुद्री सीमा की सुरक्षा, कारोबार के अहम समुद्री रास्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र और समुद्री संसाधनों का उचित इस्तेमाल होना ज़रूरी है। इसके लिये कानून को सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। तमाम देशों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को बेहतर बनाने और समुद्री सीमाओं के प्रबंधन को बेहतर करने की ज़रूरत है। भारत के वैश्विक उत्थान के लिये समुद्री सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत महासागरीय संसाधनों का लाभ अपने आर्थिक विकास के लिये तभी उठ सकता है, जब उसकी समुद्री सुरक्षा उच्चस्तरीय हो।

नगा समस्या: कारण और निवारण

संदर्भ

भारत के पूर्वोत्तर में स्थित नगा समुदाय एवं नगा संगठन, नगा बहुल इलाकों को लेकर एक ग्रेटर नगालिम राज्य बनाने की लंबे समय से माँग कर रहे हैं। इस विषय पर उनकी केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। हाल ही में नगा शांति वार्ता के वार्ताकार और नागालैंड के राज्यपाल आर. एन. रवि ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो (Neiphu Rio) को लिखे अपने एक पत्र में यह आशंका व्यक्त की है कि कुछ सशस्त्र चरमपंथी संगठनों द्वारा संवैधानिक रूप से स्थापित राज्य सरकार की वैधता को चुनौती दी जा रही है। चरमपंथी संगठनों द्वारा राज्य के सामान्य लोगों, कर्मचारियों व अधिकारियों से फिरौती की वसूली की जा रही है तथा विनाशक हथियारों के बल पर सरकारी धन को भी लूटा गया है।

हालाँकि सात चरमपंथी समूहों के संगठन नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (Naga National Political Groups-NNPGs) की कार्यकारिणी समिति ने किसी भी समूह के इस प्रकार की गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- नगा एक नृजातीय समूह है, जो विभिन्न जनजातियों में विभाजित है। ब्रिटिश काल एवं उससे पूर्व भी नगा अपनी पृथक पहचान एवं उसके संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध रहे हैं।
- वर्ष 1929 में साइमन कमीशन के समक्ष सर्वप्रथम नगाओं ने अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करने की माँग कर प्रतिरोध की शुरुआत का प्रारंभिक साक्ष्य दिया था। नगा इस क्षेत्र में भारत के पूर्वोत्तर तथा म्याँमार में फैले हुए हैं।
- वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम से तत्कालीन बर्मा जिसे वर्तमान में म्याँमार कहा जाता है, को भारत से पृथक कर दिया गया। राजनीतिक सीमा के निर्धारण ने नगाओं को भारत एवं म्याँमार में विभाजित कर दिया।
- भारतीय स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व ही अर्थात् 14 अगस्त, 1947 को विभिन्न नगा समूहों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसमें प्रमुख भूमिका नगा नेशनल कौंसिल की मानी गई। इन समूहों ने भूमिगत सरकार तथा सेना का गठन किया।
- तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे भारतीय एकता-अखंडता के लिये अनुचित माना। वर्ष 1958 में पूर्वोत्तर के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम (AFSPA) लागू किया गया।

- इस क्षेत्र में पिछले कई दशकों से हिंसा एवं शांति समझौते के लिये प्रयास साथ-साथ चलते रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ठोस नतीजे पर पहुँचना संभव नहीं हो सका है।

नगा समूह की क्या है मांग ?

- नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप पूर्वोत्तर में फैले हुए नगा क्षेत्रों को मिलाकर एक वृहत नगालैंड अर्थात् नगालिम की मांग करते रहे हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर तथा म्याँमार के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं।
- इसके लिये वे ऐतिहासिक कारकों एवं पृथक संस्कृति का हवाला देते हैं। इसके तहत उनकी मांग है कि नगालिम को विशेष दर्जा दिया जाए। साथ ही नगा समूह नगालिम के प्रशासन के लिये एक पृथक संविधान तथा एक पृथक झंडे की मांग करते रहे हैं।
- ज्ञातव्य है कि नगा ध्वज और संविधान पर नगा समूहों और केंद्र के बीच सहमति होनी अभी बाकी है। नगा लोग अपने प्रतीकों के प्रति काफी संवेदनशील हैं और इन प्रतीकों को अपनी पहचान तथा गौरव से जुड़ा हुआ मानते हैं।

पहचान का है संकट

- पहचान के संकट को एक ऐसी अवधारणा के रूप में व्याख्यायित किया जाता है 'जिसमें कोई व्यक्ति अथवा समूह दीर्घ अवधि में अपनी संस्कृति, सभ्यता की पहचान को लेकर असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होता है।'
- भारत एवं विश्व में ऐसे समुदाय एवं समाज जो आधुनिक विचारों को नहीं अपना सके हैं तथा अभी भी अपनी पुरातन मान्यताओं के आधार पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, में प्रायः आने वाले बदलावों के परिणामस्वरूप पहचान के संकट की भावना उत्पन्न हो रही है।
- भारत में यह समस्या प्रमुख रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में देखी जा सकती है। पूर्वोत्तर में विभिन्न नृजातीय तत्त्व विद्यमान हैं, इन नृजातीय समूहों में सांस्कृतिक स्तर पर भिन्नताएँ हैं।
- विभिन्न नृजातीय समूह आधुनिक भौतिक कारकों के चलते न चाहते हुए भी करीब आए हैं, इससे इनकी पहचान का संकट उत्पन्न हुआ है। इसी के परिणामस्वरूप विभिन्न नृजातीय समूह जिसमें नगा भी शामिल हैं, स्वयं की पृथक पहचान स्थापित करने के लिये निरंतर सरकार से संघर्ष कर रहे हैं।

शांति समझौतों का दौर

- शांति समझौते का सर्वप्रथम प्रयास जून 1947 में हुआ था, जब भारत सरकार व नगा विद्रोही नगा हिल्स में एक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर सहमत हुए थे। लेकिन यह व्यवस्था एक विवादास्पद सूत्र के चलते नहीं चल पाई, इसमें यह प्रावधान था कि भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर असम के राज्यपाल के पास 10 साल तक यह विशेष ज़िम्मेदारी होगी कि इस समझौते को लागू कराएँ।
- जैसे ही 10 साल पूरे हुए, नगा विद्रोहियों ने इसकी व्याख्या अपनी आजादी के अधिकार के रूप में की, जबकि सरकार ने इसे कानून के अंतर्गत प्रशासनिक बदलाव के लिये सिर्फ सलाह का अधिकार बताया।
- उपरोक्त घटनाक्रम के अलावा वर्ष 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (National Socialist Council of Nagaland-NSCN) ने अलग होने की मांग को लेकर सशस्त्र आंदोलन छेड़ा था।
- वर्ष 1988 में इसमें मतभेद उत्पन्न हो गए और एक गुट NSCN (IM) व दूसरा NSCN (Khaplang) के नाम से जाना गया। इन दोनों गुटों के बीच हिंसक संघर्ष चलता रहता है, जबकि दोनों ने ही केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता कर रखा है। IM गुट ने वर्ष 1997 में शांति समझौता किया और खपलांग गुट ने वर्ष 2010 में उनका अनुसरण किया।

ग्रेटर नगालिम के पक्ष में तर्क

- नगालैंड कहता रहा है कि '16-पॉइंट एग्रीमेंट' में यह बात शामिल है कि नगा क्षेत्रों को वापस नगालैंड को लौटा दिया जाएगा। विदित हो कि इस समझौते के तहत 1960 में नगालैंड भारत का राज्य बना था।
- असम कहता है कि नगालैंड द्वारा उसके भू-भाग में अतिक्रमण किये जाते हैं, जबकि नगालैंड का तर्क यह है कि ऐतिहासिक तौर पर नगाओं की भूमि असम के कब्जे में है। असम और नगालैंड के बीच सीमा विवाद को लेकर हिंसा होती रहती है जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं।
- मणिपुर का जहाँ तक सवाल है तो वहाँ घाटी में रहने वाली आबादी पहाड़ी आबादी की तुलना में ज्यादा है। नगा जनजातियाँ ईसाई धर्म को मानती हैं तो घाटी में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदू हैं जो मैतेयी समुदाय के हैं। पहाड़ों पर रहने वाली नगा जनजातियों और मैतेयी समुदाय के बीच व्याप्त अविश्वास कई बार हिंसा का रूप ले चुका है।

ग्रेटर नगालिम के विपक्ष में तर्क

- यदि असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के भौगोलिक एकीकरण को मंजूरी दी गई तो यहाँ सांप्रदायिक संघर्ष आरंभ हो सकता है।
- नगालिम के गठन से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चोट तो पहुँचेगी ही, साथ में राज्यों की परियोजनाओं और योजनाओं को आगे बढ़ाने में बाधाएँ भी आ सकती हैं।
- यदि नगालिम के गठन की मांग मान ली जाती है तो यह देश के अन्य राज्यों को भौगोलिक एकीकरण की मांग करने के लिये प्रोत्साहित करने का भी काम करेगा।
- नगा विद्रोह को खत्म करने के लिये कोई भी समाधान नगालैंड राज्य तक ही सीमित नहीं होना चाहिये, बल्कि अन्य राज्यों की चिंताओं को भी ध्यान में रखना चाहिये।
- केंद्र को किसी विशेष समुदाय को 'व्यवस्थित' करने के प्रयास नहीं करने चाहिये, क्योंकि नगालैंड की सीमा से लगे राज्य मणिपुर में 30 से अधिक विभिन्न जातीय समूह निवास करते हैं। किसी एक समुदाय को महत्त्व देना भी हिंसा बढ़ाने का काम करेगा।

संभावित समाधान

- वर्तमान में समझौता बातचीत के दौर में है, किंतु सरकार के बयानों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार NNPGs की मांगों को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। समझौते के लिये एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
- नगालिम के स्थान पर नगालैंड को दी जाने वाली विभिन्न सहूलियतों को अन्य संबंधित राज्यों में निवास कर रहे नगाओं तक भी विस्तृत किया जाएगा, साथ ही सांस्कृतिक मंचों और कार्यक्रमों पर नगाओं को स्वयं का झंडा उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी किंतु यह छूट राजनीतिक मामलों में नहीं होगी।
- पृथक संविधान के स्थान पर नगाओं को स्वायत्तता दी जाएगी तथा उनके हितों की विशेष रक्षा की जाएगी। साथ ही अन्य मांगों जिनके प्रभाव व्यापक नहीं हैं, उनको स्वीकार करने पर सरकार विचार कर सकती है।

समझौता लागू होने में रुकावटें

- नगा संगठनों को सरकार बता चुकी है कि उनकी मांगों का समाधान नगालैंड की सीमा के भीतर ही होगा और इसके लिये पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
- असम सरकार कहती रही है कि किसी भी कीमत पर राज्य का नक्शा नहीं बदलने दिया जाएगा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा हर हाल में की जाएगी। मणिपुर की सरकार का यह मत रहा है कि नगा समस्या के समाधान से राज्य की शांति भंग नहीं होनी चाहिये।
- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी साफ कर दिया है कि उसे ऐसा कोई समझौता मंजूर नहीं होगा जिससे राज्य की सीमा प्रभावित हो।
- दूसरी ओर, क्षेत्रीय एकीकरण अर्थात् नगा इलाकों का एकीकरण नहीं होने की स्थिति में नगा विद्रोही गुट किसी प्रकार का समझौता करने के इच्छुक नहीं हैं। विभिन्न नगा समूहों में तीखे मतभेद भी रहे हैं, इसलिये किसी समझौते को आगे बढ़ाने में कठिनाई आती है, अतीत में बार-बार ऐसा देखने को मिला है।

आगे की राह

- नगा संघर्ष के इतिहास से पता चलता है कि विभिन्न दलों द्वारा अपनी सुविधानुसार की गई भिन्न-भिन्न व्याख्याओं के कारण अब तक हुए अधिकतर समझौते विफल रहे हैं।
- सरकारों को मिल-बैठकर इस समस्या का समग्र हल तलाशने का प्रयास करना चाहिये, अन्यथा बार-बार विफलता ही हाथ लगेगी। इसके परिणामस्वरूप नए विद्रोही नगा गुट जन्म लेंगे, जो समस्या को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे।
- विद्रोह पर नियंत्रण रखने के लिये विदेशों से संसाधनों (हथियारों तथा धन) की उपलब्धता पर प्रभावी रोक लगाने के हरसंभव प्रयास करने की जरूरत है।
- नगा समस्या पर व्यापक समझ कायम करते हुए जनजातीय समूहों तथा अन्य लोगों की बदलती आकांक्षाओं के मद्देनजर स्वीकार्य एवं व्यापक समाधान तलाशने की आवश्यकता है।